कारागारों में महिला संवासियों की दशा सुधारने के लिए रिपोर्ट

राष्ट्रीय महिला आयोग
नई दिल्ली
2018

कारागारों में महिला संवासियों की दशा सुधारने के लिए रिपोर्ट

राष्ट्रीय महिला आयोग
नई दिल्ली
2018

श्रीमती रेखा शर्मा

सत्यमेव जयते

अध्यक्ष
राष्ट्रीय महिला आयोग

प्राक्कथन

पूरे देश में कारागारों में रह रही महिलाएं जेंडर निर्मित असमानता की शिकार हैं, जो कि उनके अस्तित्व के लिए कष्टदायी है, किंतु अब हमारे देश में कारागार प्रणाली विकसित हो रही है। कैद में रहने के दौरान, महिला संवासियों को अमानवीय, निष्ठुर, विभेदकारी व्यवहार झेलना पड़ता है और कारागार से रिहा होने के बाद भी यही स्थिति बनी रहती है। यह स्थिति किसी महिला के कारागार में रहने से जुड़ी हुई मिथ्या धारणा और बदनामी पर आधारित होती है। इस संबंध में महिलाओं के प्रति बेहतर दृष्टिकोण और अधिक संवेदनशीलता अपनाए जाने की आवश्यकता है।

महिला संवासियों की बैरकों में अनुमोदित संख्या से बहुत अधिक संवासी होती हैं और वे इन बैरकों में अस्वास्थ्यकर और बिना साफ–सफाई की दशा में और अपर्याप्त और न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ रहती है। इनमें से बहुत बड़ी संख्या में ऐसी महिला संवासी हैं जो विचारणाधीन होने के बावजूद भी कई वर्षों तक जेल में बंद रहती हैं। चूंकि इनमें से अधिकतर निरक्षर हैं और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती है और कई बार तो उन्हें बेहतर विधिक सहायता न मिलने के परिणामस्वरूप एक विचारणाधीन के रूप में न्याय नहीं मिल पाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के अधीन महिलाओं को उपलब्ध विशेष छूट नहीं मिल पा रही है जिसके अनुसार महिलाएं किसी अजमानतीय अपराध, जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध भी शामिल है, के लिए आरोपित महिलाएं जमानत की हकदार हैं। कारागार कर्मचारियों, जिसमें महिला वार्डनों और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की असंवेदनशीलता के कारण महिला संवासियों का कष्ट और बढ़ जाता है।

आयोग की स्थापना के पश्चात् से ही उसके लिए अभिरक्षा में रह रही महिलाएं एक चिंता का विषय रहा है। तथापि, आयोग ने इस संबंध में एक ठोस प्रयास किया है और एक व्यापक प्रोफार्मा तैयार किया है तथा कारागार में महिलाओं की दशा के बारे में वास्तविक स्थिति का निर्धारण करने के लिए पूरे देश के कारागारों से सुसंगत जानकारी एकत्रित की हैं। अधोहस्ताक्षरी और आयोग के माननीय सदस्यों द्वारा जेलों का नियमित निरीक्षण करने के अलावा कारागारों से इस प्रकार

की सुसंगत जानकारी एकत्रित की गई है। इन निरीक्षणों और विहित प्रोफार्मा में उपलब्ध जानकारी के विश्लेषण के आधार पर इस रिपोर्ट में कारागारों में महिला संवासियों की स्थिति का एक वस्तुनिष्ठ और उचित मूल्यांकन किया गया है तथा महिलाओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए महिला कैदियों को सभी आवश्यक सुविधाएं और सुधारात्मक सहूलियत प्रदान करने को सुनिश्चित करने के लिए इस रिपोर्ट में की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई के संबंध में सिफारिशें की गई हैं इससे उनके आर्थिक–पुनर्वास और कारागार से रिहा होने के पश्चात् अपने परिवार और समाज के साथ पुनः एकीकरण का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

मैं यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हूं जिसमें देश में कारागारों के बुनियादी ढांचे में संस्थागत अस्तित्वशील सकारात्मकाओं के साथ साथ इस ढांचे और व्यवस्था में की कमियों को इंगित किया गया है तथा कारागार प्राधिकारियों द्वारा और आगे जो आवश्यक कार्रवाई की जानी है उसकी बाबत टीका–टिप्पणियां/सिफारिशें की गई हैं।

इसलिए, आयोग संबंधित कारागार प्राधिकारियों को यह निर्देशित करता है कि वे इस रिपोर्ट को गंभीरता से ले और तुरंत परिणाम सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करें। संबंधित प्राधिकारी इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को आयोग को प्रेषित करें। आयोग, और आगे निरीक्षण तथा विहित प्रोफार्मा में प्राप्त जानकारी की संवीक्षा के आधार पर इस प्रक्रिया को बनाए रखेगा और अधिक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहेगा।

रेखा शर्मा

(रेखा शर्मा)

अनुक्रमणिका

अध्याय–I	प्रस्तावना	1–3
अध्याय–II	केंद्रीय कारागारों का निरीक्षण– कुछ सकारात्मकताएं	4–6
अध्याय–III	राज्य महिला आयोगों द्वारा किया गया निरीक्षण	7–10
अध्याय–IV	निष्कर्ष और मुख्य कमियां	11–15
अध्याय–V	सिफारिशों का सारांश	16–19
उपाबंध–1	राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा निरीक्षण किए गए कारागारों पर राय/सिफारिशें।	20–57
उपाबंध–2	विभिन्न केंद्रीय/जिला/अन्य कारागारों के प्रोफार्मा की समीक्षा के आधार पर टीका–टिप्पणियां/सिफारिशें	58–104

अध्याय I

प्रस्तावना

1.1 राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1) (ट) के अधीन उसे न्यस्त किए गए कृत्यों के भागरूप देश में विभिन्न जेलों/अन्य अभिरक्षा गृहों का, निरीक्षण करता है। महिला संवासियों के अधिकारों का अतिक्रमण न हो इसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त सुधारात्मक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। आयोग को जिन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चिह्नित किया गया है उनमें से एक मुद्दा कारागारों का निरीक्षण करने से संबंधित है। कारागारों में महिलाएं संरक्षितों की दशा युक्तिसंगत और मानवीय हो और संवासियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो इसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

1.2 राज्य महिला आयोगों, डी.एल.एस.ए. और संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, सदस्य और अधिकारियों द्वारा कारागारों और जेलों आदि का निरीक्षण किया जाता हैं। अभिरक्षा गृहों में महिलाओं की मानवोचित गरिमा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक मानदंडो के अनुसार उचित सुविधाओं को सुनिश्चित करने की दृष्टि से वहां पर कमियों का पता लगाने के प्रयोजन के लिए ऐसे निरीक्षण में जोर दिया जाता है। अभिरक्षा गृहों में सुधार करने की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए भी ऐसा किया जाता है जिससे कि ऐसे गृहों में रह रही महिला पर्याप्त और संतुलित भोजन, जल, वास–सुविधा, बिस्तर, कपड़ें, रोशनी, तापन, संवातन और खुले स्थान की बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित न हो। इसके अंतर्गत पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, स्वच्छता, स्वास्थिकी और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में सुधार करने तथा शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से उन्हें सशक्त करना भी है जिससे संवासी अंततः समाज में घुल मिल जाए और गरिमा के साथ अपनी आजीविका कमा सके।

1.3 निरीक्षण के दौरान निरपवाद रूप से निरीक्षण दल महिला संवासियों के साथ उनकी समस्याओं और उनके द्वारा जिन कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है इसका पता लगाने के लिए उनसे बातचीत भी करता है। आयोग द्वारा निरीक्षण किए गए प्रत्येक कारागार/जेल की बाबत उसके जो विचार/निष्कर्ष/सिफारिशें हैं उन्हें केंद्रीय और राज्य सरकारों के संबंधित प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से भेजा जाता है कि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी जिससे महिला संवासियों के अधिकारों का अतिक्रमण न हो और विवेकपूर्ण रीति से जेल मैनुअल के अनुसार उपबंधों और परिपाटियों का पालन किया जाए।

1.4 महिला संवासियों को एन.ए.एल.एस.ए., एस.एल.एस.ए. और डी.एल.एस.ए. के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए भी निरीक्षण में विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऐसा इस आशय से किया जाता है जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके किसी विधिक कार्रवाई या प्रक्रिया में कमी होने के कारण महिला संवासी को अनुचित कठिनाई का सामना न करना पड़े। निःशुल्क विधिक सेवा की गुणवत्ता के महत्व को इस तथ्य के प्रकाश में समझने की आवश्यकता है कि अभिरक्षा में रह रही अधिकतर महिलाएं समाज के वंचित/गरीब तबके की होती है और यदि ऐसी विधिक सहायता उन्हें उपलभ्य नहीं होगी तो वे न्याय प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकती है। संक्षेप में इस प्रकार निरीक्षण करने से अभिरक्षा गृहों के संवासियों के लिए एक बेहतर, सुरक्षित और जेंडर संवेदनशील वातावरण का सृजन होता है जिससे ऐसी संस्थाओं से रिहा होने के पश्चात् संवासियों द्वारा सामना किए जाने वाला सामाजिक बहिष्कार भी कम हो जाता है। इससे विभिन्न कल्याण क्रियाकलापों, शैक्षणिक कार्यक्रम, कौशल विकास प्रशिक्षण, मनोरंजन क्रियाकलाप, पारिश्रमिक कार्य इत्यादि के कारण रिहा होने से पहले तथा रिहा होने के बाद समाज और परिवार में पुनः घुलने–मिलने में सहायता भी मिलती है।

1.5 इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयोग के प्रयासों का परिणाम वस्तुनिष्ठ हो और स्थिति का उचित आकलन किया जा सके और महिला वार्डों में जेल की दशा मानवोचित हो इस बाबत विचार/निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आयोग ने जेलों का निरीक्षण करने के लिए एक व्यापक प्रोफार्मा तैयार किया है। इस जेल प्रोफार्मा को दिसंबर, 2017 के अंत में डी.जी./ए.डी.जी./आई.जी. कारागार और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में के जेलों के भारसाधक अधिकारियों के साथ साझा किया गया। आयोग की वेबसाइट पर इस जेल निरीक्षण प्रोफार्मा की प्रति अपलोड की गई है जिससे सभी संबंधित व्यक्तियों को यह आसानी से उपलब्ध हो सके। सर्वोत्तम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिपाटियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोफार्मा को इस रीति में तैयार करने का प्रयास किया गया है जिससे कि सभी संभव क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाए। जनवरी, 2018 में सभी संबंधित व्यक्तियों को इस बाबत पत्र भेज दिए गए और उनसे यह अनुरोध किया गया कि वह 15 फरवरी, 2018 तक इस जेल प्रोफार्मा को भरकर आयोग को प्रस्तुत कर दें। सम्यक् रूप से भर गए विहित प्रोफार्मा में जानकारी काफी जेलों से प्राप्त हो गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा निरीक्षण करने का आधार प्रोफार्मा में जेल प्राधिकारियों से प्राप्त जानकारी है।

1.6 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सभी कारागारों/अभिरक्षा गृहों का निरीक्षण करना संभव नहीं था इसलिए राज्य महिला आयोगों को इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अनुरोध किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों के बीच हुए ठहराव के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा केन्द्रीय जेलों का निरीक्षण किया जा रहा है और राज्य आयोगों द्वारा जिला और अन्य जेलों का निरीक्षण किया जा रहा है। तारीख 23 जुलाई, 2018 तक राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 20 केंद्रीय जेलों का निरीक्षण किया गया।

1.7 आयोग ने तारीख 28 नवंबर, 2017 को और तारीख 15 मई, 2018 को दोबारा राज्य महिला आयोगों के अध्यक्ष को पत्र लिखा था और उनसे यह अनुरोध किया था कि वे जेलों का निरीक्षण करें विशेष रूप से जिला जेलों का। राज्य

आयोगों के साथ एक संवाद बैठक में भी इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया था जहां इस व्यवस्था के संबंध में सहमति हुई थी। राज्य महिला आयोगों द्वारा कई कारागारों का निरीक्षण करने के संबंध में रिपोर्ट मिली है। तथापि, सभी राज्य महिला आयोगों से पूरे ब्यौरे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.8 राष्ट्रीय महिला आयोग ने कारागार प्राधिकारियों द्वारा भरे गए प्रोफार्मा की संवीक्षा प्रोफार्मा में दी गई जानकारी के आधार पर कमियों को चिह्नित करने को अभिनिश्चित करने के लिए की गई है। ये निष्कर्ष विहित प्रोफार्मा में यथा अंतर्विष्ट है और जानकारी की संवीक्षा पर आधारित है जिन्हें आयोग द्वारा पाई गई कमियों को दूर करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए जेल प्राधिकारियों के साथ साझा किया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोगों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के लंबित रहते हुए एक अंतिरम कार्यवाही के रूप में ऐसा किया जा रहा है।

अध्याय II

केंद्रीय कारागारों का निरीक्षण– कुछ सकारात्मकताएं

2.1 राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रोफार्मा को अंतिम रूप देने और उसे कारागार प्राधिकारियों को उपलब्ध कराने के पश्चात्, तारीख 23 जुलाई, 2018 तक 20 केंद्रीय जेलों का निरीक्षण किया गया है इसके ब्यौरे नीचे दिए गए है:

क्रम सं	जेल का नाम	निरीक्षण की तारीख
1.	केंद्रीय जेल, अंबाला, हरियाणा	6 फरवरी, 2018
2.	केंद्रीय जेल, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	14 फरवरी, 2018
3.	सुधार घर (केंद्रीय जेल), अमृतसर, पंजाब	27 फरवरी, 2018
4.	जेल, बिरसा मुंडा, रांची, झारखंड	28 फरवरी, 2018
5.	केंद्रीय जेल, गुरदासपुर, पंजाब	28 फरवरी, 2018
6.	केंद्रीय जेल, बैंगलोर, कर्नाटक	10 मार्च, 2018
7.	केंद्रीय जेल, भोपाल, मध्य प्रदेश	23 मार्च, 2018
8.	केंद्रीय जेल, इम्फाल, मणिपुर	10 अप्रैल, 2018
9.	केंद्रीय जेल, मोतीहारी, बिहार	19 अप्रैल, 2018
10.	केंद्रीय जेल, मुजफ्फरपुर, बिहार	20 अप्रैल, 2018
11.	केंद्रीय जेल, फरीदकोट, पंजाब	20 अप्रैल, 2018
12.	केंद्रीय जेल, बाइकुला, मुंबई, महाराष्ट्र	27 अप्रैल, 2018
13.	केंद्रीय जेल, यरवदा, पुणे, महाराष्ट्र	3 मई, 2018
14.	केंद्रीय जेल, बिशालगढ़, त्रिपुरा	24 मई, 2018
15.	केंद्रीय जेल, अहमदाबाद, गुजरात	29 मई, 2018
16.	केंद्रीय जेल, वडोदरा, गुजरात	30 मई, 2018
17.	सेंट्रल जेल, कोलवेल, गोवा	29 मई, 2018
18.	सेंट्रल जेल, दिमापुर नागालैंड	8 जून, 2018
19.	केंद्रीय जेल, चेन्नई, तमिलनाडु	22 जून, 2018
20.	तेजपुर सेंट्रल जेल, सोनितपुर, असम	28 जून, 2018

2.2. निरीक्षण के दौरान यह पता चला है कि सरकार और कारागार प्राधिकारियों के सामूहिक प्रयासों के कारण कई मामलों में महिला संवासियों के कल्याण और उनके अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बुनियादी संस्थानिक संरचना सफलतापूर्वक स्थापित कर दी गई है। अभिरक्षा गृहों में महिला संवासियों के कल्याण पर असर डालने से संबंधित कुछ इंतजामों/व्यवस्था के संबंध में पश्चात्वर्ती पैराओं में ब्यौरे–वार दिया गया है।

अलग–अलग बैरकों में महिला संवासियों के लिए स्थान निर्धारित करना

2.3 अधिकतर कारागारों में महिला संवासियों को ऐसी बैरकों में रखने की संस्थागत व्यवस्था की गई है जो कि उन बैरकों से अलग है जिन बैरकों में पुरूष संवासियों को रखा जाता है। तथापि, कारागारों में सिद्धदोष और विचारणाधीन व्यक्तियों को बिल्कुल अलग रखने की प्रक्रिया को अभी निष्पादित किया जाना है। इसी प्रकार कई मामलों में पक्के सिद्धदोष व्यक्तियों को और छोटे–मोटे अपराधों के लिए दोषसिद्ध किए गए व्यक्तियों को भी अभी अलग रखना संभव नहीं हुआ है।

पाकशाला की व्यवस्थाएं

2.4 पुरूष/महिला बैरकों के लिए अलग से रसोई/खाने की व्यवस्था की जाती है किंतु कुछ मामलों में एक ही रसोईघर में खाना तैयार किया जाता है और उसे महिला वाडों में भेजा जाता है। कुछ मामलों में रसोई से संबंधित अलग अलग कार्य को निपटाने के लिए श्रमिकों का विभाजन किया गया है। उदाहरणार्थः कुछ जेलों में महिला वार्डों में रोटियां तैयार की जाती है और पुरूष वाडों में अन्य खाने की मदों को तैयार किया जाता है।

अनन्य महिला कर्मचारियों/जेल वार्डनों की उपलब्धता

2.5 अधिकतर जेलों में महिला बैरकों में कम से कम कुछ महिला कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। तथापि, अधिकारी वर्ग की बाबत स्थिति समाधानप्रद नहीं है क्योंकि अधिकतर मामलों में अभी भी महिला बैरक पुरूष उप–अधीक्षक के भारसाधन के अधीन है।

डी.एल.एस.ए. के माध्यम से विधिक सहायता की उपलब्धता

2.6 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षण के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद संवासियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए अधिवक्ताओं को प्रतिनियुक्त करने की व्यवस्था की गई है। डी.एल.एस.ए. संवासियों को उनके विधिक अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए जेलों में शिविरों का आयोजन भी करता है और अभियोजन की बाबत उनके मामलों की प्रगति के बारे में व्यक्तिगत रूप से संवासियों को अवगत भी कराता है। तथापि, कुछ मामलों में आयोग के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत के दौरान संवासियों ने यह बताया कि विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए अधिवक्ताओं ने उनसे रकम का भुगतान करने की मांग की थी।

परामर्श देने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग

2.7 अधिकतर जेलों में किसी न किसी गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि उपलब्ध होते हैं और संवासियों को परामर्श देने के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। तथापि, उनकी ये सेवाएं केवल धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवचनों, योग और धार्मिक व्यक्तियों द्वारा कराएं जा रहे ध्यान तक ही सीमित है जैसे कि आर्ट ऑफ लीविंग जैसी संस्थाएं यह कार्य कर रही है।

साक्षरता और शिक्षा के लिए व्यवस्था

2.8 कई कारागारों में खुले और दूरस्थ अध्ययन (ओ.डी.एल.) के माध्यम से साक्षरता और आगे शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की गई है। कुछ मामलों में बालगृह और महिला संवासियों के साथ रह रहे बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं भी दी जा रही है। कुछ कारागारों में, कारागार में रह रहे संवासियों के बच्चों का जेल के बाहर के विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया है और इस संबंध में ऐसे बच्चों के बारे में विद्यालय के अन्य बच्चों को नहीं बताया जाता हैं।

व्यवसायिक/कौशल प्रशिक्षण

2.9 कुछ कारागारों में महिला संवासियों को व्यवसायिक/कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराने के लिए व्यवस्था की गई। तथापि, ये केवल कपड़ा काटने, सिलाई, बुनाई और कढ़ाई आदि तक ही सीमित है। यह प्रशिक्षण केवल अधिकतर स्थानों में सिद्धदोष तक ही सीमित है और अभिरक्षा गृहों में रहने वाले विचारणाधीन व्यक्तियों को इस आधार पर यह प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है क्योंकि उनका वहां पर रहना निश्चित नहीं है इसलिए, ऐसे क्रियाकलापों को लागू करने की योजना में कठिनाई हो रही है।

चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाएं

2.10 संवासियों को नर्सों, जनरल ड्यूटी डाक्टर और विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। यद्यपि जनरल ड्यूटी डाक्टरों की सेवाएं केवल कारागार में उपलब्ध होती है और विशेषज्ञों की सेवाएं या तो उनके दौरे पर या किसी स्थानीय सरकारी अस्पताल में संवासियों को भेजे जाने के आधार पर उपलब्ध होती है।

मनोरंजन क्रियाकलाप

2.11 महिला वार्डों/बैरकों में अक्सर किसी न किसी रूप में मनोरंजन क्रियाकलाप उपलब्ध कराएं जाते हैं। इसके अंतर्गत टेलीविज़न, गाना, नाचना, अंदर खेले जाने वाले खेल, धार्मिक उपदेश, प्रार्थना कक्ष, योग/ध्यान आदि है।

अध्याय III

राज्य महिला आयोगों द्वारा किया गया निरीक्षण

3.1 राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों के बीच हुई सहमति के अनुसार कई राज्य महिला आयोगों ने भी कारागारों का निरीक्षण किया। उनकी रिपोर्टों से छांट कर जो संक्षिप्त ब्यौरे तैयार किए गए है उनका सारांश में पश्चात्वर्ती पैराओं में नीचे दिया जा रहा है।

ओडिशा राज्य महिला आयोग

3.2 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विहित किए गए प्रोफार्मा के अनुसार महिला संवासियों को रखने के लिए पूरे राज्य के निम्नलिखित 10 जेलों का राज्य महिला आयोग ने निरीक्षण किया:

क) सर्किल जेल

- सर्किल जेल कोरापुट
- सर्किल जेल कटक

ख) विशेष जेल

- विशेष जेल राउरकेला
- विशेष जेल भुवनेश्वर

ग) जिला जेल

- जिला जेल भवानीपुत्र
- नारी बंदी निकेतन, संभलपुर

घ) उप–जेल

- उप–जेल खोरधा
- उप–जेल जगतसिंहपुर
- उप–जेल गजपति
- उप–जेल जयपुर

पर्यवेक्षणः–

3.3 राज्य आयोग का पर्यवेक्षण नीचे दिया जा रहा हैः

i) पर्यवेक्षक और अन्य स्तरों पर खाली पदों के कारण कर्मचारियों की संख्या अत्यधिक कम है।

ii) मंजूर किए गए पदों पर 90 प्रतिशत पुरूष कर्मचारियों को भर्ती किया गया है।

iii) अधिकतर जेलों में सार्वजनिक क्षेत्र जैसे कि कक्षाएं, पुस्तकालएं, अंदर खेले जाने वाले खेल आदि की व्यवस्था नहीं है।

iv) अधिकतर जेलों में बालगृह की सुविधा नहीं है।

v) अधिकतर जेलों में जेल संवासियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त जहां कहीं प्रशिक्षण दिया जाता है वहां प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् कोई प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता है।

vi) अधिकतर जेलों में शैक्षणिक, व्यवसायिक और विभिन्न क्षेत्रों में के अन्य कार्यक्रम उपलब्ध नहीं है। इन कार्यक्रमों से केवल ''महिलाओं'' की रूढिगत उपजीविकाएं दर्शित होती है।

vii) अधिकतर जेलों में गैर सरकारी संगठन शामिल नहीं है।

viii) महिला बैरकों में अधिकतर संवासी या तो अशिक्षित है या केवल प्राथमिक स्तर तक शिक्षित है।

ix) सामान्य रूप से जेलों में महिला संवासियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। कुछ मामलों में विशेषज्ञ चिकित्सा डाक्टरों, विशेष रूप से स्त्री रोग विज्ञानी, की सेवाएं उपलब्ध नहीं है।

x) कारागारों में संवासियों को उनके अधिकारों, कर्त्तव्यों और बाध्यताओं के बारे में जागरूक करने के लिए विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं।

xi) यह नोट किया गया है कि सिद्धदोष महिलाओं और विचारणाधीन महिलाओं को अलग नहीं रखा जाता है और उन्हें एक ही बैरक में रखा जाता है। मानसिक रूप में ग्रस्त संवासियों को भी अलग नहीं रखा जाता है।

xii) कुछ जेलों में गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली संवासियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी नहीं किए गए हैं।

xiii) महिला संवासियों के लिए किचन गार्डन या रसोईघर से संबंधित सुविधाओं की कमी है।

xiv) केवल सर्किल जेल, कोरापट महिला संवासियों के रिहा होने के अभिलेख को बनाए रखता है।

तेलगांना राज्य महिला आयोग

3.4 आयोग ने एक कारागार अर्थात् महिलाओं के लिए विशेष कारागार, हैदराबाद (तेलंगाना) का निरीक्षण किया।

पर्यवेक्षण

i) एस.आई.सी.ए. पर अक्सर संवासियों और जेल कर्मचारियों के लिए संवेदीग्राही कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

ii) जिन संवासियों की चिकित्सा किए जाने की आवश्यकता होती है केवल उनके स्वास्थ्य कार्ड को बनाए रखे जाते हैं। यथाअपेक्षित आधार पर संवासियों का टीकाकरण, विशेष खाना और ओषधि दी जाती है।

iii) समय पर संवासियों और उनके बच्चों को टीका लगाया जाता है।

iv) प्रत्येक संवासी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ब्यौरेवार उनका उचित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है।

v) जेल प्राधिकारी परामर्शदाताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता से महिला संवासियों के रिहा होने के पश्चात् उनके अभिलेख को बनाए रखा जाता हैं।

vi) ऐसी महिला संवासियों को जिनका विगत में कोई अपराधिक इतिहास नहीं है उन्हें अलग रखा जाता है।

vii) परंपरागत क्षेत्रों में कौशल विकास, जैसे कि बुनियादी दर्जीगीरी, श्रृंगार व्यवसाय, प्रक्षालक बनाना, सफाई का पाउडर, फेनाइल, खाद्य प्रस्संकरण, रेशमी धागा, चूडिया/कान की बाली बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। जनशिक्षण समस्था और टाटा कंसलटेन्सी सेवाओं के प्रमाणीकरण के अधीन कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है:

viii) निर्माण संगठन और भूमिका हेल्पलाइन नामक गैर सरकारी संगठन संवासियों के साथ काम करते हैं:

ix) प्रतिदिन 3:30 बजे अपराह्न से लेकर 4 बजे अपराह्न तक मनोरंजन और खेल क्रियाकलाप आयोजित किए जाते हैं।

x) दो वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चे अग्रेंजी माध्यम विद्यालय में जाते हैं।

xi) प्रत्येक चौथे शनिवार को जेल परिसर के भीतर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग

3.5 आयोग ने पूरे राज्यों में महिला संवासियों को रखने के 30 जिलों के कारागारों का निरीक्षण किया है, ये जिले हैं:–

छिंदवाडा, रीवा, ग्वालियर, सागर, विदिशा, खंडवा, दामोह, छत्तरपुर, टीकमगढ़, जबलपुर, देवास, राजगढ़, कटनी, सतना, धार, अलीराजपुर, घाबुआ, शहडोल, सिधि, रतलाम, नीमच, बेतुल, मानसोर, मंडला, बालाघाट, सिवानी, गुना, अशोक नगर, भोपाल, इंदौर।

पर्यवेक्षणः–

3.6 आयोग ने व्यापक रूप से निम्नलिखित राय व्यक्त की हैः–

i) अधिकतर जेलों में बालगृह की सुविधा नहीं है।

ii) अधिकतर जेलों में जेल संवासियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है।

iii) सामान्य रूप से जेलों में महिला संवासियों को चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। कुछ मामलों में विशेषज्ञों चिकित्सीय डाक्टरों, विशेषरूप से स्त्री रोग विज्ञानी की सेवाएं उपलब्ध नहीं है।

iv) कुछ जेलों में यह पाया गया कि संवासियों को जो खाना परोसा जाता है उसकी गुणवत्ता घटिया है।

v) बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मामले है जहां विचारणाधीन महिलाए काफी लंबी अवधि से जेलों में बंद हैं। जबकि जिन अपराधों के मामलों में जमानत अनुज्ञेय है वहां पर भी तीन मास के पश्चात् भी उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया गया है।

अध्याय IV

निष्कर्ष और मुख्य कमियां

4.1 अब तक आयोग द्वारा जो निरीक्षण किए गए है उनके आधार पर यह पाया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिला संवासियों से जेलों के भीतर गरिमा और आदर के साथ व्यवहार हो। इस संबंध में कुछ कतिपय सामान्य कमियों/त्रुटियों का समाधान करने की आवश्यकता है। अब तक राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जिन 20 जेलों का निरीक्षण किया गया है ऐसे प्रत्येक जेल की बाबत जो राय/सिफारिशें है उसका सार उपाबंध I पर दिया गया है। अध्याय 3 में राज्य महिला आयोगों के निष्कर्ष/विचार उल्लिखित है। संक्षेप में अधिकतर कारावासों में जो सामान्य कमियां पाई गई है उनका उल्लेख पश्चात्वर्ती पैराओं में किया जा रहा है।

प्राधिकृत संवासियों से अधिक संवासी

4.2 आयोग द्वारा जिन जेलों का निरीक्षण किया गया है उनमें अधिकतर महिला बैरकों में संवासियों की संख्या उपलब्ध संरचना और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्राधिकृत संवासियों की संख्या से अधिक है। इसके परिणामस्वरूप उपलब्ध स्थान, पलंग, पलंगों की बीच आवागमन के लिए स्थान, उचित स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता, शौचालय आदि के कारण संवासियों के रहने की दशा में बहुत गिरावट आई है।

सफाई/स्वच्छता

4.3 अधिकतर मामलों में महिला वार्डों की स्वच्छता और सफाई की दशा बहुत दयनीय है और इसका कारण यह है कि हर समय उपलब्ध पानी और ऊपर लगे हुए टैंक उपलब्ध नहीं है तथा जल भंडारण सुविधाएं, अपर्याप्त संख्या में शौचालय या स्नानघर उपलब्ध हैं। इसलिए इन सुविधाओं को तुरंत बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार रसोईघर में हर समय उपलब्ध पानी की सुविधा भी आवश्यक है जिससे कि स्वच्छ रीति और वातावरण में खाना बनाने को सुनिश्चित किया जा सके।

व्यक्तिगत सफाई के लिए सुविधाएं

4.4 हर जेल में प्रदान की जाने वाली व्यक्तिगत प्रसाधन सामग्री की मात्रा अलग अलग है। संवासियों को पर्याप्त व्यक्तिगत प्रसाधन सामग्री जिसके अंतर्गत प्रत्येक संवासी को अलग अलग कंघे/शीशा और उनकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त संख्या में सेनेटरी नेपकिन और उनके निपटान के लिए उचित सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है।

कर्मचारियों की कमी

4.5 ज्येष्ठ और पर्यवेक्षक स्तर पर जेल में कर्मचारियों की कमी है और अन्य कर्मचारी भी पर्याप्त नहीं है। जेल पर्यवेक्षकों/वार्डनों और अन्य कर्मचारियों की संख्या मंजूर किए गए पदों की संख्या से कम है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। मंजूर किए गए पदों की संख्या के अनुसार सभी रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की आवश्यकता है।

4.6 कारागार सेवा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को निश्चित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए और महिला अधिकारियों/गार्डों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है जिससे कि वे अपनी मृदु कौशल को अद्यतन कर सके और विशेष रूप से महिला संवासियों के साथ ठीक प्रकार से व्यवहार कर सके। ऐसी रिपोर्टें मिली है कि महिला वार्डन भी महिला संवासियों के साथ गाली–गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करती है। इसलिए महिला वार्डन में तैनात कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना आवश्यक है।

संवासियों को अलग अलग रखना

4.7 सामान्य रूप से यह पाया गया है कि सिद्धदोष महिलाओं और विचारणाधीन महिलाओं को अलग नहीं रखा जाता है और उन्हें एक ही बैरक में रखा जाता है। यह जेल मैनुअल के उपबंधों के प्रतिकूल है। जेल प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन दोनों वर्गों को अलग अलग रखा जाए। तथापि, इन दोनों को एक साथ कुछ क्षेत्रों में जैसे कि पुस्तकालय, कौशल प्रशिक्षण/प्रौढ़ शिक्षा के लिए कक्षाओं में एक साथ रहने की अनुज्ञा दी जा सकती है किंतु उन्हें अलग बैरकों/वार्डों में रखना आवश्यक है। जेल में छोटे–मोटे अपराधों के लिए और पहली बार जो अपराधी आते हैं उन्हें पक्के अपराधियों से अलग रखने की आवश्यकता है। किसी भी संवासी की पोशाक का रंग सफेद नहीं होना चाहिए क्योंकि कई संवासियों ने इसका विरोध किया है।

विचारणाधीन महिलाओं को लंबी अवधि तक जेलों में रखा जाना/घटिया विधिक सहायता

4.8 कई मामलों में विचारणाधीन महिलाओं को काफी लंबी अवधि तक जेलों में रखा जाता है और यहां तक कि जमानतीय अपराधों के मामलों में भी ऐसा होता है। आंशिक रूप से इसका कारण संवासियों को उपलब्ध विधिक सहायता में कमी है। इसके अतिरिक्त कई मामलों में संवासियों को जमानत मिल जाती है तब भी उन्हें अपेक्षित जमानत की रकम की व्यवस्था न कर पाने के कारण जेलों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

4.9 ऐसे सभी मामलों का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता है जहां महिलाएं 3 मास से अधिक की अवधि से जेलों में है और उन्हें जमानत प्राप्त करने के लिए कुशल और गुणवत्ता विधिक सहायता प्रदान कराने की आवश्यकता है या अपील या पुनर्विलोकन के माध्यम से जमानत की रकम को कम करने की व्यवस्था करनी चाहिए। गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए और उन्हें संवासियों के लिए जमानत की

रकम की व्यवस्था करने का इस प्रकार प्रयास करना चाहिए जिससे कि संवासी असम्यक् लंबी अवधि तक जेल में न रहें।

4.10 जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि कुछ अधिवक्ताओं के बारे में भ्रष्टाचार किए जाने का अभिकथन किया गया है और वे विधिक सहायता प्रदान करने और संवासियों के मामलों में कार्रवाई करने के लिए उनसे धन की मांग करते हैं। ऐसे मामलों में विचार करने की आवश्यकता है और इस बाबत सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संवासियों को उनके अधिकारों, कर्त्तव्यों और बाध्यताओं के बारे में जानकारी देने के लिए कारागारों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करते हैं। डी.एल.एस.ए. द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए अधिवक्ता नियमित रूप से कारागारों का दौरा करते हैं और महिला संवासियों को जमानत, अपील, प्रतिरक्षा, पैरोल आदि जो उन्हें विधि के सामान्य निबंधनों के अधीन उपलब्ध है इन विकल्पों के बारे में व्यापक रीति में जानकारी प्रदान करते हैं। तथापि, जेल प्राधिकारियों की उपस्थिति में नियमित रूप से सभी विचारणाधीन व्यक्तियों के मामलों का पुनर्विलोकन करने की और उन्हें जेल से रिहा करने की प्रक्रिया को आरंभ करने की आवश्यकता है।

अपराध की प्रकृति

4.11 अधिकतर महिला संवासियों को घरेलू हिंसा और हत्या के लिए सिद्धदोष किया जाता है और वे 2 से लेकर 15 वर्ष तक की अवधि तक जेल में रहती है। विचारणाधीन महिला भी लंबी अवधि तक जेल में रहती हैं।

संवासियों और उनके बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं

4.12 महिला बैरकों में अधिकतर संवासी या तो अशिक्षित है या उन्होंने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है। तथापि, ऐसे संवासियों की संख्या कम है जो शैक्षणिक रूप से (स्नातक या उससे ऊपर के स्तर तक) अर्हित है और उन्हें भी महिला बैरकों में रखा जाता है। ऐसे संवासी जो अशिक्षित है उनके लिए साक्षरता कक्षाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, उनको और आगे की शिक्षा दूरस्थ शिक्षा/खुला विद्यालय/विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रदान की जा सकती है। जेल प्राधिकारी साक्षर कक्षाओं को लेने के लिए शिक्षित संवासियों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। अशिक्षित संवासियों को पढ़ाने के लिए शिक्षित संवासियों की सेवाओं का उपयोग करके व्यस्क साक्षरता की व्यवस्था जेल की अंदर ही की जानी चाहिए और ऐसी पद्धति बनाई जानी चाहिए जिससे की अध्यापक और विद्यार्थी दोनों को पारितोषिक दिया जा सके।

4.13 ऐसे मामलों की संख्या कम है जिनमें महिला संवासी अपने बच्चों के साथ जेल में है। साधारण रूप से जेल प्राधिकारियों द्वारा बच्चों को विद्यालयों में भेजने की व्यवस्था की जाती है। तथापि, कुछ मामलों में इस बाबत उपेक्षा की जाती है जिसकी वजह से बच्चे अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित हो जाते हैं। उपलब्ध सरकारी योजनाओं को ठीक करने की आवश्यकता है और गैर सरकारी संगठनों को साक्षरता, शैक्षणिक विकास और संवासियों के प्रशिक्षण में शामिल करने की आवश्यकता है।

व्यवसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास

4.14 जेल प्राधिकारियों ने जेल संवासियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की है। इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है और गैर सरकारी संगठनों/लॉयन क्लब/रोटरी क्लब आदि के सहयोग से और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम/सैक्टर की विनिर्दिष्ट कौशल परिषदों आदि से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। आज के समाज/बाजार को ध्यान में रखते हुए सुसंगत नए क्षेत्रों में महिला संवासियों के लिए प्रशिक्षण/कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। जेल के निकट क्षेत्र में के स्थानीय उद्योगों को भी महिला संवासियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शामिल करना चाहिए और तत्पश्चात् उद्योग ऐसे संवासियों की सेवाओं का उपयोग कर सका हैं। संबंधित प्राधिकारियों को जेलों में ऐसे कार्यक्रम आरंभ करने चाहिए जिससे की संवासी अपनी कुशलता का विकास कर सके और प्रशिक्षण के दौरान मजदूरी कमा सके तथा लाभप्रद पद प्राप्त करके गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके।

संवासियों के परिवार/बच्चों के साथ बातचीत

4.15 ऐसी महिला संवासी जिनके बच्चे है पर वे अन्य स्थानों में रह रहे हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे की संवासी अपने बच्चों के साथ जेल परिसरों के भीतर मिल सके। सामाजिक संबंध छिन्न–भिन्न होने और परिवार के साथ संपर्क में कमी/परिवार के सदस्यों/बच्चों से न मिलने के कारण कभी कभी घोर मानसिक समस्याएं हो जाती है। इसलिए जेल प्राधिकारियों को निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए और महिला संवासियों को यह सुविधा दी जाए कि वे नियमित रूप से अपने परिवार/संबंधियों के संपर्क में बनी रही। तथापि, यदि परिवार के सदस्यों के लिए कारागार और उनके रहने के स्थान के बीच दूरी होने के कारण बार बार संवासियों से मिलना संभव नहीं है तब उन्हें तकनीकी/विधिक उपबंधों के अधीन रहते हुए उनकी पसंद के किसी ऐसे जेल में स्थानांतरित किया जाना चाहिए जो परिवार के सदस्यों के रहने के स्थान के पास हो।

अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं

4.16 जेलों में महिला संवासियों के लिए सामान्य रूप से चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। कुछ मामलों में विशेषज्ञ डाक्टरों विशेष रूप से स्त्री रोग विज्ञानी की सेवाएं उपलब्ध नहीं है। विशेषज्ञ डाक्टरों की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए बीमार संवासियों को नजदीक के सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है और विशेषज्ञों द्वारा यथाविहित चिकित्सीय परीक्षण/अन्वेषण के लिए फिर से बाहर ले जाने की आवश्यकता होती है। जेल से बाहर संवासियों को ले जाने के लिए और यहां तक कि चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए भी सिविल पुलिस द्वारा संवासियों को ले जाया जाता है। जब संवासियों को न्यायालयों में उनके मामलों की सुनवाई के लिए ले जाया जाता है तब उन दिनों भी यही पुलिस कर्मचारी उनके साथ जाते है। इसके परिणामस्वरूप अस्पताल सेवाओं और प्रयोगशाला परीक्षण/अन्वेषण प्रदान करने में विलंब होता है। इसलिए यह

सिफारिश की जाती है कि ओषधि, प्रसूति और स्त्री रोग तथा त्वचा रोग के विशेषज्ञ डाक्टरों की सेवाओं की व्यवस्था जेल में ही की जाएं और इस प्रयोजन के लिए विशेषज्ञ साप्ताहिक/पाक्षिक आधार पर जेल का दौरा कर सकते हैं। सामान्य अन्वेषण/प्रयोगशाला परीक्षणों के लिए मान्यताप्राप्त रोग निदान प्रयोगशालाओं की सेवाएं जेल के भीतर ही प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए और इस कारण संवासियों को इस प्रयोजन के लिए जेल से बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रयोजन के लिए जेल प्राधिकारियों द्वारा व्यवस्था करनी चाहिए है।

स्वास्थ्य अभिलेखों को बनाए रखना

4.17 महिला संवासियों की चिकित्सीय परीक्षा उस समय की जाती है जब वे आरंभ में जेल में आती है किंतु तत्पश्चात् सामायिक चिकित्सीय जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक महिला संवासी की चिकित्सीय परीक्षा डाक्टरों के ऐसे बोर्ड, जिसमें विशेषज्ञ भी शामिल हो, द्वारा 3 मास के अंतराल के पश्चात् समय समय पर की जानी चाहिए। यदि नियमित चिकित्सीय डाक्टर के उपलब्ध होने की बाबत कोई कठिनाई है तब जेल प्राधिकारियों को पास ही के चिकित्सीय महाविद्यालयों के साथ परामर्श करके इंटर्न की सेवाओं को प्राप्त करने की संभावना का पता लगाना चाहिए।

कारागारों में टेली मेडिसिन पोर्टल की व्यवस्था

4.18 जेलों में प्रभावी रूप से टेली–मेडिसिन सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।

जेल प्राधिकारियों के साथ जानकारी सांझा करना

4.19 सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ करने के लिए कारागार प्राधिकारी को ये त्रुटियां बता दी गई है। इस बाबत अनुस्मारक जारी किए जाए और पश्चात्वर्ती निरीक्षणों के दौरान सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए इसकी जांच पड़ताल की जाएगी।

प्रोफार्मा की संवीक्षा

4.20 ऊपर जिन कमियों को सूचीबद्ध किया गया है उसमें, जेल निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विहित किए गए प्रोफार्मा में कुछ जेलों द्वारा जो जानकारी प्रस्तुत की गई है उनकी संवीक्षा से जो निष्कर्ष निकला है, शामिल किया गया है। राष्ट्रीय महिला या राज्य महिला आयोग द्वारा अभी इन कारागारों का वास्तविक निरीक्षण किया जाना है। ऐसे 96 कारागारों के मामले में जहां से विहित किए गए प्रोफार्मा में जानकारी प्राप्त हो गई है उनमें इंगित की गई त्रुटियों का संक्षिप्तसार और आयोग द्वारा की संवीक्षा उपाबंध 2 पर है।

अध्याय V

सिफारिशों का सारांश

5.1 अध्याय 3 और अध्याय 4 और उपाबंधों का परिशीलन करने से यह स्पष्ट है कि कारागारों/संरक्षण गृहों में रखी गई महिलाओं की दशा सुधारने के लिए कई अध्यपायों को आरंभ करने की आवश्यकता है। प्रत्येक जेल की रिपोर्टों के संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए जेल प्राधिकारियों के साथ इन रिपोर्टों को सांझा किया गया है और पश्चात्वर्ती पैराओं में संक्षेप में इनका सार दिया गया है।

रिक्त पदों को भरा जाना

5.2 कारागारों में अधिकारियों और अन्य श्रेणियों में के सभी रिक्त पदों को तुरंत भरा जाना चाहिए।

5.3 कारागारों में पर्याप्त संख्या में महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया जाए जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि महिला कारागारों से संबंधित सभी कार्य अनन्य रूप से महिला कर्मचारियों द्वारा ही किए जाते हैं।

प्राधिकृत संख्या से अधिक संवासी

5.4 महिला वार्डों में महिला संवासियों की प्राधिकृत संख्या की क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहां कहीं संख्या अधिक है वहां पर तकनीकी/विधिक अपेक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए ऐसे संवासियों को उन अन्य कारागारों में स्थानांतरित करने, जहां संवासियों की संख्या कम है, की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए।

अवसंरचना, स्वच्छता और सफाई

5.5 सभी कारागारों में महिला संवासियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त संख्या में शौचालय, वॉसबेसिन, हर समय उपलब्ध पानी का प्रदाय, ओवरहेड टैंक के साथ पानी के भंडारण की सुविधा, विशेष रूप से शौचालय और रसोईघर के लिए, की जाए।

5.6 आनुकल्पी ऊर्जा के स्रोत की व्यवस्था जैसे कि सोलर ऊर्जा की व्यवस्था विभिन्न प्रयोजनों के लिए जैसे कि पानी गर्म करना, सेनेटरी नेपकिन आदि का निपटान करने के लिए भट्टी को प्रज्जवलित करना शामिल हैं।

5.7 प्रत्येक महिला संवासी को पर्याप्त प्रसाधन सामग्री, जिसमें साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, बालों में लगाने वाला तेल, कंघा, छोटा शीशा आदि शामिल है, का प्रदाय करने की व्यवस्था की जाए।

5.8 पर्याप्त संख्या में सेनेटरी नेपकिन दिए जाए और इसके साथ–साथ उनके निपटारे की उचित व्यवस्था की जाए।

कैदियों को अलग अलग रखना

5.9 दोषियों और विचारणाधीन व्यक्तियों को अलग अलग बैरकों/वार्डों में रखा जाए और उनके बीच कम से कम बातचीत होनी चाहिए।

5.10 जेल प्राधिकारियों को निश्चित रूप से यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पक्के अपराधी और पहली बार अपराध करने वाले तथा जो छोटे–मोटे अपराधों में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों को अलग अलग रखा जाए।

5.11 विभिन्न प्रकार की संवासियों को अलग करते समय सामान्य क्षेत्र जैसे कि अंदर खेले जाने वाले खेल, सामान्य कक्ष, पुस्तकालय आदि में बाधा नहीं पड़नी चाहिए।

5.12 वर्दी के रंग जैसे कि कई मामलों में सफेद वर्दी संवासी पहनना पसंद नहीं करती है इसको ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए।

विधिक सहायता

5.13 डी.एल.एस.ए. के माध्यम से प्रदान की जा रही विधिक सहायता की गुणवत्ता में सुधार किया जाए और अधिवक्ताओं द्वारा प्रदान की जा रही सहायता की निगरानी करने की प्रणाली को स्थापित किया जाए।

5.14 यह सुनिश्चित किया जाए कि विधिक सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त किए गए अधिवक्ताओं की योग्यता और निष्ठा प्रमाणित हो।

5.15 ऐसी सभी मामलों में जिनमें अभियोजन में औसत समय से अधिक समय लगा है उसके कारणों को अभिनिश्चित करने के लिए पुनर्विलोकन किया जाए और उपचारात्मक उपाय किए जाए।

5.16 ऐसे सभी मामलों में जहां जमानत अनुज्ञेय है किंतु उसे मंजूर नहीं किया गया है, जमानत मंजूर न करने के कारणों को अभिनिश्चित करने के लिए पुनर्विलोकन भी किया जाए और विनिर्दिष्ट मुद्दों पर कार्यवाही करने के लिए समाधान निकाला जाए।

शैक्षणिक सुविधाएं

5.17 प्रौढ़ साक्षर कक्षाओं की व्यवस्था की जाए जिसके अंतर्गत शिक्षित संवासियों की सेवाओं का उपयोग करना भी है।

5.18 प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार देने की एक प्रणाली तैयार की जाए।

5.19 जेल प्राधिकारियों द्वारा मुक्त विद्यालयों/विश्वविद्यालयों के साथ संपर्क करके उनके स्थानीय केंद्रों के माध्यम से संवासियों के लिए और आगे शिक्षा प्रदान करने को सुकर बनाया जाए।

5.20 जेलों में महिला संवासियों के साथ रह रहे बच्चों के लिए बालगृह और शिशु विद्यालयों की सुविधाएं दी जाएं और इन सुविधाओं को कारागार में ही उपलब्ध कराया जाए। ऐसे मामलों में जहां कारागारों में बच्चों की संख्या कम होने के कारण बाल विद्यालयों की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहां ऐसे बच्चों को बाहर के विद्यालयों में भेजा जाए और ऐसे बच्चों के बारे में यह नहीं बताया जाए कि वे जेल संवासी के बच्चे हैं।

व्यवसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास

5.21 गैर सरकारी संगठनों के सहयोग और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तथा सेक्टर विनिर्दिष्ट कौशल परिषदों की सहायता से महिला संवासियों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास की विद्यमान व्यवस्था को और मजबूत किया जाए।

5.22 आज के समाज/बाजार के लिए सुसंगत कौशल/व्यवसायिक प्रशिक्षण के नए क्षेत्रों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए जिससे कि संवासियों के लिए रोजगार अवसर सुनिश्चित हो सके।

5.23 महिला संवासियों के जेल में अवरूद्ध रहने के दौरान और जेल से रिहा होने के पश्चात् जेलों के आसपास के स्थानीय उद्योगों को महिला संवासियों को प्रशिक्षित करने और उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाए। इससे महिला संवासियों के लिए कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित होगा और वे लाभप्रद उपजीविका के लिए मजदूरी कमा सकेंगी और कारागार के भीतर तथा उनके वहां से रिहा होने के पश्चात् वे गरिमा के साथ अपना जीवनयापन कर सकेंगी।

संवासियों की अपने परिवार और बच्चों के साथ मुलाकात

5.24 ऐसी महिला संवासी जिनके बच्चें जेल से बाहर के स्थानों में रहते हैं उन्हें जेल परिसरों के भीतर अपने बच्चों से मिलने की अनुज्ञा दी जानी चाहिए और इस बाबत विद्यमान निर्बंधनों, यदि कोई है, को हटा दिया जाए।

5.25 जेल प्राधिकारियों द्वारा महिला संवासियों को अपने परिवार/संबंधियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करने की व्यवस्था की जाए।

5.26 ऐसे मामलों में जहां महिला संवासियों के परिवार के सदस्यों के लिए बार बार जेल में आकर उनसे मिलना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि कारागार और उनके निवास स्थान के बीच दूरी है इसलिए ऐसी संवासियों को उनकी पसंद के कारागार में स्थानांतरित करने की, यदि अनुज्ञेय हो, अनुज्ञा दी जाए और परिवार के सदस्यों/बालकों से टेलीफोन पर बातचीत करने की सुविधा प्रदान की जाए।

चिकित्सा सुविधाएं

5.27 कारागारों में चिकित्सीय/स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की और उचित रूप से संगठित करने की आवश्यकता है तथा सभी मामलों में कारागार के परिसरों के भीतर एक साधारण ड्यूटी चिकित्सीय अधिकारी उपलब्ध होना चाहिए।

5.28 विशेषज्ञों विशेष रूप से स्त्री रोग विज्ञानी और त्वचा विज्ञानी की सेवाएं कारागार के भीतर उपलब्ध कराई जाए यहां तक कि ये सेवाएं साप्ताहिक आधार पर भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

5.29 डाक्टर/विशेषज्ञों द्वारा विहित परीक्षण/अन्वेषण के लिए जेल से बाहर महिला संवासियों को ले जाने की आवश्यकता नहीं है और कारागार प्राधिकारियों द्वारा कारागार में ही नमूनों को इकट्ठा करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

5.30 कारागार में आरंभ में प्रवेश करते समय प्रत्येक महिला संवासी की चिकित्सीय रूप से परीक्षा की जाए और उसका चिकित्सा कार्ड तैयार किया जाए।

5.31 डाक्टरों के एक बोर्ड, जिसमें विशेषज्ञ भी शामिल है, द्वारा प्रत्येक तीन या छह मास के पश्चात् महिला संवासियों की कालिक चिकित्सा परीक्षा करने की व्यवस्था की जाए। यदि नियमित चिकित्सीय डाक्टरों की उपलब्धता इस प्रयोजन के लिए कठिन है तब जेल प्राधिकारियों को पास ही के चिकित्सा महाविद्यालयों में इन्टर्नस की सेवाओं को प्राप्त करने की संभावना को तलाशना चाहिए।

टेली-ओषधि पोर्टल

5.32 जेल प्राधिकारियों को जेल में ही टेली ओषधि सुविधा शुरू करनी चाहिए।

उपाबंध 1

राष्ट्रीय महिला आयोग की निरीक्षण किए गए कारागारों पर राय/सिफारिशें।

1. केंद्रीय जेल, अंबाला, हरियाणा

i) जेल के महिला बैरकों के कमरों में अत्यधिक संवासी है। 25×25 वर्गफुट के एक कमरे में 12 संवासी रहती हैं। फर्श पर बिस्तर लगाए गए है और फर्श के बिस्तरों के बीच संवासियों के लिए आने जाने के लिए जगह नहीं छोड़ी गई है। यह सिफारिश की जाती है कि महिला वार्डों में अधिक महिलाओं को न रखा जाए और प्रत्येक संवासी को एक अलग को पलंग दिया जाए और उचित वास सुविधा की व्यवस्था की जाएं।

ii) महिला वार्डों में शौचालयों को साफ रखा जाता है किंतु संवासियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए शौचालयों की संख्या अपर्याप्त है। यह सिफारिश की जाती है कि महिला वार्डों में एक और अतिरिक्त शौचालय ब्लाक की व्यवस्था की जाए जिसमें पर्याप्त सं. में शौचालय सीट और वाश बेसिन हो।

iii) महिला वार्डों में विचारणाधीन और दोषियों को अलग नहीं रखा जाता है। तथापि, उन्हें एक दूसरे के बहुत नजदीक अलग कमरों/हाल में रखा जाता है। यह सिफारिश की जाती है कि महिला वार्डों में दोषियों से विचारणाधीन संवासियों को अलग रखने के संबंध में जेल मैनुअल के उपबंधों का पालन किया जाए।

iv) महिला वार्ड के बहुत नजदीक एक खुली जल निकासी है। यह एक मुख्य स्वास्थ्य/सफाई के लिए परिसंकट है उसको ढकने की आवश्यकता है। यह पाया गया है कि जल निकासी में रूकावट होने के कारण यह खुली नाली बहने लगती है जिससे महिला संवासियों को बहुत अधिक असुविधा होती है। इस बाड़े की लंबाई–चौड़ाई अधिक नहीं है। यह सिफारिश की जाती है कि महिला वार्ड के अंदर खुली नाली को ढका जाए और जेल की नाली में जल निकासी में जो रूकावट है उसे स्थायी रूप से दूर किया जाए।

v) महिला वार्ड की खिड़कियों में शीशे या पर्दे नहीं लगे हुए है। संवासियों को ठंडी हवाओं से बचाने के लिए इन्हें बोरियों से ढका गया है। जेल प्राधिकारियों से यह पता चला है कि जेल मैनुअल के अनुसार शीशे या पर्दे नहीं लगाए जा सकते हैं। तथापि, ठंडी हवाओं के कारण संवासियों को जो असुविधा होती है उसे दूर करने की आवश्यकता है। यह सिफारिश की जाती है कि महिला वार्डों के सामने गलियारें/बरामदें का निर्माण किया जाए जिससे कठोर मौसम की मार से महिला संवासियों को सुरक्षित किया जा सके।

vi) जेल में चिकित्सा अधिकारियों के तीन मंजूर पद है किंतु डाक्टरों को लंबी अवधि के लिए तैनात नहीं किया जाता है। अधिकतर चिकित्सा अधिकारियों जिसमें रेजीडेंट चिकित्सा अधिकारी भी है, को एक मास के अवधि के आसपास चक्रानुक्रम आधार पर प्रतिनियुक्त किया जाता है। इससे जेल संवासियों विशेष रूप से महिला संवासियों के स्वास्थ्य देखरेख पर गंभीर रूप से असर पड़ता है। यह सिफारिश की जाती है कि चिकित्सा अधिकारियों जिनमें रेजीडेंट चिकित्सा अधिकारी भी है के पदों को नियमित आधार पर तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए भरा जाए।

vii) जेल के भीतर संवासियों को विशेषज्ञ चिकित्सा डाक्टरों की सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है। विशेषज्ञ डाक्टरों की सेवाओं के लिए बीमार संवासियों को अस्पताल ले जाया जाता है और विशेषज्ञों द्वारा यथाविहित परीक्षण/अन्वेषण के लिए उन्हें दोबारा बाहर ले जाने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार संवासियों को बार बार बाहर ले जाना आवश्यक होता है और प्रत्येक अवसर पर सिविल पुलिस की अभिरक्षा के अधीन उन्हें बाहर ले जाया जाता है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए, जिसमें संवासियों को न्यायालय में ले जाना भी है, बाहर ले जाने के लिए जेल में केवल चार पुलिस कांस्टेबल तैनात है। इसके परिणामस्वरूप बीमार महिला संवासियों को अस्पताल की सेवाएं और जांच पड़ताल उपलब्ध कराने में बहुत विलंब होता है। यह सिफारिश की जाती है कि ओषधि, प्रसूति और स्त्री रोग तथा चर्म रोग के विशेषज्ञ डाक्टरों की सेवाओं की व्यवस्था अस्पताल में ही की जाएं और इस प्रयोजन के लिए विशेषज्ञ जेल में साप्ताहिक/पाक्षिक आधार पर आ सकते हैं। इसी प्रकार नियमित रूप से अन्वेषण/प्रयोगशाला में जांच के लिए मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा जेल में ही नमूनों को इकट्ठा करने की सेवाओं को उपलब्ध कराया जाए इस प्रकार उक्त प्रयोजन के लिए संवासियों को जेल से बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रयोजन के लिए जेल प्राधिकारियों को एक योजना तैयार करनी चाहिए।

viii) संवासियों को जेल से बाहर, जिसमें अस्पताल ले जाना भी है, ले जाने के लिए जेल में सिविल पुलिस के केवल चार कांस्टेबल तैनात हैं इस वजह से महिला संवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में गंभीर रूप से प्रभाव पड़ता है। यह सिफारिश की जाती है कि संवासियों की चिकित्सीय देखरेख के लिए अनन्य रूप से हरियाणा पुलिस कम से कम दो कांस्टेबलों की सेवाएं उपलब्ध कराएं जो संवासियों के साथ उन्हें अस्पताल, रोग निदान प्रयोगशाला में ला और वापस ले जा सके।

ix) जिस समय संवासियों को आरंभ में जेल में लाया जाता है उस समय उनकी चिकित्सीय जांच की जाती है किंतु इसके पश्चात् उनकी समय समय पर चिकित्सीय जांच करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यह सिफारिश की जाती है कि डाक्टरों के एक बोर्ड, जिसमें विशेषज्ञ भी हो, द्वारा छह मास के अंतराल पर प्रत्येक महिला संवासी की समय समय पर चिकित्सा जांच कराई जानी चाहिए।

x) जेल प्राधिकारियों द्वारा जेल संवासियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जो कि सराहनीय है। तथापि, इस बाबत और कार्यवाही करने की आवश्यकता है। जेल प्राधिकारियों को महिला जेल संवासियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कौशल विकास को और आगे सुकर बनाने के लिए गैर सरकारी संगठनों/

लॉयन क्लब/रोटरी क्लब के साथ सहयोग करना चाहिए। यह सिफारिश की जाती है कि स्थानीय उद्योग जो उपकरणों का निर्माण करते हैं उन्हें महिला संवासियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और उनके कारखाने के उत्पादन में महिला संवासियों की सेवाओं का उपयोग किया जाएं। इसी प्रकार महिला संवासियों के लिए कुछ नियमित उत्पादन क्रियाकलाप जैसे कि अगरबत्ती बनाना, खाद्य प्रसंस्करण, मुरब्बा/आचार बनाने का कार्य आरंभ किया जाएं। यह कार्य ऐसी संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से किया जा सकता है जो कौशल विकास कार्यक्रमों में शामिल हैं।

xi) काफी बड़ी संख्या में महिला संवासी निरक्षर है। चूंकि ऐसी कई उच्च शिक्षित संवासी है जिनके पास व्यवसायिक और स्नात्तकोत्तर आर्हताएं हैं इसलिए जेल प्राधिकारियों को चाहिए कि वे महिला वार्ड के भीतर साक्षर कार्यक्रम आरंभ करें। जेल अधीक्षक से यह अनुरोध किया गया कि वे पांच निरक्षर संवासियों के समूह का गठन करें और उन्हें साक्षर बनाने के लिए किसी शिक्षित संवासी के सुपुर्द कर दें। इस कार्यक्रम में शामिल, संवासियों, जिनमें अध्यापक और शिक्षक दोनों हैं, को अच्छे व्यवहार के लिए पैरोल के लिए अर्हक होने के लिए मान्यता दी जाएं।

xii) ऐसे कुछ संवासी है जिनके संबंधियों ने काफी लंबे समय से उनसे संपर्क नहीं किया है और वे उनसे मिलने भी नहीं आते हैं। स्पष्ट रूप से ऐसे संवासियों की मानसिक दशा खराब होती है। यह सिफारिश की जाती है कि जेल प्राधिकारी तुरंत ऐसे संवासियों के संबंधियों से संपर्क करें जिन्होंने संवासी से संपर्क नहीं किया है और नियमित मुलाकात को सुकर बनाएं तथा जो संवासी निरक्षर है उनकी ओर से पत्र भी लिखें।

xiii) जेल में केवल एक विदेशी संवासी है जो कि तंजनिया से है और वह अपने देश में संबंधियों या दूतावास के साथ संपर्क में नहीं है। जेल प्राधिकारी इस विदेशी संवासी के दूतावास से संपर्क करे और उसके परिवार के साथ पत्र व्यवहार करने की सुविधा प्रदान करें।

xiv) जेल ऐसे संवासियों को जो दोषी है जेल में वर्दी उपलब्ध कराता है जबकि विचारणाधीन को अपनी पोशाकों का स्वयं प्रबंध करना पड़ता हैं। जेल में ऐसी कई महिलाएं है जिनके पास पर्याप्त कपड़ें नहीं हैं। जेल प्राधिकारियों को ऐसे गरीब विचारणाधीन संवासियों के लिए कपड़ों की व्यवस्था करने के लिए उपदेशकों और रोटरी क्लब जैसे संगठनों से संपर्क करना चाहिए क्योंकि ये संगठन ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रजामंद हैं।

xv) ऐसी कई महिला संवासी है जिनके बच्चे उनके साथ जेल में नहीं रहते हैं। जेल प्राधिकारियों को उदारतापूर्वक जेल परिसरों के भीतर ऐसी महिला संवासियों को उनके बच्चों के साथ बार बार मुलाकात कराने की सुविधा मुहैया करानी चाहिए।

xvi) कुछ महिला संवासियों को अवसाद की हालत में पाया गया। अवसाद से ग्रस्त महिला संवासियों को परामर्श देने के लिए मनोवैज्ञानिक की सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। रोटरी क्लब की स्थानीय

शाखा ऐसी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। जेल प्राधिकारियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए संपर्क किया जा सकता है।

xvii) आयोग को कुछ संवासियों से यह शिकायतें मिली है कि विधिक सहायता देने के लिए उन्हें जिन अधिवक्ताओं को नामनिर्दिष्ट किया जाता है वे उनका मामला और आगे अनुसरण करने के लिए उनसे धन की मांग करते हैं। जेल प्राधिकारियों द्वारा राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण के समक्ष इस मामले को उठाया जाएं और यह सुनिश्चित किया जाएं कि जो अधिवक्ता संवासियों से धन की मांग करते हैं उनकी पहचान की जाए और संवासियों को उनकी सेवाएं न दी जाएं तथा उन्हें तुरंत हरियाणा राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ताओं के लिए बनाए रखे गए पैनल से तुरंत हटा दिया जाए। अन्य ऐसे अधिवक्ताओं की सेवाएं उपलब्ध कराई जाए जो इन संवासियों को समयबद्ध रीति से तुरंत कार्यवाही करके विधिक सहायता उपलब्ध करा सकते हो। सभी महिला संवासियों के मामलों में विधिक सहायता की उपलब्धता का अनुवीक्षण जेल प्राधिकारियों द्वारा करने की आवश्यकता है।

2. केंद्रीय जेल, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश

i) कारागार में के कुल 699 संवासी हैं, महिला संवासियों की संख्या केवल 19 हैं इनमें से 6 दोषी हैं और 13 विचारणाधीन हैं, 50 महिला संवासियों की अनुमोदित संख्या के मुकाबले 19 महिला संवासियों में से 14 महिला संवासी निरक्षर हैं।

ii) विभिन्न वर्गों में कुल 169 पद हैं जिनमें से 38 पद रिक्त हैं इसलिए कारागार मंजूर किए गए पदों और इसमें रह रहे संवासियों की संख्या के अनुसार अपने सर्वोत्तम स्तर पर निबंधनों अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि रिक्त पदों को, जिसमें महिला उप जेलर का पद भी है, को तुरंत भरा जाए। महिला संवासियों को रखने की संख्या मंजूर की गई क्षमता तक अर्थात् 50 महिला संवासियों की है, राज्य में के अन्य जेलों से संवासियों को स्थानातंरित करके, यदि संभव हो तो ये संख्या बढ़ाई जा सकती है।

iii) महिला बैरक अच्छी हालत में है और इसमें दोषी और विचारणाधीन संवासियों के लिए अलग अलग वार्ड/कमरें है। संवासियों को पलंग नहीं दिए गए हैं और उन्हें फर्श पर सोने के लिए 2 चादरें और एक तकिया दिया गया है। पर्याप्त रूप से बैरक संवातित है, साफ और स्वच्छ है और इसके आसपास काफी हरियाली है। शौचालय और स्नानघर साफ सुथरे हैं। संवासियों को उचित प्रसाधन सामग्री जैसे कि साबुन, सेनेटरी नेपकिन, दिए जाते हैं। तथापि, शौचालयों में कचरे का डिब्बा नहीं मिला। महिला संवासियों को कारागार में पलंग देने की आवश्यकता है। कारागार में मरम्मत हो रही है और यह आशा है कि मरम्मत के पश्चात् यह कारागार विभिन्न सुविधाओं जिसमें पंखे, बैरकों में टेलीविज़न सेट और स्नानघर और रसोई घर में गर्म पानी करने के लिए सोलर वाटर हीटर से लैस हो जाएगा।

iv) संवासियों को जेल में लगे हुए फोनों के माध्यम से सप्ताह में दो बार टेलीफोन करने की सुविधा दी जाए।

v) चिकित्सीय सुविधाएं समाधानप्रद नहीं है क्योंकि जेल में एक ही डाक्टर तैनात है जो कि चर्म रोग विशेषज्ञ है और वह कारागार से 50 किलो मीटर की दूरी पर रहता है जिससे संवासियों को उपलब्ध कराए जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ता है। इस कारागार में जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी के मंजूर किए गए 3 पद है और 1 पद विशेषज्ञ का है इनके अलावा अन्य परा चिकित्सा कर्मचारियों के पद भी है किंतु ये सब पद रिक्त पड़े हुए है और उन्हें तुरंत भरे जाने की आवश्यकता है। विशेष उपचार के लिए कैदियों को जिला मुख्यालय में के स्थानीय सरकारी अस्पताल में भेजा और ले जाया जाता है जो कि बहुत दूर है। इसके अलावा कारागार में कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ, नर्स और मनोचिकित्सक/मनोविकार का सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। इन पदों को सर्जित करने की आवश्यकता है और कारागार के भीतर अस्पताल की आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

vi) खुराक की मात्रा के अनुसार भोजन दिया जाता है और भोजन की गुणवत्ता अच्छी और पर्याप्त है। रसोईघर की जिम्मेदारी पुरूष संवासियों के सुपुर्द की गई है जो कारागार के सभी संवासियों के लिए भोजन तैयार करते हैं। रसोईघर में बर्तन साफ सुथरे थे।

vii) कारागार में अपेक्षित अवसंरचना सुविधाएं उदाहरणार्थ सामान्य कमरा, पुस्तकालय, खेल का मैदान, प्रार्थना कक्ष, ध्यान और योग के लिए स्थान है। महिला संवासियों और बच्चों को यह सुविधाएं उपलब्ध है।

viii) परंपरागत व्यवसाय जैसे कि सिलाई, बढ़ईगिरी, हस्तशिल्प, जूते/चप्पल बनाना आदि में संवासियों को व्यवसायिक/कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है किंतु पिछले एक वर्ष के दौरान किसी भी महिला संवासी को कौशल विकास प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। खुले कारागार के लिए चिह्नित 45 एकड़ भूमि में संवासियों द्वारा विभिन्न कृषि और बागवानी क्रियाकलाप किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त संवासी दुग्ध कार्य, बेहतर, फर्नीचर, जिसमें कारागार विभाग द्वारा चलाई जा रही स्टील कारखाने के स्टेलनेस स्टील की बनी अलमारी भी है, तैयार की जाती हैं। संवासी ओषधीय पौधों की खेती भी करते हैं। संवासी (पुरूष और महिला दोनों) विभिन्न उत्पादन क्रियाकलापों के माध्यम से करीब 2 करोड़ रूपये का वार्षिक राजस्व पैदा कर रहे हैं। इन सभी क्रियाकलापों में महिला संवासियों को शामिल करने की आवश्यकता है।

ix) संवासियों द्वारा मजदूरी अर्जित की जाती है, नए संवासी को 30 रूपये प्रतिदिन और अकुशल संवासियों को 50 रूपये प्रतिदिन तथा कुशल श्रमिकों को 70 रूपये प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। यह मजदूरी बहुत कम है। संवासी 2 पारियों में अर्थात् 9 बजे पूर्वाह्न से लेकर 11 बजे पूर्वाह्न तक और दोबारा 2 बजे अपराह्न से लेकर 5 बजे अपराह्न तक कार्य करते हैं। सभी संवासी काम नहीं करते है। महिला संवासी कारागार में कौशल विकास के किसी प्रकार के कार्य में शामिल नहीं है। इस भेदभाव की परिपाटी को समाप्त किया जाना चाहिए और सभी संवासियों को उत्पादक क्रियाकलापों में सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा उनके मजदूरी में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए।

x) महिला संवासियों के लिए कौशल प्रशिक्षण और पुनर्वास में सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों को संबंद्ध करने की आवश्यकता है। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई.) के अधीन महिला संवासियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

xi) जेल प्राधिकारी महिला संवासियों को वर्दी प्रदान करते हैं जो कि सफेद साड़ी होती है। महिला संवासियों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। जेल प्राधिकारियों को सफेद साड़ी के स्थान पर रंगीन साड़ी देने की आवश्यकता है।

xii) संवासी जब उपचार के लिए या न्यायालय में सुनवाई के लिए जेल से बाहर जाते हैं तब उनके साथ पुलिस रक्षक जाता है। इसी प्रकार बच्चे जब किशोरगृह जाते हैं तब भी पुरूष पुलिस कांस्टेबल उनके साथ जाते हैं। यह रिपोर्ट मिली है कि रास्ते में इन दोनों वर्गों को उत्पीड़ित और धमकी दी जाती है। इसे बंद करना चाहिए और महिला संवासियों को केवल महिला रक्षक दल के साथ भेजा जाना चाहिए। सिविल पुलिस के साथ परामर्श करने के पश्चात् जेल प्राधिकारियों द्वारा यह व्यवस्था की जानी चाहिए।

3. सुधार घर (केंद्रीय जेल), अमृतसर, पंजाब

i) अमृतसर केंद्रीय जेल और अन्य जेलों के मुकाबले में बड़ी है। अनुमोदित क्षमता 2260 संवासियों (2000 पुरूष और 260 महिला), के स्थान पर जेल में संवासियों की कुल संख्या 3246 (पुरूष 3109 और महिला 137) थी। केंद्रीय जेल के महिला विंग में अधिक महिला संवासी नहीं थी। महिला संवासियों में से 5 विदेशी है और गृह मंत्रालय के उचित चैनल के माध्यम से संबंधित दूतावास के साथ मिलकर उनके मामलों के संबंध में विचार किया जा रहा है। 132 महिला संवासियों में से 83 संवासी विचारणाधीन और 49 दोषी हैं।

ii) कारागार में अपनी माताओं के साथ 7 बच्चे रहते हैं। बालगृह को साफ सुथरा और काम करने लायक पाया गया था और वहां पर कुछ खिलौने और खेल सामग्री थी।

iii) जेल के पुरूष और महिला सेक्शन अलग अलग थे और उनमें अलग रसोईघर/खाना पकाने की व्यवस्था थी। महिला सेक्शन में जो रसोई घर था वह साफ सुथरा और स्वच्छ था तथा दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी अच्छी थी।

iv) कारागार के महिला सेक्शन में शौचालय/स्नानागार की सुविधाएं पर्याप्त थी और ठीक प्रकार से काम कर रही थी।

v) पानी गर्म करने के उपयोग के लिए एक सोलर पैनल लगा हुआ था किंतु यह रोशनी के प्रयोजनों के लिए नहीं था। विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए भी ऊर्जा के एक अनुकल्पिक स्रोत के रूप में सोलर ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता है।

vi) कटाई, सिलाई, बुनाई, सॉफ्ट खिलौने बनाने के लिए गैर सरकारी संगठनों की सहायता से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तथापि, संवासियों के लिए साक्षरता और कौशल विकास से संबंधित सरकारी योजनाओं को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

vii) चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध हैं और विशेषज्ञों की सेवाएं, स्त्री रोग विशेषज्ञ सहित सप्ताह में एक बार संवासियों के लिए जेल के अंदर उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का यह सुझाव है कि अमृतसर और उसके आसपास के आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के इंटर्न/रेजीडेंट की सेवाओं का उपयोग समय समय पर संवासियों की चिकित्सीय जांच के लिए किया जा सकता है।

viii) पुरूष और महिला दोनों संवासियों को न्यायालय में सुनवाई के लिए एक ही वैन से ले जाया जाता हैं। महिला संवासियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए जेल से बाहर ले जाने के लिए महिला संवासियों को अलग वैन प्रदान करने की आवश्यकता है। स्थानीय उद्योगों की सी.एस.आर. निधियों की तथा गैर सरकारी संगठनों/क्लबों जैसे कि लॉयन क्लब, रोटरी क्लब या जिला स्तर पर एकीकृत निधियों की उपलब्धता का पता लगाया जाना चाहिए तथा जेल में विभिन्न सुविधाओं/क्रियाकलापों के लिए सहायता करने के लिए उनका उपयोग किया जाना चाहिए।

4. जेल, बिरसा मुंडा, रांची, झारखंड

i) आरोपित/सिद्धदोष महिला संवासियों को जो जघन्य अपराधों में भी शामिल है, ऐसे संवासियों से जिन्होंने छोटे–मोटे अपराध कारित किए हैं, अलग रखने का प्रयास नहीं किया गया हैं। यह सिफारिश की जाती है कि संवासियों के इन दोनों वर्गों को अलग अलग रखा जाए और जैसे दोषी और विचारणाधीन संवासियों के मामलों में अपेक्षित है उसी प्रकार उन्हें अलग अलग बैरकों/वार्डों में रखा जाना चाहिए। इन दोनों वर्ग की महिला संवासियों के बीच की आयु के फर्क को ध्यान में रखते हुए अलग–अलग रखना आवश्यक प्रतीत होता है। उनके लिए अलग आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए और क्रियाकलाप की समयसूची अलग होनी चाहिए।

ii) महिला संवासियों का शैक्षणिक प्रोफाइल बहुत खराब है क्योंकि कुल संवासियों में से 62 प्रतिशत निरक्षर है (85 संवासियों में से 52 संवासी निरक्षर है)। इसलिए साक्षर कक्षाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, जबकि ऐसी संवासी जो प्राथमिक स्तर तक शिक्षित है उन्हें और आगे शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए जेल प्राधिकारियों को सरकारी संस्थाओं जैसे झारखंड राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (जे.एस.ओ.एस.), राष्ट्रीय संस्थान मुक्त विद्यालय (एन.आई.ओ.एस.), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (आई.जी.एन.ओ.यू.) से परामर्श करके कारागार के भीतर सेंटर खोल कर सुविधा देने का प्रयास करना चाहिए कि जिससे की संवासियों को और आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस प्रकार जब वह जेल से बाहर आएंगी तब ऐसी संवासियों को समाज में बेहतर रूप से तालमेल बिठाने में सहायता मिलेगी।

iii) इस समय 55 प्रतिशत (581 में से 365) अधिकारियों और कर्मचारियों के पद रिक्त है। जेल का उचित रूप से प्रबंध करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में रिक्त पद होना हानिकारक है। रिक्त पदों को तुरंत भरने की आवश्यकता है।

iv) महिला संवासियों के सभी मामलों के संबंध में कारागार प्राधिकारियों की मौजूदगी में विधिक सहायता अधिवक्ताओं द्वारा समीक्षा करने की आवश्यकता है जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि संवासियों को उपयुक्त गुणवत्ता विधिक सहायता प्रदान की जा रही है और उनके मामलों में पुनर्विलोकन और अपील के लिए विधिक सहायता के सभी संभव चैनलों का उपयोग हो चुका है। जेल से जमानत/पैरोल या रिहा करने से संबंधित मामलों में विधिक सहायता देने की आवश्यकता है। धारा 436 क, 437 (1), 437 (2) के अधीन फाइल किए गए मामलों के संबंध में लोक अभियोजकों, डी.एल.एस.ए. और अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए अधिवक्ताओं के साथ मासिक बैठक करके पुलिस महानिरीक्षक (कारागार) द्वारा इनका नियमित रूप से अनुवीक्षण किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग के लिए यह आवश्यक है कि वे बार बार पुलिस प्राधिकारियों और डी.एल.एस.ए. (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) द्वारा प्रदान किए गए अधिवक्ताओं के साथ प्रत्येक व्यष्टिक महिला संवासी के मामलों के संबंध में समय समय पर बातचीत करते रहे।

v) राष्ट्रीय महिला आयोग/राज्य सरकारों द्वारा निरंतर रूप से पुलिस अधिकारियों को लिंग संवेदीग्राही बनाने के संबंध में कार्यवाही करनी चाहिए। जेल में महिला विंग में तैनात महिला अधिकारी और कर्मचारियों को संवेदीग्राही बनाने की आवश्यकता है।

vi) अपराध में संवासियों के अंतर्ग्रस्त होने के कारणों को समझने का प्रयास करना चाहिए और उनका समाज में पुनर्वास करने और जुड़ने की दृष्टि से सुधारात्मक पहलुओं की पहचान करें।

vii) जेल प्राधिकारी इस बात के लिए सहमत हैं कि वे महिला संवासियों के तनाव को कम करने के लिए योग कक्षाएं और नियमित आधार पर महिला संवासियों के लिए आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कार्यक्रमों आयोजित करें।

5. केंद्रीय जेल, गुरदासपुर, पंजाब

i) इस जेल में 950 संवासियों (880 पुरूष और 70 महिला) की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर संवासियों की संख्या 840 (पुरूष 783 और महिला 57) थी। इस प्रकार केंद्रीय जेल के महिला विंग में अधिक संवासी नहीं हैं और यहां पर संवासियों की प्राधिकृत क्षमता से कम संवासी थे। महिला संवासियों में से 27 विचारणाधीन थी और 30 दोषी थी।

ii) मंजूर किए गए पदों की संख्या के अनुसार सभी रिक्त पदों को पूर्विकता के आधार पर भरा जाना चाहिए। महिला कारागार में महिला अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता हैं और महिला अधिकारियों और कर्मचारियों की कुशलता बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे कि वे अधिक व्यवसायी, संवेदनशीलता और मानवोचित आधार पर महिला संवासियों के साथ व्यवहार कर सके।

iii) जमानत आवेदन की सुनवाई में और विचारण पूरा करने में काफी समय लगने तथा सुनवाई के बीच काफी लंबे अंतराल के कारण महिला संवासी असंतुष्ट/परेशान हो जाती है। संवासियों को विधिक सहायता प्रदान करने वाले अधिवक्ताओं के साथ इस विषय को उठाए जाने की आवश्यकता है और जेल प्राधिकारियों की मौजूदगी में प्रत्येक मामलें की समीक्षा की जाए तथा विचारण को शीघ्र समाप्त करने के लिए और आगे कार्रवाई की जाए।

iv) केंद्रीय जेल में पुरूष और महिला विंग अलग अलग है। विचारणाधीन और दोषियों की पोशाकें अलग अलग रंग की हैं किंतु उन्हें एक ही बैरक में रखा जाता है। इसी प्रकार पक्के अपराधियों और पहली बार छोटे–मोटे अपराध कारित करने वाले अपराधियों को भी अलग नहीं रखा गया है और उन्हें एक ही वार्ड में रखा गया है।

v) जेल में महिला बैरक में फर्श पर बिस्तरें लगे हुए हैं और उनके बीच आसपास आने जाने के लिए पर्याप्त जगह है। शौचालय/स्नानागार ठीक प्रकार से काम कर रहे थे। बैरकों में संवातन और प्रकाश पर्याप्त था। तथापि, 8 एग्जोस्ट फैन के वेंटों को ढकने के लिए धातु का जाल लगाने की आवश्यकता है जिससे कि बैरकों में मच्छर अंदर न आ सके।

vi) जेल में एक ही रसोईघर है और यहां खाना पका कर महिला सेक्शन की रसोईघर में ले जाया जाता है।

vii) इस समय इस जेल में अपनी माता के साथ केवल एक लड़की रह रही है। निकट भविष्य में अधिक बच्चों के आ जाने से यह बालगृह सुविधा अपर्याप्त होगी। बालगृह में बहुत कम खिलौने/खेलने का सामान है। यह माता जो स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन.डी.पी.एस. अधिनियम) के अधीन दंड भुगत रही है वह अपनी पुत्री की शिक्षा के बारे में चिंतित थी और इस संबंध में जेल अधीक्षक ने सकारात्मक रूख अपनाते हुए उसे यह आश्वासन दिया कि इस बाबत आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

viii) विद्युत प्रदाय अनियमित है और ऊर्जा के किसी अन्य स्रोत की व्यवस्था नहीं की गई है। गर्म पानी की व्यवस्था और बिजली कटौती/ऊर्जा कटौती की दशा में रोशनी के प्रयोजन के लिए सोलर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। इस संबंध में जेल प्राधिकारियों द्वारा जिले में के कई उद्योगों द्वारा जो सी. एस.आर. निधियां इस प्रयोजन के लिए प्रदान की गई है उनका उपयोग करने के बारे में पता लगाया जाना चाहिए।

ix) कटाई, सिलाई और बुनाई और जेल में इनका उपयोग करने के लिए गैर सरकारी संगठनों (रेड क्रास संगठन और मुक्ति सेना) की सहायता से व्यवसायिक प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। व्यस्क निरक्षर संवासियों की साक्षरता और संवासियों की और आगे की शिक्षा/कौशल विकास के लिए जो सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं उनका उपयोग किया जाना चाहिए तथा इस प्रयोजन के लिए गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि जेल में रहने की अवधि के दौरान और जेल से रिहा होने के पश्चात् संवासी काम कर सके।

x) न्यायालय में सुनवाई की तारीख को पुरूष और महिला दोनों संवासियों को एक ही वैन में ले जाया जाता हैं। महिला संवासियों को न्यायालय ले जाने और वापस लाने के लिए अलग से वैन की व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिसके लिए सी.एस.आर. निधियों या क्लबों जैसे लॉयन/रोटरी या जिला स्तर की एकीकृत निधियों के बारे में पता लगाया जाना चाहिए।

xi) सप्ताह में एक बार महिला संवासियों का इलाज करने के लिए विशेषज्ञों जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ भी शामिल है की सेवाएं प्रदान की जाती है। तथापि, कारावास में ही महिलाओं का इलाज करने के लिए पास ही के आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के इंटर्न/रेजीडेंट की सेवाएं प्राप्त करने की संभावना के बारे में पता लगाया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य मिशन के अधीन विशेषज्ञों की सेवाओं को प्रदान करने के लिए टेली–मेडिसिन की व्यवस्था करने के लिए जिला प्रशासन को प्रयास करना चाहिए।

xii) समय समय पर फायर ड्रिल आयोजित करनी चाहिए और समय के नियमित अंतराल पर अग्नि शामकों की जांच की जानी चाहिए।

xiii) संवासियों का पुनर्वास करने के लिए जेल में ही प्रशिक्षण/शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सहारा गैर सरकारी संगठन जो कारागार के साथ सहबद्ध है उसका प्रतिनिधि निरीक्षण के समय उपस्थित था किंतु वह अधिक सक्रिय नहीं था। महिला कैदियों को मनोरंजन सुविधाएं, किताबें और पढ़ने की सामग्री प्रदान की जानी चाहिए और इनका उपयोग करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रमाणपत्र कार्यक्रम जैसे पेंटिंग, संगीत, कंप्यूटर, नृत्य, आदि को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार तनावमुक्त वातावरण सर्जित करने के लिए वृद्ध महिला संवासियों के लिए भजन कीर्तन कराना चाहिए। नियमित रूप से योग और ध्यान के शिविर, विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने चाहिए।

xiv) संवासियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए एक नई मशीन लगाई जानी चाहिए और इस बाबत उपाय किए जाने चाहिए कि कारागार में पानी की कमी से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न न हो।

xv) महिला संवासियों को, जिनके बच्चे हैं किंतु जेल में उनके साथ नहीं रहते हैं, जल्दी–जल्दी जेल परिसर के भीतर अपने बच्चों से मिलने की सुविधा मुहैया करानी चाहिए।

xvi) यह पाया गया कि कुछ महिला संवासी मानसिक रूप से अवसाद की दशा में है। ऐसी महिला संवासियों को परामर्श देने के लिए मनोवैज्ञानिक की सेवाओं की व्यवस्था कराने की आवश्यकता है। रोटरी क्लब की स्थानीय शाखा ऐसी सेवाओं की व्यवस्था कराने के लिए रजामंद है। जेल प्राधिकारियों को इस प्रयोजन के लिए उनसे संपर्क करना चाहिए। संवासियों को उचित रूप से इस बाबत परामर्श देने की आवश्यकता है जिससे कि वे मानसिक रूप से कारागार में अपनी कारावास की अवधि को पूरा करने के पश्चात् समाज की मुख्य धारा में मिलने के लिए तैयार हो सके।

xvii) जेल प्राधिकारियों द्वारा निश्चित रूप से यह प्रयास करना चाहिए कि वे अपराध के पीछे जो हेतुक है उसको समझ सके और उसका विश्लेषण करके सुधारात्मक उपचार की पहचान करें और कारागार संवासियों के साथ संवेदनशीलता और सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें। इस बात को समझना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से संवासियों को सुधारने के लिए उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा इस बाबत कारागार के पुलिस कर्मचारियों को संवेदीग्राही बनाने के लिए निरंतर रूप से प्रयास करना चाहिए।

6. केंद्रीय जेल, बैंगलोर, कर्नाटक

i) इस कारागार में कुल 4579 संवासी है जिनमें से 119 महिला संवासी है इनमें से 77 विचारणाधीन है और 42 दोषी है और जबकि एक पैरोल पर है। महिला कैदियों को अलग वार्डों में रखा जाता है जिनकी पहरेदारी महिला आधिकारियों द्वारा की जाती है किंतु कारागार में महिला कर्मचारी पर्याप्त नहीं हैं। कारागार सेवा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को निश्चित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए और महिला अधिकारियों/कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण/स्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए जिससे कि वे अपने कौशल को अद्यतन करने में समर्थ हो सके।

ii) मानक कसौटी के अनुसार महिला संवासियों को वास सुविधाए सफाई और स्वच्छता की व्यवस्था की गई है। महिला संवासियों के लिए 18 शौचालय है और वे सब अच्छी दशा में हैं।

iii) केंद्रीय जेल में प्राथमिक स्वास्थ्य देख रेख सुविधाएं उपलब्ध हैं। अर्हित महिला डाक्टरों और नर्सों द्वारा महिला संवासियों की चिकित्सा परीक्षा की जाती है और उन्हें उचित चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। अभिरक्षा में रह रही गर्भवती महिलाओं के लिए एक अलग वार्ड है जिसमें विशेष चिकित्सीय और पोषण संबंधी देखरेख की जाती है। ऐसे संवासियों को जिन्हें गंभीर समस्याएं है उन्हें विशेषज्ञ सेवाओं के लिए सरकारी अस्पताल भेजा जाता है। कुल मिलाकर इस जेल में बहुत अच्छी चिकित्सा सुविधा है और 24 घंटे डाक्टर उपलब्ध रहते हैं। तथापिए ऐसी महिलाएं जो संक्रामक रोगों से ग्रस्त है उनकी देखरेख के लिए उन्हें तब तक अलग रखने की आवश्यकता होती है जब तक वह स्वस्थ नहीं हो जाती हैं और इस प्रयोजन के लिए जेल प्राधिकारियों द्वारा व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है।

iv) जेल संवासियों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.) जेल संवासियों की आवश्यकता के अनुसार से कार्य नहीं कर रहा है। डी.एल.एस.ए. से केवल कुछ ही वकील विधिक सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध है। ये वकील संवासियों से उनके मामलों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए जेल तक नहीं आते हैं और वे सीधे ही न्यायालय पहुंच जाते हैं। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसे दोषसिध्द संवासियों को जिन्होंने कारावास की लंबी अवधि पूरी कर ली हैं उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। बेहतर विधिक सहायता की व्यवस्था करके वृद्ध महिलाओं के लिए जमानत के मामलों पर विचार करने के लिए त्वरित प्रक्रिया अपनाई जाए और प्रत्येक मास में जेल अदालतें लगाई जाए और व्यष्टिक रूप से

महिला संवासियों के मामलों की संवीक्षा की जाए। राज्य के महानिरीक्षक (कारागार) को व्यक्तिगत रूप से विधिक सहायता प्रदान करने वाले अधिवक्ताओं के साथ जहां डी.एल.एस.ए. से संबंधित प्राधिकारी भी उपस्थित हो सकते हैं अलग से मासिक बैठक आयोजित करनी चाहिए। इस बैठक में महिला संवासियों के व्यक्तिगत मामलों की समीक्षा यह पता लगाने के लिए की जानी चाहिए कि क्या संवासियों को राहत देने से संबंधित सभी विधिक चैनलों का उपयोग कर लिया गया है या नहीं।

v) जेल में कोई प्रशिक्षण/कौशल सिखाने की सुविधाएं नहीं हैं। सिष्लाई, बुनाई, बागवानी आदि जैसे परंपरागत व्यवसायों में ही जेल में व्यवासायिक प्रशिक्षण उपलब्ध हैं। इस कार्य/प्रशिक्षण के लिए महिलाओं को मजदूरी का भुगतान भी किया जाता है। महिला संवासियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए और अधिक गैर सरकारी संगठनों को इस कार्य में जोड़ने की आवश्यकता है तथा नए और अधिक उत्पादक व्यवसायों में कौशल/व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए जो कि कैदियों के लिए जब वे कारागार में रहते है और कारागार से रिहा होने के पश्चात् उनके लिए उपयोगी साबित हो। विद्यालयों की वर्दियों, अस्पताल के कपड़ें आदि को सिलाई करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे कि महिला संवासी काफी हद तक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके।

vi) चूंकि अधिकतर संवासी निरक्षर हैं इसलिए व्यस्क साक्षर कक्षाओं को आयोजित करने की आवश्यकता है। अंदरूनी व्यवस्थाओं के माध्यम से साक्षर कक्षाओं की व्यवस्था की जा सकती है या सरकार के व्यस्क साक्षरता कार्यक्रमों से सहायता प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा जेल को इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से संपर्क करके जेल में ही उनके सेंटर खोलने चाहिए जहां महिला संवासी और आगे अध्ययन कर सके।

vii) महिला संवासियों के बच्चों के लिए केंद्रीय जेल में कोई विद्यालय नहीं है इसके स्थान पर आगंनवाड़ी के कर्मचारी कैदियों के बच्चों को पढ़ाते हैं। कारागार में महिला संवासियों के बच्चों के लिये उचित आरंभिक शिक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

viii) जेल के पास संवासियों के लिए अपने संबंधियों और परिवार के सदस्यों जिनमें छह वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चे भी हैं, से मुलाकात करने के लिए सारी सुविधाएं हैं। बच्चों को हररोज/साप्ताहिक आधार पर महिला संवासियों से मुलाकात के लिए अनुज्ञात करने की आवश्यकता है।

ix) खाने की क्वालिटी भी अच्छी है। महिला संवासियों के लिए अलग से कोई रसोईघर नहीं है और उनके लिए खाने की व्यवस्था कारगार के मुख्य रसोईघर से की जाती है।

x) महिला वार्ड में शुद्ध पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है। महिला संवासियों को शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए एक फिल्टर मशीन लगाने की आवश्यकता है।

xi) संवासियों के लिए मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता है और समय समय पर योग और ध्यान शिविर, चिकित्सीय शिविर की व्यवस्था की जा सकती है। महिला बैरकों में पुस्तकों/पढ़ने की

सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए और संवासियों को उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया करना चाहिए। सुधारात्मक थेरेपी के भागरूप पेंटिंग, संगीत आदि को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनके उत्पादक कार्यों को आय से भी जोड़ा जाना चाहिए।

xii) महिला संवासियों के साथ सहानुभूति के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता है और उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए जिसे सुधारने और समझदारी के साथ परामर्श तथा समवेदना की आवश्यकता है। जेल और पुलिस कर्मचारियों को संवेदीग्राही बनाने के लिए निरंतर रूप से प्रयास किए जाने चाहिए। जेल प्रशासन द्वारा अपराध के पीछे जो हेतु है उसे समझना और उसका विश्लेषण करना चाहिए जिससे कि सुधारात्मक उपचार किया जा सके और महिला संवासियों के साथ संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ व्यवहार किया जाए।

7. केंद्रीय जेल, भोपाल, मध्यप्रदेश

i) इस कारागार में संवासियों की कुल संख्या 2930 (पुरूष 2802 और महिला 128) है। नए केन्द्रीय जेल की महिला विंग में अधिक भीड़भाड़ नहीं है। छह वर्ष की आयु से कम 9 बच्चे अपनी माताओं के साथ रहते हैं। जेल का यह महिला सेक्शन बहुत बड़ें क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 8 बैरक, बच्चों के लिए झूलों के साथ छोटा मैदान, सामान्य क्षेत्र के रूप में एक हॉल, बच्चों के लिए एक कक्षागृह, सामुदायिक स्नानघर और एक छोटा रसोईघर है। महिला संवासियों के लिए बनाए गए 8 बैरकों में से 7 बैरकों का उपयोग रहने और खाने के लिए किया जाता है और एक बैरक का अनन्य रूप से उपयोग चिकित्सीय जांच कक्ष के रूप में किया जाता है जहां पर बीमार एवं ऐसी गर्भवती महिला संवासियों को रखा जाता है जिनके बच्चा होने वाला होता है। शौचालय/स्नानघर में जो सुविधाएं है वे साफ, पर्याप्त और चालू हालत में है।

ii) मध्यप्रदेश सरकार ने कारगार के विधिक सहायता प्रकोष्ठ की देखभाल करने के लिए एक विधि अधिकारी को भी नियुक्त किया है और पराविधिक कार्यकर्ता के रूप में एक सिद्धदोष को भी प्रशिक्षित किया गया है। निरीक्षण के दौरान दोनों व्यक्ति मौजूद थे।

iii) पिछले तीन वर्षों से महिला संवासियों के साथ एक गैर सरकारी संगठन, प्रिजन मिनिस्ट्री इंडिया (पी. एम.आई.) कार्यरत है। इन्होंने महिला संवासियों को अंग्रेजी भाषा, कंप्यूटर का बुनियादी उपयोग, दर्जीगीरी/सिलाई में प्रशिक्षित किया है और समय समय पर उन्हें विधिक सहायता भी प्रदान की है। जेल प्राधिकारियों ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.), भोपाल के सहयोग से एक वर्ष का सौंदर्य प्रसाधन, सिलाई और बुजुर्गों की देखरेख प्रबंधन में महिला संवासियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ किया है।

iv) नया केंद्रीय जेल पुरूष और महिला केदियों के लिए एक अस्पताल भी चला रहा है। वास्तव में यह अस्पताल आसपास के जेलों के लिए एक रेफरल अस्पताल के रूप में भी कार्य करता है। राज्य सरकार

ने अस्पताल में कार्य करने के लिए एक चिकित्सीय अधिकारी को नियुक्त किया है। उसकी सहायता प्रयोगशाला सहायक, भेषज विज्ञानी और पुरूष नर्स द्वारा की जाती है और इसके साथ पराचिकित्सीय कर्मचारी भी है। कारगार में जो विशेषज्ञ आते हैं उनमें मनोविज्ञानी, स्त्रीरोग विज्ञानी, दंत चिकित्सक शामिल है। इस केन्द्रीय जेल में अवसाद से ग्रसित संवासियों का उपचार करने की सुविधाएं भी है। तथापि, जेल परिसर में नशा मुक्ति केंद्र नहीं है।

v) इस जेल में 9 बच्चे है जिनकी आयु 6 वर्ष से कम है और वे अपनी माताओं के साथ यहां रहते हैं। बालगृह साफ सुथरा है और खिलौने/गेम्स के साथ कार्य कर रहा है। कुछ महिला संवासी भी बच्चों की देखरेख करती है। इन बच्चों की ठीक प्रकार से देखभाल की जाती है।

vi) पुरूष और महिला दोनों संवासियों के लिए जेल में सामान्य रसोईघर की सुविधाएं है। पुरूष वार्ड में अवस्थित रसोईघर में सब्जी और दाल तैयार की जाती है और महिला वार्ड के रसोईघर में चपाती और चावल तैयार किए जाते हैं। एक बार जब खाना बना लिया जाता है तब उसे जेल मैनुअल में परिभाषित मात्रा के अनुसार अन्य सेक्शनों में स्थानांतरित किया जाता है। दोनों सेक्शनों के रसोईघर साफ सुथरे और स्वच्छ है। निरीक्षण दल ने खाने का नमूना लिया और यह पाया कि वह खाने योग्य है।

vii) पानी गर्म करने के लिए सोलर पैनलों का उपयोग किया जाता है किंतु रोशनी और अन्य प्रयोजनों के लिए आनुकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।

viii) न्यायालय में सुनवाई के लिए पुरूष और महिला दोनों संवासी अलग अलग वैनों में जाते हैं।

ix) महिला संवासियों को दैनिक मजदूरी के रूप में 62 रूपये दिए जाते हैं। इस रकम को सीधे उनके खातों में जमा किया जाता है और इसके लिए जेल अधीक्षक को एक आवेदन प्रस्तुत करके संवासी उसे जानकारी देते हैं। कुशल, अर्धकुशल और अर्धकुशल नौकरियों के बराबर इस पारिश्रमिक की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

x) संवासियों के लिए योग कक्षाओं को अनिवार्य किया गया है। सुबह मैदान में सभी संवासी योग और ध्यान के लिए इकट्ठे होते हैं और इसके पश्चात् राष्ट्रीय गान गाया जाता है।

xi) जेल प्राधिकारियों ने संगीत के क्षेत्र में संवासियों के एक समूह की स्थापना की है और इस ऑक्सट्रा समूह में ऐसे संवासी है जो कारागार में और उसके बाहर संगीत कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

xii) महिला संवासियों की मुख्य शिकायत उनके मामलों/जमानत आवेदनों की सुनवाई में हो रहे विलंब से संबंधित है। विधिक सेवा प्राधिकरण के एक दल जिसका नेतृत्व ए.डी.जे. कर रहे थे उन्होंने यह उल्लेख किया कि ऐसे 10 मामले हैं जिनमें और आगे कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

xiii) निरीक्षण दल में सम्मिलित महिला सदस्यों ने वाशरूम सुविधाओं का निरीक्षण किया तथा महिला संवासियों से उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता और स्त्री रोग से संबंधित समस्याओं के बारे में बातचीत की। वाशरूम

सुविधाएं एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें पर्याप्त स्नान के चैंबर और अलग अलग शौचालय है। वाशरूम क्षेत्र साफ और सूखा है।

xiv) ऐसी महिला सिद्धदोष जिनकी शिक्षा उनके जेल में बंद हो जाने के कारण प्रभावित हुई है उनके लिए जेल प्राधिकारी पत्राचार पाठ्यक्रमों/दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करके उनकी सहायता करते हैं।

xv) एक आनुकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में सोलर ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता है। जिले में उद्योगों की संख्या को और सी.एस.आर. निधि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कुछ क्रियाकलापों के लिए इस निधि का उपयोग किया जा सकता है।

xvi) भोपाल में दो आयुर्विज्ञान महाविद्यालय है और सप्ताह में एक बार चिकित्सीय जांच करने के लिए पांचवें वर्ष के इंटर्न/रेजीडेंट को शामिल करने की संभावनाओं का पता लगाने की आवश्यकता है। इससे एक तरफ संवासियों को सहायता मिलेगी और दूसरी तरफ इंटर्न/रेजीडेंट को व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होगा। विनिर्दिष्ट रूप से स्त्री रोग विज्ञान से संबंधित मामलों में सहायता मिलेगी।

xvii) संवासियों को आधार कार्ड उपलब्ध कराया जाएं, विशेष रूप से ऐसे संवासियों के लिए जिनके साथ छोटे–छोटे बच्चे है इससे दीन–हीन बच्चों/महिलाओं के लिए आरंभ की गई सरकारी योजनाओं के फायदों को प्राप्त करने के लिए ऐसी माताएं और बच्चे पात्र हो जाएंगे।

xviii) सोलर भट्टियों में सूती सेनेटरी पेडों का निपटान किया जाए जिससे इसके उप उत्पाद का प्रयोग खाद या कंपोस्ट पिट के रूप में किया जा सकता है।

8. केंद्रीय जेल, इंफाल, मणिपुर

i) इस कारागार में 230 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता है। महिला संवासियों की कुल संख्या 32 है जिसमें से 29 विचारणाधीन, 2 सिद्धदोष और 1 पैरोल पर है। महिला संवासियों को स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी अधिनियम, 1985, हत्या, चोरी और अन्य अपराधों के अधीन आरोपित किया गया है। एक सिद्ध दोष संवासी आजीवन कारावास भुगत रही है। वह 14 वर्ष से अधिक की अवधि से अभिरक्षा में है। जेल प्राधिकारियों द्वारा की गई व्यवस्था से सभी संवासी संतुष्ट है सिवाय इसके कि वे वापस अपने घर जाना चाहती है। इन संवासियों का सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि से यह पता चला है कि इनमें से अधिकतर गरीब और अशिक्षित है। विचारणाधीन और सिद्धदोष महिला संवासियों के लिए अलग अलग बैरक नहीं है। इन दोनों वर्गों को अलग करने की आवश्यकता है।

ii) कारागार भवन जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है और दीवारों में सीलन है। इस संरचना की तुरंत मरम्मत करने की आवश्यकता है। बैरकें बड़ी है और प्रकाशमय है। तथापि, दीवारों में सीलन होने की वजह से गीली हैं। जेल अहाता बड़ा है किंतु उसे उचित रूप से बनाए रखा नहीं गया है। जेल के प्रवेश द्वार के पास एक तालाब है। तालाब का पानी गंदा है; इसलिए यह मच्छरों के प्रजनन का मैदान बन गया है। पूर्विकता के

आधार पर भवन की मरम्मत करनी की आवश्यकता है। प्राधिकारियों ने मरम्मत कार्य के लिए निधियों की अनुपब्धता के बारे में चिंता व्यक्त की है। राज्य सरकार द्वारा बजट में पर्याप्त निधियों की व्यवस्था के साथ इस स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है।

iii) शौचालय/स्नानघर की सुविधाएं पर्याप्त है और चालू हालत में है।

iv) प्रत्येक संवासी के पास अपना पलंग है और उचित बिस्तर भी दिया गया है। संवासियों को प्रत्येक 15 दिन में प्रसाधन सामग्री दी जाती है। महिला सिद्धदोष को पहनने की वर्दी दिए जाने की आवश्यकता है।

v) मणिपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता प्रदान की जाती है और संवासियों के लिए विधिक सहायता कक्षाएं भी आयोजित की जाती है। विधिक सहायता क्लिनिक के लिए स्थान आबंटित किया गया है और एक सप्ताह में 3 बार पराविधिक कार्यकर्ता क्लिनिक में आते हैं। इस दौरे के दौरान एक महिला दोषी जिसने 14 वर्ष से अधिक का दंड भोग लिया है सजा कम करने का अनुरोध किया। उसके मामले को मणिपुर विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया जा सकता है।

vi) इस जेल में 2 छोटे–छोटे बच्चे (1 वर्ष से कम आयु के) अपनी माताओं के साथ है। यहां पर बालगृह की सुविधा नहीं है यद्यपि ये बच्चे खुश लगते हैं और उनकी ठीक प्रकार से देखभाल की जा रही है।

vii) यहां पर एक शिकायत/सुझाव पेटिका है। इस पेटिका की चाबी नहीं मिली। प्राधिकारियों ने दौरे पर आए दल के समक्ष इस पेटिका को तोड़ कर खोला और इसमें संवासियों की दो शिकायतें/अनुरोध मिले थे; जिसमें एक पर तारीख 1.1.16 पड़ी हुई थी और दूसरे पर तारीख 19.5.2017 थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 2016 से इस पेटिका को खोला नहीं गया है।

viii) चिकित्सा सुविधा अपर्याप्त है और जेल में एक पूर्णकालिक महिला डाक्टर की आवश्यकता है। यहां पर तीन डाक्टरों और एक महिला डाक्टर के पद हैं। तथापिए यहां पर केवल एक डाक्टर है और कोई महिला डाक्टर नहीं है। आवश्यकता के आधार पर संवासियों को विशेषज्ञों जिसमें स्त्री रोग विज्ञानी भी है, के पास ले जाया जाता है। पूर्विकता के आधार पर कारागार में एक महिला डाक्टर को नियुक्त करने की आवश्यकता है।

ix) महिला संवासियों के लिए केवल कढ़ाई, सिलाई और अगरबत्ती बनाने की कक्षाओं को चलाया जाता है। महिला संवासियों का पुनर्वास करने के संबंध में और अन्य क्षेत्रों में उन्हें प्रशिक्षित करने के बारे में पता लगाया जाना चाहिए जिसके कि जब वे जेल से बाहर आए तो वे वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो सके। सिलाई/कढ़ाई के अलावा स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से और अधिक कौशल विकास कक्षाएं आरंभ करने की आवश्यकता है।

x) आर्ट आफ लिविंग द्वारा संवासियों के लिए योग आर्ट आफ लिविंग की कक्षाएं आयोजित की जाती है। ध्यान और योग के लिए एक कक्ष है और प्रार्थना के लिए एक और अन्य कक्ष है।

xi) संवासी रसोईघर से संबंधित कार्य जैसे कि सब्जी काटना और पकाने में सहयोग कर सकती है। इससे वे काम में लगी रहेंगी और अपनी कमाई को बढ़ाने में भी उन्हें सहायता मिलेगी।

9. केंद्रीय जेल, मोतीहारी, बिहार

i) केंद्रीय जेल, मोतीहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार देश का एक बहुत पुराना कारागार है, वर्ष 1935 में इसे स्थापित किया गया था। कारागार की प्राधिकृत क्षमता 1885 संवासियों की हैं जिन्हें 64 बैरकों में रखा गया है इनमें से 3 बैरकों को महिलाओं के लिए चिह्नित किया गया है। महिला बैरकों की प्राधिकृत क्षमता केवल 32 संवासियों की है; तथापि, इन परिसरों में 77 महिला संवासियों को रखा गया है। महिला वार्डों में संवासियों की संख्या अधिक है और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है और इस प्रयोजन के लिए 3 और बैरकों का निर्माण कराना आवश्यक है। महिला वार्डों की प्राधिकृत क्षमता को विद्यमान 32 संवासियों से बढ़ाकर न्यूनतम 65 संवासी किया जाए। प्राधिकृत क्षमता से अधिक महिला संवासियों को, यदि अनुज्ञेय हो तो अन्य जेलों में स्थानांतरित किया जाए या त्वरित विचारण करने के लिए समीक्षा की जाए और जमानत मंजूर करके संवासियों की संख्या को कम किया जाए। जिन संवासियों ने 14 वर्ष का कारावास पूरा कर लिया है उनके संबंध में भी विचार किया जाएं इससे महिला बैरकों में संवासियों की संख्या कम करने में सहायता मिलेगी।

ii) वार्डन के मंजूर किए गए कुल 200 पदों में से 89 पद रिक्त है और होमगार्डों के मंजूर किए गए कुल 70 पदों में से 43 पद रिक्त है। जेल का उचित रूप से प्रबंध करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में रिक्त पदों की यह स्थिति अहितकर है। कारागार द्वारा अपने सर्वोत्तम स्तर पर कार्य करने के लिए उसके पास पूरे अधिकारी/कर्मचारी होने चाहिए। इसलिए विभिन्न वर्गों में रिक्त 132 पदों को तुरंत भरने की आवश्यकता है।

iii) जेल का भवन जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है और व्यापक रूप से इसकी मरम्मत करने की आवश्यकता है। ये संरचना किसी भी समय ढह सकती है और यदि तुरंत इसकी मरम्मत नहीं की जाती है तो इससे जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है। नई बैरकों के निर्माण के अतिरिक्त इस भवन की मरम्मत करना भी आवश्यक है।

iv) रसोईघर बहुत खराब, गंदा और अस्वच्छ है और इसमें नियमित रूप से जल का प्रदाय भी नहीं किया जाता है। जल की व्यवस्था के लिए महिला बैरकों के पूरे परिसर में एक हैंडपंप लगा हुआ है।

v) महिला संवासियों के लिए 1 शौचालय ब्लॉक है जिसमें 5 शौचालय सीट है और एक स्नानघर है। शौचालय और स्नानघर में नियमित रूप से जल का प्रदाय नहीं किया जाता है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए महिलाओं को हैंडपंप से पानी लेना पड़ता है। जेल में जल के नियमित प्रदाय के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा एक पत्र माननीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के माननीय मंत्री को लिखा गया है जिसमें महिला संवासियों के लिए साफ जल और

स्वच्छ रसोईघर की उचित व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। जेल प्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में कार्यवाही करना आवश्यक है।

vi) संवासियों को पलंग नहीं दिए गए हैं और वे फर्श पर सोती है। असुविधाजनक सोने की व्यवस्था के कारण गर्भवती महिला संवासियों को कठिनाई होती है। वार्डों में बहुत अधिक मच्छर हैं। महिला संवासियों को उनकी अपेक्षा के अनुसार साबुन, टूथब्रश और सेनेटरी पेड दिए जाते हैं।

vii) महिला बैरकों में सिद्धदोष और विचारणाधीन संवासियों को अलग अलग नहीं रखा गया है उन्हें एक ही बैरक में रखा जाता है। यह जेल मैनुअल के स्थापित सिद्धांतों और उपबंधों के विरूद्ध है। महिला वार्ड में सिद्धदोष से विचारणाधीन संवासियों को तुरंत अलग करने के लिए जेल प्राधिकारी सुनिश्चित करें।

viii) संवासियों में से लगभग 80 प्रतिशत या तो निरक्षर हैं या केवल प्राथमिक स्तर तक शिक्षित हैं। जो संवासी निरक्षर है उनके लिए साक्षर कक्षाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता है और जो संवासी प्राथमिक स्तर तक शिक्षित है उन्हें खुले विद्यालय पद्धति के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। निरीक्षण के दौरान यह सलाह दी गई कि ऐसी संवासी जो शिक्षित है वे निरक्षर संवासियों के लिए साक्षर कक्षाएं आरंभ करे और ऐसे अध्यापक और विद्यार्थियों के लिए पैरोल/छुट्टी आदि के लिए उन्हें पुरस्कृत करने की एक अंदुरूनी प्रणाली विकसित की जाएं।

ix) महिला संवासियों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय नहीं भेजा जा रहा है और संवासियों द्वारा अनुरोध किए जाने के बावजूद भी जेल प्राधिकारियों द्वारा इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

x) महिला वार्ड में डाक्टर न होने के कारण महिलाएं बीमारियों का शिकार हो जाती है। जेल में केवल एक स्त्री रोग विज्ञानी तैनात है जो कि प्रसूति छुट्टी पर है जिसके कारण महिला संवासियों को बहुत अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। किसी आपातकालीन दशा में उपचार के लिए पुरूष वार्डों से डाक्टरों को बुलाया जाता है। 77 महिला संवासियों की देखभाल करने के लिए केवल 1 नर्स है। संवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए यह खतरनाक है। जेल प्राधिकारियों/राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि महिला वार्ड में 1 स्त्रीरोग विशेषज्ञ की तैनाती की जाए।

xi) कारागार में मनोरंजन, आराम के समय किए जाने वाले क्रियाकलाप और आध्यात्मिक आवश्यकता के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। जेल प्राधिकारियों को हर रोज सुबह व्यायाम और योग कक्षाएं आयोजित करनी चाहिए। नियमित आधार पर महिला संवासियों के लिए मनोरंजन, आध्यात्मिक और उपदेशात्मक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।

xii) महिला संवासियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते हैं। संबंधित प्राधिकारियों को जेल में ऐसे कार्यक्रम आरंभ करने चाहिए जिससे कि संवासी कौशल अर्जित कर सके और कारावास में रहने के दौरान और उसके पश्चात् गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए समर्थ हो सके और मजदूरी कमा कर उसका लाभ प्राप्त कर सके। नियमित आधार पर जेल से संबद्ध गैर

सरकारी संगठन कारागार का दौरा करे और जेल प्राधिकारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अधीन व्यवसायिक, मनोरंजन क्रियाकलाप और कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ/आयोजित करें।

xiii) कई मानसिक परेशानी जैसे कि निस्सहायता, अवसाद सामाजिक संबंधों में टूटन, स्वयं को नुकसान पहुंचाना और स्वयं का अंगभंग करना इस प्रकार की परेशानियां महिला संवासियों के बीच पाई गई जिसके लिए जेल प्राधिकारियों को मनोरोग चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा परामर्श कराने की व्यवस्था करना आवश्यक है। यद्यपि कुछ गैर सरकारी संगठन महिला संवासियों की बेहतरी और कल्याण के लिए कार्य करने के लिए जेल प्राधिकारियों के साथ संबद्ध है किंतु वे नियमित रूप से जेल का दौरा नहीं करते हैं।

xiv) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए विधिक सहायता अधिवक्ता यदा–कदा जेल में आते हैं और महिला संवासियों को विधि के अनुसार उन्हें उपलब्ध जमानत, अपील, प्रतिरक्षा, पैरोल आदि के लिए जो विकल्प है उसके बारे में जानकारी देते हैं। संवासियों को विधिक सहायता भी दी जाती है। डी.एल.एस.ए. द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे क्रियाकलाप और विधिक सेवाओं को और अधिक केंद्रित करने की आवश्यकता है जिससे कि संवासियों को पैरोल, जमानत और रिहाई/राहत प्राप्त करने में प्रभावी रूप से सहायता मिल सकें। जेल प्राधिकारियों की मौजूदगी में डी.एल.एस.ए. द्वारा प्रत्येक महिला संवासी के मामलों की अलग अलग समीक्षा करने की आवश्यकता है जिससे कि ऐसी विधिक कार्यवाही करने का विनिश्चय किया जा सके जो कि संवासी को राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक हो। दोषसिद्ध को अधिकार के रूप में न्यायालय का निर्णय तथा समस्त ऐसे कागजपत्र, जिसके आधार पर उसे सिद्धदोष ठहराया गया है, प्रदान किया जाना चाहिए जिससे कि जहां कहीं संभव हो वे अपील फाइल कर सके।

10. शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय जेल, मुजफ्फरपुर, बिहार

i) केंद्रीय जेल, मुजफ्फरपुर, बिहार ऐतिहासिक महत्व का एक ऐसा कारागार है जहां महान स्वतंत्रता सैनानी शहीद खुदीराम बोस को 11 अगस्त, 1908 में फांसी दी गई थी। इसमें 44 बैरकें हैं और उनकी प्राधिकृत क्षमता 1848 संवासियों की है। 4 बैरकों को महिलाओं के लिए चिह्नित किया गया है और इनकी प्राधिकृत क्षमता 144 संवासियों की है। इस कारागार में कुल 1453 संवासी है। 144 महिला संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर केवल 65 महिला संवासी है। बिहार में ऐसे अन्य जेलों में जहां प्राधिकृत क्षमता से अधिक संवासी है उन्हें इस जेल में स्थानांतरित करने के संबंध में पता लगाया जाना चाहिए।

ii) यह उल्लेखनीय है कि वार्डन के कुल मंजूर 200 पदों में से 98 पद रिक्त है और होम गार्डों के कुल मंजूर 60 पदों में से 26 पद रिक्त है। हेडवार्डन के 7 पद, सफाई कर्मचारियों के 11 पद और नाई के 3 पद भी रिक्त हैं। कारागार में रिक्त पदों की संख्या अधिक है इसलिए इन पदों को तुरंत भरने की आवश्यकता है।

iii) कारागार का भवन जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। कारागार प्रशासन द्वारा कई अनुस्मारक देने के बावजूद भी पी.डब्ल्यू.डी. ने मरम्मत का कोई कार्य नहीं किया है। भवन का ढांचा किसी भी समय ढह सकता है और इससे जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है। जेल भवन की तुरंत मरम्मत कराने की आवश्यकता है।

iv) संवासियों को पलंग नहीं दिए गए है और वे सब फर्श पर सोते हैं। असुविधापूर्ण सोने की व्यवस्था के कारण गर्भवती महिला संवासियों को कठिनाई होती है।

v) वार्डों में बहुत अधिक मच्छर हैं। शौचालय और स्नानघर साफ नहीं है। जिससे संवासियों के बीमार होने की संभावना अधिक हो जाती है। रसोईघर, स्नानघर और शौचालयों में सफाई सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। महिला संवासियों को उनकी अपेक्षा के अनुसार साबुन, टूथब्रश और सेनेटरी पेड दिए जाते हैं।

vi) दोषसिद्ध और विचारणाधीन संवासियों को एक ही बैरक में रखा गया है और उन्हें अलग नहीं रखा गया है।

vii) जेल में प्रत्येक सुबह व्यायाम और योग कक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए और इसके साथ अन्य धार्मिक, आध्यात्मिक, उपदेशात्मक और मनोरंजन कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाने चाहिए।

viii) संवासियों में से लगभग 80 प्रतिशत या तो निरक्षर है या केवल प्राथमिक स्तर तक शिक्षित है। केवल 6 संवासियों ने 12$^{वीं}$ कक्षा के ऊपर शिक्षा प्राप्त की है इनमें से एक महिला संवासी स्नातक है। अधिकतर संवासी समाज के अत्यधिक आर्थिक रूप से पिछड़ें हुए, गरीब वर्ग की हैं। जिसके कारण वे अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए अच्छे वकीलों की सेवाएं प्राप्त करने में असमर्थ है। संवासियों को जो विधिक सहायता प्रदान की जाती है वे पर्याप्त नहीं है और कभी कभी तो मिलती भी नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से कारागार में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं। डी.एल.एस.ए. द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए विधिक सहायता अधिवक्ता नियमित रूप से जेल में जाते हैं और महिला संवासियों को विधि के अधीन उन्हें उपलब्ध जमानत, अपील, प्रतिरक्षा, पैरोल आदि के बारे में जानकारी देते हैं। संवासियों को विधि द्वारा यथाअपेक्षित विधिक सहायता भी प्रदान की जाती है। तथापि, संवासियों के मामलों की अलग अलग समीक्षा करने की आवश्यकता है जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि विधिक राहत प्राप्त करने की सभी संभव प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। ऐसे सिद्धदोष संवासियों को जिन्होंने कारावास की 14 वर्ष की अवधि पूरी कर ली है उन्हें तुरंत रिहा करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी प्रकार ऐसे सभी मामलों में जहां जमानत मिलना संभव है उसके लिए विधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए और ऐसे मामलों में जहां सशर्त जमानत मंजूर की गई है किंतु विभिन्न कारणों के आधार पर उन्हें रिहा नहीं किया गया है इसके लिए भी विधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। जेल प्राधिकारियों को ऐसे मामलों में रिहाई सुकर और सुनिश्चित करनी चाहिए।

ix) सोलह बच्चे अपनी माताओं के साथ जेल में रह रहे हैं। उनकी शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं भेजा जा रहा है जबकि उनकी माताओं ने उन्हें विद्यालय भेजने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त है।

x) जेल में जिन अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है उनमें से कुछ अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान नहीं है और वे धनी और दबंग संवासियों का पक्षपात करते है। यहां तक कि जेल का उप–अधीक्षक भी प्रभावशाली और दबंग संवासियों का पक्षपात करता है। संवासियों की समस्याओं के प्रति उसका व्यवहार नकारात्मक है। उसने निरीक्षण दल की बैठक में हाजिर होने के लिए एक माल प्रदायक (अप्राधिकृत व्यक्ति) को इस निरीक्षण दल एवं जेल प्राधिकारियों को बैठक में रहने की अनुमति तक दे दी थी, जो वांछनीय नहीं था क्योंकि इससे गोपनीयता एवं सुरक्षा भंग होती है।

xi) कारागार के महिला वार्ड में मनोरंजन सुविधाएं जैसे कि टी.वी., समाचारपत्र, कक्षा, कार्यशाला, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र, पुस्तकालय या अंदर खेले जाने वाले खेलों आदि की कोई व्यवस्था नहीं है।

xii) महिला संवासियों के लिए अलग रसोईघर में खाना तैयार किया जाता है। यह रसोईघर बहुत खराब, गंदा और अस्वच्छ हालत में है।

xiii) डाक्टरों के कुल 4 मंजूर पदों में से 2 पद रिक्त है। महिला डाक्टर का कोई मंजूर पद नहीं है। महिला संवासियों के उपचार के लिए कोई डाक्टर नहीं है। महिला वार्ड में कोई नर्सिंग कर्मचारी नहीं है। जेल की महिला संवासियों के लिए कम से कम एक महिला डाक्टर को नियुक्त करने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य/चिकित्सीय सेवा को उचित रूप से चलाने की आवश्यकता है।

xiv) जेल में रहने के कई बुरे प्रभाव होते हैं जिनमें बेबसी, अवसाद, शारीरिक क्षति, सामाजिक संबंधों की टूटन, अपने व्यक्तित्व का नुकसान और स्वयं अपना अंगभंग करना है। प्रत्येक 15 दिन में महिला वार्ड में एक मनोवैज्ञानिक को भेजा जाना चाहिए।

xv) संवासी खाली बैठे हुए थे और अपना समय बर्बाद कर रहे थे। महिला संवासियों के लिए कोई प्रशिक्षण/कौशल विकास प्रशिक्षण, मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते हैं। संवासियों को जेल के क्रियाकलापों में जैसे कि खाना बनाना आदि में शामिल करने की आवश्यकता है जिससे कि वे अपने खाली समय का उपयोग सकारात्मक रीति में कर सकें और कुछ मजदूरी भी कमा सकें। इसके अतिरिक्त जेल प्राधिकारियों को कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए जिससे कि संवासी रिहा होने के पश्चात् कमाई करने में समर्थ हो सकें। कई गैर सरकारी संगठन मुजफ्फरपुर जिले में कार्य कर रहे है। तथापि, कोई भी गैर सरकारी संगठन जेल से संबंद्ध नहीं है और संवासियों के लिए कार्य नहीं करता है। पिछले एक वर्ष के दौरान किसी भी गैर सरकारी संगठन ने जेल का दौरा नहीं किया है।

xvi) महिला संवासियों का संर्वागीण विकास करने के लिए कक्षा, कार्यशाला, व्यवसायिक केंद्र, पुस्तकालय या अंदर खेले जाने वाले खेलों की सुविधाओं को सर्जित करने की आवश्यकता है।

xvii) पैरोल सुविधा जो कि नहीं दी जाती है उसे जेल की महिला संवासियों के लिए भी मंजूर किया जाना चाहिए।

11. केंद्रीय जेल, फरीदकोट, पंजाब

i) फरीदकोट केंद्रीय कारागार में कुल मिलाकर 97 महिला संवासी है जिनमें से 57 विचारणाधीन, 36 सिद्ध दोष और 4 पैरोल पर हैं। यह पाया गया कि सभी सिद्धदोष/विचारणाधीन महिला संवासियों को अपने मामलें की स्थिति के बारे में जानकारी थी। अधिकतर महिलाओं को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी अधिनियम (लगभग 35.52 प्रतिशत) के अधीन आरोपित किया गया है। महिलाओं द्वारा ऐसे अपराध कारित करने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि पंजाब में मादकद्रव्य का बहुत अधिक प्रभाव है और वह बहुत अधिक फैला हुआ है।

ii) महिला कारागार की भारसाधक हैड मैर्टन और मैर्टन है। महिला संवासियों को अलग बैरकों/भवन में परिरूद्ध किया गया है और महिला गार्डों द्वारा उनकी पहरेदारी की जाती है। मंजूर किए गए पदों की संख्या के अनुसार सभी रिक्त पदों को तुरंत भरा जाना चाहिए। महिला कारागार सेवा में महिला प्रतिनिधित्व को बढाने और महिला अधिकारियों/पहरेदारों को पर्याप्त प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है जिससे कि वे अपनी कुशलता को बढ़ा सके और संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ महिला कैदियों के साथ व्यवहार कर सके।

iii) कारागार का परिसर साफ सथुरा है और इसमें पर्याप्त खुला स्थान है। स्वच्छ जीवनशैली के साथ संवासियों के लिए 13 शौचालय सीट, 10 वासबेसिन और 15 नल हैं।

iv) जेल प्राधिकारियों द्वारा अधिकथित भोजन सूची के अनुसार महिला संवासियों और बच्चों को खाना दिया जाता है। अलग से रसोईघर/खाना पकाने का स्थान उपलब्ध है और महिला संवासियों द्वारा खाना पकाया जाता है। खाने की क्वालिटी भी अच्छी है। किचन गार्डन की सुविधा नहीं है तथापि, जेल परिसरों में यह उपलब्ध है।

v) जेल कर्मचारियों के लिए पंजाब के विभिन्न केंद्रों पर समय समय पर संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिससे कि यह जानकारी दी जा सके कि संवासियों को उनके साथ गरिमा के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए और उनको कैसे सहानुभूति की जाए। कारागार संवासियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने की आवश्यकता है और उनको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए जिसे सुधारने, परामर्श देने और समझाने की आवश्यकता है। पुलिस कर्मचारियों/कारागार प्राधिकारियों को इस बाबत संवेदीग्राही बनाने की आवश्यकता है और राज्य सरकार द्वारा निरंतर रूप से इस प्रकार प्रयास किए जाने चाहिए। प्रशासन द्वारा अपराध के पीछे जो हेतुक है उसे समझना और विश्लेषण करने का प्रयास करना चाहिए तथा उनके व्यवहार में किस प्रकार सुधार किया जा, सकता है इसका भी पता लगाया जाना चाहिए और संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ कारागार संवासियों का सुधारात्मक उपचार और उनको प्रशासित करना चाहिए।

vi) संवासियों के लिए जेल में अपने संबंधियों से मिलने की सुविधाएं हैं। परिवार के सदस्य जिनमें 6 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चे भी है, को महिला संवासियों से प्रतिदिन या सप्ताह में मुलाकात करने की अनुमति दी जानी चाहिए। महिला संवासियों के बच्चों के लिए बालगृह सुविधा उपलब्ध है और उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए दो अध्यापक भी उपलब्ध है।

vii) जेल में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं उपलब्ध है। अर्हित डाक्टरों, महिला नर्सों, मनोरोग वैज्ञानिक/मनोरोग चिकित्सकों द्वारा महिला संवासियों को उचित चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान की जाती है और उनकी परीक्षा की जाती है। जेल में 2 एम्बुलेंस है और आपातकाल/गहन समस्या के मामलें में संवासियों को उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों के विशेषज्ञों के पास भेजा जाता है। कुल मिलाकर जेल में अच्छी चिकित्सीय सुविधाएं है और 24 घंटे डाक्टरों और नर्सों की सेवाएं उपलब्ध है।

viii) जब कभी आवश्यकता होती है तब महिला संवासियों को सेनेटरी पेड और प्रसाधन सामग्री प्रदान की जाती है।

ix) साफ पानी पीने के लिए एक्वागार्ड लगा हुआ है। तथापि, यह पाया गया कि वह काम नहीं कर रहा था। कारागार में जल की कमी है। संवासियों के लिए साफ पानी पीने के लिए जल को साफ करने की प्रणाली लगाने की आवश्यकता है और पानी की कमी को हल करने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए।

x) जेल प्राधिकारियों द्वारा मच्छरदानी नहीं दी गई है इसे संवासियों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

xi) जेल में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उचित रूप से कार्य कर रहा है। महिला संवासियों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए विधिक काउन्सेल/परा–विधिक कर्मचारी सहबद्ध है। विधिक सहायता की स्थिति की निगरानी करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के सचिव (डी.एल.एस.ए.), जेल का दौरा करते हैं। तथापि, कारागार में महिला संवासियों के लिए नियमित रूप से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने की आवश्यकता है।

xii) जेल में शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम उचित रूप से नहीं चलाए जा रहें। इस जेल में महिला संवासियों के लिए प्रशिक्षण/कौशल शिक्षा की सुविधा नहीं है। सिलाई, बुनाई, चित्रकारी आदि जैसे व्यवसायों में व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है इसके लिए महिलाओं को मजदूरी का भुगतान भी किया जाता है। किंतु कंप्यूटर पाठ्यक्रमों, प्रसाधिका पाठ्यक्रमों आदि जैसे नए कौशल प्रशिक्षण की मांग है और इसके लिए बाजार भी उपलब्ध है और महिला संवासी रिहा होने के पश्चात् ऐसे पाठ्यक्रमों के आधार पर अपना पुनर्वास करने में समर्थ हो सकती है।

xiii) योग और ध्यान शिविर आयोजित कराए जाने चाहिए। महिला संवासी जब रिहा हो जाए तब उनके पुनर्वास के लिए जेल में प्रशिक्षण/शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक गैर सरकारी संगठनों के शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सहारा गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि निरीक्षण दल के साथ

संबद्ध था किंतु वह अधिक सक्रिय नहीं था। संवासियों को भी उनके जेल से रिहा हो जाने के पश्चात् समाज के साथ जुड़नें के लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार करने के लिए परामर्श देने की भी आवश्यकता है।

xiv) बुर्जुग महिला संवासियों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, पुस्तकें, पढ़ने की सामग्री, भजन कीर्तन और अन्य धार्मिक/आध्यात्मिक क्रियाकलाप आयोजित करने की आवश्यकता है। चित्रकारी, संगीत, कंप्यूटर, नृत्य आदि जैसे प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

xv) जेल में संवासियों के साथ जो बच्चे रहते हैं उन्हें बाहर के संसार के बारे में जानकारी देने के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता है और ऐसे बच्चों को उनके संबंधियों से मिलाना चाहिए तथा समाज के साथ बेहतर रूप से वे जुड़ाव महसूस कर सकें इसलिए उन्हें पिकनिक आदि पर भी ले जाया जाना चाहिए।

12. जिला जेल, बाईकुला, मुंबई, महाराष्ट्र

i) इस जेल में 262 महिला कैदियों की प्राधिकृत क्षमता है किंतु यहा पर 321 संवासियों को रखा हुआ है। महिला संवासियों के लिए 8 बैरकें है जिनमें 15 सिद्धदोष और 270 विचारणाधीन महिला संवासी रहती है। अलग बैरकों में अपनी माताओं के साथ 19 बच्चें भी रहते हैं। अधिकतर ऐसे सिद्धदोष संवासी जो लंबी अवधि का कारावास भोग रही हैं उन्हें अन्य जेल अर्थात् यरवडा जेल पुणे में स्थानांतरित किया गया है।

ii) संवासियों को जो विधिक सहायता प्रदान की जाती है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है और वह खराब क्वालिटी की है। अधिकतर महिला संवासी बहुत गरीब है और वे पूर्णरूप से राज्य द्वारा प्रदान की जा रही विधिक सहायता पर निर्भर है। महिला संवासी जेल में कई वर्षों से बंद है और कुछ मामलों में तो यह अवधि 5 वर्ष से भी अधिक की है और वे अपना विचारण आरंभ होने या कम से कम जमानत मंजूर होने की प्रतीक्षा कर रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिन वकीलों को पैनल में रखा हुआ है वे नियमित रूप से सुनवाई की तारीख को न्यायालय में हाजिर नहीं होते हैं। प्रदान की जा रही विधिक सहायता उचित प्रकृति की नहीं है क्योंकि गंभीरतापूर्वक मामलों के संबंध में दलीलें नहीं दी जाती है। जिन अधिवक्ताओं को मामले सौंपे गए हैं वे संवासियों से नहीं मिलते हैं और उन्हें उनके मामलों की स्थिति के बारे में नहीं बताते हैं। यह सिफारिश की जाती है कि संवासियों को प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता की क्वालिटी की तुरंत समीक्षा की जाए। इनकी निगरानी करने के लिए एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जो समय समय पर पैनल में के अधिवक्ताओं द्वारा किए गए वास्तविक कार्यों की समीक्षा कर सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रत्येक विचारणाधीन संवासी के न्यायालय में के मामलों की बाबत ब्यौर–वार जानकारी प्रदान करने के लिए डाटाबेस ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। इस डाटाबेस का उपयोग ऐसे मामलों में आनलाइन पर सनद रहने के लिए चेतावनी देने के लिए किया जा सकता है जिन मामलों में विधि द्वारा यथाउपबंधित समय सीमा के परे कोई संवासी जेल में रहती है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ताओं का पारिश्रमिक बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे के वे संवासियों के न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में अधिक रूचि ले सके।

iii) संवासियों द्वारा जिस एक मुख्य समस्या का सामना किया जा रहा है वह जमानत बंधपत्रों को प्रस्तुत करने में उनकी वित्तीय असमर्थतता है। आयोग के निरीक्षण दल के समक्ष एक ऐसे संवासी का मामला आया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर कर दी गई थी किंतु वे जेल में इसलिए बंद थी क्योंकि वह या उसका परिवार 30 हजार रूपये की रकम की जमानत राशि की व्यवस्था नहीं कर सका था। पुलिस प्राधिकारियों को ऐसे मामलों में जहां महिला संवासी उसका परिवार जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने में असर्मथ है वहां निधियों की व्यवस्था करने के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लेना चाहिए।

iv) परोसे जाने वाला खाना अच्छा है और संवासी खाने की मात्रा और क्वालिटी दोनों से संतुष्ट है। यद्यपि सभी संवासियों को संतुलित भोजन प्रदान किया जाता है किंतु ऐसे व्यापक स्वास्थ्य और स्वच्छ नीति है जिसके अधीन जेल प्राधिकारियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे पर्याप्त पोषक खाना उपलब्ध गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली मातों के लिए हेल्थ सप्लीमेंट भी शामिल है ऐसी नीति तैयार की जानी चाहिए। इसी प्रकार स्वास्थ्य की बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं, मनोरंजन, वास सुविधा, पोषक तत्व गर्भवती और जेल में बच्चों को दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को प्रदान करनी चाहिए। तथापि, राष्ट्रीय महिला आयोग के दल को यह बताया गया था कि जेल में आने वाले बाल चिकित्सक द्वारा सभी बच्चों का यथाविहित उचित टीकाकरण किया जाता है। बच्चों को देने वाले खाने में दूध, फल, मिठाई, बेबी फूड और अन्य पोषक संघटकों की युक्तियुक्त मात्रा प्रदान की जानी चाहिए।

v) जेल में केवल एक चिकित्सीय अधिकारी तैनात है और स्त्री रोग विशेषज्ञ, मनोरोग विशेषज्ञ और बाल रोग विज्ञान की सेवाएं उनके मुआइने के आधार पर प्रदान की जाती है।

vi) छोटे बच्चों के साथ रह रही महिला संवासियों को जेल की अलग बैरक में रहने की सुविधा प्रदान की गई है। 3 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजा जाता है जबकि छोटे बच्चे पूरे दिन अपनी माताओं के साथ रहते हैं। यह पाया गया कि जेल परिसरों के भीतर बाल गृह सुविधाएं नहीं है। बच्चों को पिकनिक पर ले जाने जिससे कि आगे चलकर वे समाज की मुख्य धारा में आसानी से जुड़ सके इस संबंध में कोई उचित मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित नहीं किए गए हैं। यह सिफारिश की जाती है कि ऐसे छोटे बच्चें जो नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा रहे हैं उनके लिए एक बालगृह स्थापित किया जाए। यह महत्वपूर्ण है कि छोटे छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक हितकर पर्यावरण भी बनाया जाए। महिला कैदियों के साथ रहने वाले 5 वर्ष तक कि आयु वाले बच्चों को मुख्य कारागार भवन से बाहर विशेष रूप से संगठित बालगृह में रखने की अनुमति दी जाए और उच्चतर शिक्षा की सुविधाओं में सुधार किया जाए और इन सुविधाओं को बच्चों को उपलब्ध कराया जाए।

vii) कारागार में बंद किए गए संवासियों में से अधिक विचारणाधीन संवासी है उन्हें विभिन्न मनोरंजन क्रियाकलापों में शामिल होने जैसे कि चित्रकारी, कढ़ाई आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और इसके परिणामस्वरूप संवासियों द्वारा बहुत सुंदर चित्रकारी की गई है। विभिन्न संगठन जैसे कि ''प्रयास'' और ''फ्रीडम फाउडेशन'' कारागार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक नीति के रूप में

विचारणाधीन संवासियों को अधिक कौशल विकास प्रदान नहीं किया जाता है किंतु यदि वे एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रहते हैं तब उन्हें अच्छा कौशल/व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे कि वे कारावास में अपने रहने के दौरान और वहां से रिहा होने के पश्चात् अपनी देखभाल करने में सशक्त हो सके क्योंकि अधिकतर संवासियों पर जेल का तथाकथित कलंक लग जाने के कारण उनके परिवार वाले उन्हें वापस ले जाना नहीं चाहते हैं। जेल प्राधिकारी संवासियों को 6 मास का कंप्यूटर प्रशिक्षण और चित्रकारी पाठ्यक्रम प्रदान करने में सहायता करते हैं।

viii) गैर सरकारी संगठनों को महिला कैदियों के लिए न केवल मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए अपितु उनके बच्चों के लिए भी पिकनिक, मूवीज, खेलकूद क्रियाकलाप, चित्रकारी, नाच गाना प्रतियोगिता भी आयोजित करनी चाहिए।

13. केंद्रीय जेल, यरवडा, पुणे, महाराष्ट्र

i) वर्ष 1864 में यरवडा केंद्रीय जेल, पुणे स्थापित की गई थी। इस जेल भवन के अधिकतर भाग को एक धरोहर माना जाता है। इस जेल में अंग्रेजों द्वारा राष्ट्रपिता और कई अनेक प्रख्यात स्वतंत्रता सैनानियों को कैद में रखा गया था। हाल ही में यह जेल चर्चा का विषय तब बना था जब सिद्धदोष आतंकवादी अमीर अजमल कसाब को यहां पर फांसी दी गई थी। सिविक रोड के आरपार अवस्थित पुरूष और महिला अनुभागों का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया गया है। महिला अनुभाग वर्ष 1871 में अस्तित्व में आया। सुविधाओं में सुधार करने के लिए इस भवन का नवीकरण और आधुनिकीकरण करने के संबंध में कदम उठाए गए हैं।

ii) इससे पहले न्यायमूर्ति आनंद की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि 136 कैदियों की मंजूर क्षमता के स्थान पर यहा पर 315 संवासी है जिनमें से 233 सिद्धदोष संवासी है। यह भी उल्लेख किया गया है कि अपनी माताओं के साथ 32 बच्चे यहां पर रहते है जिनमें से चार, 4 वर्ष की आयु से अधिक के हैं उस समय राज्य के कारागार मैनुअल में यही सीमा विहित की गई थी। एन.एच.आर.सी. की रिपोर्ट में व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में प्रतिकूल रूप से टीका–टिप्पणी की गई है और यह भी उल्लेख किया गया है कि कारागार मैनुअल में उपबंधित रीति में जो बच्चे अपनी माताओं के साथ रह रहे है उन्हें अलग से संतुलित आहार नहीं दिया जाता है। ऐसे चार मामलों का पता चला है जिनमें महिलाओं द्वारा दंडादेश को पूरा करने के बावजूद भी वे अभी तक जेल में ही बंद है। इस रिपोर्ट में मामलों के कतिपय वर्ग में पैरोल मंजूर करने में विलंब होने के बारे में भी उल्लेख किया गया है।

iii) इस जेल में 282 संवासी (164 सिद्धदोष और 118 विचारणाधीन) और 6 वर्ष की आयु से नीचे के 10 बच्चे हैं। देश के अन्य जेलों के समान स्थिति लाने के लिए एनएचआरसी की रिपोर्ट के पश्चात् राज्य मैनुअल में संशोधन किया गया। वर्ष 2017 में मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए बच्चों के लिए संतुलित आहार को भी विहित किया गया है। न्यायमूर्ति आंनद द्वारा सूचीबद्ध सभी मामलों को छांट लिया गया है। इसके अतिरिक्त अप्रैल 2010 में राज्य सरकार द्वारा पैरोल मंजूर करने की बाबत नीति भी तैयार

की गई है। न्यायमूर्ति आनंद की रिपोर्ट में जो मत व्यक्त किया गया था उसके संबंध में कार्यवाही की जा रही है। व्यवसायिक प्रशिक्षण की बाबत पश्चात्वर्ती पैराओं में इसका उल्लेख किया गया है।

iv) विद्यमान बैरके साफ सथुरी है तथापि, महिला विंग में अधिक संवासी है क्योंकि जेल प्राधिकारियों का संवासियों (सिद्धदोष या अन्यथा) की संख्या पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए नए बैरक (विस्तार के लिए काफी स्थान है) बना कर क्षमता बढ़ाई जा सकती है या आसपास के अन्य जेलों में कुछ संवासियों को स्थानांतरित किया जा सकता है। तथापि, सरकार द्वारा इस संबंध में कोई नीति बनाई जानी चाहिए और इस बाबत उन्हें निर्देशित कर दिया गया है। विद्यमान ऐसे प्रकोष्ठों में जहां कुछ संवासियों को रखा जा सकता है वहां पर शीघ्रता से मरम्मत/नवीकरण और विद्युत की तारों को लगाए जाने की आवश्यकता है।

v) रसोईघर में एगजोस्ट फैन विशेष रूप से खाने पकाने की कढ़ाईयों के ऊपर लगाने की आवश्यकता है। पत्थर का फर्श पुराना होने के बावजूद भी साफ सथुरा है किंतु छत के साथ इसकी भी मरम्मत करने की आवश्यकता है। रसोई से बिल्कुल बाहर की छत की कुछ टाइलें टूटी हुई है और पूरी सरंचना के ऊपर पेड़ों, टहनी और पत्तों के ढेरों की छत्तरी के कारण इसको साफ करने की, विशेष रूप से बारिश आरंभ होने से पहले, आवश्यकता है।

vi) जेल परिसर से बाहर अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्र में 3 वर्ष की आयु से अधिक बच्चे नियमित रूप से जाते हैं इस केंद्र को एकीकृत बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) के अधीन चलाया जा रहा है।

vii) रोशनी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत विद्युत ऊर्जा है जबकि महिला संवासियों (यह सुविधा केवल इस समय महिला संवासियों के लिए उपलब्ध है) को गर्म पानी प्रदान करने के लिए सोलर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है।

viii) राष्ट्रीय महिला आयोग के दल ने पुराना स्नानघर/वॉशरूम और संवासियों के लिए नवनिर्मित ब्लॉक में बनाए गए स्नानघरों का निरीक्षण किया और यह पाया कि वे स्वच्छ थे और यह उल्लेख किया कि एन.एच. आर.सी. के दौरे के पश्चात् स्थिति में सुधार हुआ है।

ix) केंद्रीय जेल को सी.एस.आर. उपस्करों के कारण फायदा हुआ है और उनके पास सूर्य ऊर्जा से चलने वाले राईस कुकर है और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए एक नया मंच है।

x) अधिकतर संवासियों को जमानत की रकम के लिए प्रतिभू नहीं मिलता है। डी.एल.एस.ए. अधिवक्ता को चाहिए कि वे प्रतिभूति रकम को कम करने के लिए अपील फाइल करके संवासियों की सहायता करें।

xi) संवासियों को प्रदान की गई सुविधाएं पर्याप्त है; वाशरूम सुविधाएं साफ सथुरी है; कुछ संवासियों ने अपर्याप्त स्त्री रोग विज्ञान से संबंधित सुविधाओं के मुद्दों को उठाया।

xii) पुणे में कई ख्यातिप्राप्त चिकित्सीय संस्थाएं हैं और इसलिए पांचवें वर्ष के इंटर्न/रेजीडेंटों द्वारा जेल संवासियों की साप्ताहिक स्वास्थ्य जांच करने की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए। इससे एक

तरफ संवासियों को सहायता मिलेगी और दूसरी तरफ इंटर्न/रेजीडेंट को व्यवहारिक क्षेत्र का अनुभव प्राप्त होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के भागरूप टेली मेडिसिन के उपयोग को आने वाले वर्षों में चरणबद्ध रीति में आरंभ/कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

xiii) न्यायालय और संवासियों के बीच ई–सुविधाओं, वीडियो कान्फ्रेसिंग, जो कि इस समय लगभग 3000 प्रतिमास है, के अधिक उपयोग को और अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

xiv) परंपरागत व्यवसाय जैसे कि कढ़ाई, सिलाई, बुनाई आदि में न केवल व्यवसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास प्रदान किया जा रहा है अपितु महिन्द्रा के विक्रेता के लिए सुरक्षा ताले/चाबी बनाने के लिए एक संयोजन वीथी प्रारंभ करके नए क्षितिज को छूने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार महिलाओं को एक बहुराष्ट्रीय जूतो की कंपनी, जो अपने उत्पाद घरेलू और विदेशी बाजारों में बेचती है, के विद्यमान उद्योग में पुरूष संवासियों के साथ काम पर लगाया जाने का भी प्रस्ताव है। यह सुझाव दिया गया है कि पुरूष संवासियों द्वारा चलाई जा रही मशहूर बेकरी के अनुरूप महिला संवासियों को भी इस काम में शामिल किया जाए ।

xv) भारत में पहला महिलाओं का खुला कारागार यहां पर अवस्थित है। लगभग 17 एकड़ का क्षेत्र महिलाओं संवासियों द्वारा खेतीबाड़ी करने के लिए चिह्नित किया गया है। महिला संवासी सुबह चली जाती है और शाम को जेल प्राधिकारियों को अपने लौटने की रिपोर्ट करती है। यहां से लगभग 2.6 लाख रूपये की आय अर्जित होने की रिपोर्ट मिली है।

xvi) संवासियों और उनके परिवारों के बीच बातचीत करने की जो आधुनिक सुविधा प्रदान की गई है वह भी एक सराहनीय कदम है।

14. केंद्रीय जेल, बिशालगढ़, त्रिपुरा

i) केंद्रीय संशोधनगर, बिशालगढ़, सिपाहीजिला, त्रिपुरा की स्थापना वर्ष 2013 में हुई थी इसमें 975 प्राधिकृत संवासियों की क्षमता है जिसमें 25 महिलाएं भी शामिल हैं। कारागार में कुल 497 संवासियों में से 29 महिला संवासी है जिनमें 7 बच्चे भी शामिल है। इस कारागार का निर्माण 32.62 एकड़ भूमि पर किया गया है। इस जेल को सुधारक केंद्र भी कहा जाता है। कारागार के महिला ब्लॉक का नाम झांसी रानी ब्लॉक है। महिला संवासियों के लिए अतिरिक्त कमरों का निर्माण करने की आवश्यकता है क्योंकि उनकी संख्या प्राधिकृत क्षमता से अधिक है।

ii) यह जेल सुनियोजित है और इसमें विभिन्न सुविधाएं जैसे कि टेलीविजन के साथ मनोरंजन हॉल, सामाचारपत्र, पुस्तकें, गेम्स, खाने के कक्ष की सुविधा के साथ रसोईघर और एक छोटा किचन गार्डन है जिसमें मौसमी सब्जियां जैसे कि गोभी, बंदगोभी, टमाटर, गाजर आदि उगाई जाती है और एक वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष भी है।

iii) कारागार में 10 बिस्तरों का एक अस्पताल है और इसमें 2 चिकित्सीय अधिकारी (एक महिला) 3 भेषज विज्ञानी (एक महिला), 4 स्टाफ नर्सें (एक महिला), और 4 साधारण ड्यूटी सहायक (एक महिला) हैं। कैदियों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं प्रदान की जाती है और आगे अन्वेषण के लिए रोगियों को प्रादेशिक अस्पताल, राज्य अस्पताल और राज्य से बाहर अस्पतालों में भेजा जाता है। महिला संवासियों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य कार्ड को बनाए रखने की आवश्यकता है जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चों का समय समय पर टीकाकरण, प्रतिरक्षीकरण किया जाता है और समय समय पर संवासियों की चिकित्सा परीक्षा की जाती है।

iv) महिला कारागार में 3 बैरके हैं और एक शयनकक्ष है। कुल मिलाकर ये संवातन के साथ सब अच्छी हालत में हैं। जल निकासी, सफाई/कपड़ें धोने के लिए जल, रसोईघर और शौचालय जैसी सुविधाएं समाधानप्रद है। तथापि, स्नान करने के लिए गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहां पर 3 शौचालय (इंडियन) और 3 स्नानघर हैं। इसलिए एक वेस्टर्न शौचालय का निर्माण करने का सुझाव दिया जाता है। कुल मिलाकर वार्डों में सुविधा समाधानप्रद है। महिला संवासी भी स्वच्छता को बनाए रखने के लिए बहुत सक्रिय है।

v) महिला और पुरूष दोनों संवासी के लिए एक ही रसोईघर है जो कि महिला संवासियों की अपेक्षाओं को उनकी विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार, जैसे कि बच्चों और दुग्धपान कराने वाली माताओं के लिए संतुलित आहार के अनुसार, उचित रूप से पूरा नहीं करती है। इसलिए महिला संवासियों के लिए एक अलग रसोईघर की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। तब तक महिला कारागार में एक छोटा रसोईघर/एक पेनटरी की व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिसमें भंडारण सुविधाओं के साथ फ्रिज/फ्रिजर प्रदान किया जाना चाहिए। रसोईघर/पेनटरी में खाना/दूध गर्म करने की सुविधाएं भी दी जानी चाहिए।

vi) नियमित रूप से संवासियों को सुनवाई में उपस्थित रहने के लिए न्यायालय में ले जाया जाता है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वकील उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। वकील समय समय पर न्यायालय के विनिश्चयों और की जा रही कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हैं।

vii) संवासियों की शैक्षणिक स्थिति बहुत दयनीय हैं क्योंकि 40 संवासियों में केवल 24 संवासी लिख पढ़ सकते हैं। उन्हें दूरस्थ पद्धित के माध्यम से और आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए। इस जेल में कोई बालगृह नहीं है, कोई पूर्व विद्यालय सुविधा नहीं है और कारागार में महिलाओं संवासियों के बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। निरक्षर महिला संवासियों के लिए व्यस्क साक्षर कक्षाएं आयोजित नहीं की जाती है।

viii) चौबीस सिद्धदोष महिला संवासियों में से 16 संवासियों को हत्या के लिए दोषसिद्ध किया गया है जो कि तुलनात्मक दृष्टि से बहुत अधिक है। संवासियों की बदतर शैक्षणिक प्रोफाइल के संदर्भ में इस बाबत विचार करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त उनके मामलों की समीक्षा इस दृष्टि से की जानी चाहिए

कि क्या उन्होंने उपलब्ध पुनर्विलोकन/अपील के सभी विधिक चैनलों का लाभ उठाया है या नहीं और इसके पश्चात् और आगे कार्रवाई करने का विनिश्चय किया जाना चाहिए।

ix) महिलाओं संवासियों को सिलाई, बुनाई, सॉफ्ट खिलौने बनाने, बागवानी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। तथापि, कैदियों को जो मजदूरी दी जाती है वह बहुत कम है और यह मजदूरी 24 रूपये से लेकर 33 रूपये तक है। महिला संवासियों का बैंक में खाता नहीं है। उनके द्वारा जो मजदूरी कमाई जाती है उसे जेलर के खाते में जमा कर दिया जाता है और लेखा बही को बनाए रखा जा रहा है। महिला संवासियों की मजदूरी को बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें जो मजदूरी दी जाती है वह उनके कार्य/श्रम के अनुरूप नहीं है। संवासियों को श्रमिक घंटों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए अर्थात् अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के विभिन्न वर्गों को देय न्यूनतम मजदूरी से जोड़ा जाना चाहिए। महिला संवासियों के बैंक खाते में उनकी मजदूरी को जमा कराया जाना चाहिए और इसके लिए सभी महिला संवासियों के बैंक खाते तुरंत खोले जाने की आवश्यकता है। व्यवसायिक/कौशल विकास कार्यक्रमों में बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता है और संवासियों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान और इसके पश्चात् कारावास में उनके रहने की अवधि के दौरान जिन मदों का उत्पादन किया गया है उसके लिए एक बाजार सृजित करनी की आवश्यकता है।

x) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ताओं द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जा रही है उन्हें महिला संवासियों द्वारा समाधानप्रद नहीं पाया गया। संवासियों ने त्वरित न्याय के लिए अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त डी.एल.एस.ए. चक्रानुक्रम आधार पर अधिवक्ताओं की सेवाएं प्रदान करता है। अधिवक्ताओं को लंबी अवधि के आधार पर मामले से सहयुक्त होने की आवश्यकता है। महिला संवासियों के मामलों की किसी ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा समीक्षा करने की आवश्यकता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके मामलों में अपील/पुनर्विलोकन के सभी संभव चैनलों को पूरा कर लिया गया है।

15. साबरमती केंद्रीय जेल, अहमदाबाद, गुजरात

i) वर्ष 1891 में इस कारागार को स्थापित किया गया था। महिला जेल (महिला केंद्रीय जेल) का उद्घाटन तारीख 16 फरवरी, 2018 को किया गया और इसकी प्राधिकृत क्षमता 200 महिला संवासियों की है। इस समय यहां पर 126 महिला संवासी और जेल मैनुअल में यथाविहित 6 वर्ष की आयु से कम आयु के 10 बच्चे हैं। 126 संवासियों में से 46 सिद्धदोष, 75 विचारणाधीन और 5 पैरोल पर हैं।

ii) कारागार में महिला संवासियों के लिए 5 बैरकें, 2 प्रकोष्ठ, 1 एकाकी प्रकोष्ठ, 13 गार्ड टावर है। इन गार्ड टावरों की दशा संतोषजनक, पर्याप्त प्रकाश है और इनमें से 12 काम कर रहे हैं। जेल में सभी अपेक्षित संरचनात्मक सुविधाएं जैसे कि साफ पीने का पानी, यद्यपि गद्दे फर्श पर है। अलग किचन गार्डन, 24 शौचालय सीट, 6 स्नान करने के स्थान और गर्मियों में गर्म पानी की व्यवस्था, 1440 वर्ग फुट के क्षेत्रफल में पुस्तकालय व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र, योग तथा प्रार्थना कक्ष हैं। जेल संवासियों और उनके बच्चों

के लिए जेल में आंगनवाड़ी है। आंगनवाड़ी में पर्याप्त मनोरंजन सुविधाएं जैसे कि हॉल में टेलीविजन, संवासियों के बच्चों के लिए खिलौने भी है।

iii) जेल में 6 चिकित्सा अधिकारी (1 महिला) और 2 नर्सिंग कर्मचारियों के साथ महिला स्त्री रोग विज्ञानी उपलब्ध है। आपातकालीन मामलों और ऐसे मामलों में जहां विशेष उपचार आवश्यक है वहां सिविल अस्पताल, अहमदाबाद को रेफर किया जाता है। जिन महिला संवासियों को चिकित्सा की आवश्यकता होती है उनके लिए जेल में उनके प्रवेश करने के समय से ही स्वास्थ्य कार्ड को बनाए रखा जाता है और समय समय पर उसे अद्यतन किया जाता है। गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली महिला संवासियों को उचित प्रतिरक्षीकरण और ओषधियां दी जाती है। संक्रमित रोगों से बचाने के लिए बच्चों का टीकाकरण, जैसे कि बी.सी.जी., हेपटाइटिस बी, मिजिल आदि, किया जाता है।

iv) खाने का मेन्यु मानकीकृत है और कारागार मैनुअल के अनुसार इसकी पहले ही योजना बनाई जाती है। महिला संवासियों और उनके बच्चों को तीन बार खाना और शाम को स्नैक्स दिए जाते हैं। दिया जाने वाला खाना पोष्टिक और स्वास्थ्यकर है। चिकित्सा अधिकारी के नुस्खे के अनुसार बीमार महिला संवासियों को विशेष खाना दिया जाता है। रमजान के मास के दौरान, महिला संवासियों को सेहरी (दिन निकलने से पहले का खाना) और इफ्तार (शाम का खाना) दिया जाता है। महाशिवरात्री, श्रावण, चैत्र नवरात्री के दौरान हिंदू महिला संवासियों को विशेष खाने की वस्तुएं दी जाती है। धार्मिक त्योहार जैसे कि होली, रक्षाबंधन, बुद्ध पूर्णिमा, दीवाली, ईद, बकर ईद आदि मनाई जाती है।

v) काफी बड़ी संख्या में महिला संवासियों को हत्या के लिए दोषसिद्ध किया गया है। अधिकतर महिला संवासी निरक्षर हैं इस संबंध में विचार करने की आवश्यकता है। यहां पर 40 महिला संवासी निरक्षर है और 45 केवल लिख पढ़ सकती है। यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसे सभी संवासियों के मामलों के संबंध में ऊपर के स्तर पर समीक्षा करने की आवश्यकता है जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके मामलों में पुनर्विलोकन/अपील के सभी विधिक उपचारों को पूरा किया गया है। ऐसे मामलों में डी.एल.एस.ए. /एस.एल.एस.ए. से यह अनुरोध किया जा सकता है कि वह ऐसे किसी ज्येष्ठ अधिवक्ता की सेवाएं प्रदान कराएं जो ऐसे मामलों की समीक्षा कर सकता हो और आगे विधिक कार्रवाई करने का सुझाव दे सकता हो।

vi) जेल के साथ कई गैर सरकारी संगठन कार्यरत है और वे संवासियों को योग, सौंदर्य प्रसाधन में कौशल प्रशिक्षण, सिलाई और कटाई, अंग्रेजी भाषा बोलना, सेनेटरी नेपकिन आदि का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। महिला संवासियों को सौंदर्य उपचार और औद्योगिक बुनाई पर प्रमाणित व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। कैदियों को उनके मासिक खर्चे के लिए 1000 से 2000 रूपये के कूपन दिए जाते हैं और 1000 रूपये की शेष रकम को उनके खाते में जमा किया जाता है।

vii) जेल में कई अन्य कार्यक्रम/क्रियाकलाप, जैसे कि चिकित्सा शिविर, देश भक्ति के गाने की प्रतियोगिता, विधिक सहायता क्लिनिक, आयोजित किए जाते हैं।

viii) जेल में निम्नलिखित सुविधाओं को प्रदान करने की सिफारिश की जाती है:–

क) जैविक फल और सब्जियों को उगाने के लिए बागवानी पर प्रशिक्षण

ख) महिलाओं के लिए एक वेस्टर्न शौचालय

ग) विद्यमान सफेद रंग की वर्दी के स्थान पर संवासियों को हल्के रंग की साड़ी देने की व्यवस्था करना

घ) सेनेटरी नेपकिनों के निपटान के लिए भट्टी

ङ) आध्यात्मिक, प्रेरणादायी, धार्मिक सत्र

च) योग कक्षाएं

16. केंद्रीय जेल वडोदरा, गुजरात

i) इस कारागार की स्थापना वर्ष 1881 में हुई थी, इसकी प्राधिकृत क्षमता 955 है जिसमें से महिलाओं की प्राधिकृत क्षमता 220 हैं। इस समय यहां पर 65 महिला संवासी और 5 बच्चे हैं। इस कारागार में महिला संवासियों के लिए 10 बैरक और 8 कमरे हैं। कमरों में अच्छी रोशनी है और साफ सथुरे है, महिला बैरकों में शौचालयों की 59 सीट हैं और हर समय पानी की सुविधा है। शौचालयों की हालत अच्छी है। संवासियों को फर्श पर सोने के लिए गददे दिए गए हैं। इस कारागार में किचन गार्डन, पुस्तकालय और अंदर खेले जाने वाले खेलों की सुविधा भी है। सिलाई में व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चों के लिए आंगनवाड़ी और महिला संवासियों के लिए एक अलग परामर्श केंद्र भी है।

ii) यहां पर 5 चिकित्सा अधिकारी (1 महिला) और 3 नर्सिंग कर्मचारी (2 महिला) है। महिला स्त्री रोग विज्ञानी और मनोरोग विज्ञानी की सेवाएं भी सप्ताह में एक बार उपलब्ध कराई जाती है। कारागार के समीप एक शल्य चिकित्सा कक्ष भी है।

iii) महिला संवासियों को जो सुविधाएं दी जाती है उनमें टेलीविजन, योग कक्षाएं, बागवानी, बाहर खेलने का मैदान, मासिक आधार पर साबुन और कंघा, दैनिक आधार पर दंत मंजन, सेनेटरी नेपकिन (एक पैकैट जिसमें 12 नेपकिन होते हैं), बैंक खाता, व्यस्क साक्षर कक्षाएं, बच्चों के लिए प्ले स्कूल आदि उपलब्ध हैं।

iv) हर रोज 3 बार खाना दिया जाता है। खाने की क्वालिटी अच्छी पाई गई। रमजान के मास के दौरान मुसलमान संवासियों को सेहरी (दिन निकलने से पहले का खाना) और इफ्तार (शाम का खाना) दिया जाता है। 4 सिद्धदोष महिला संवासियों को खाना पकाने का काम सौंपा गया है।

v) 46 संवासियों में से 32 महिला कैदियों को हत्या के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है। इस संबंध में उनकी बदतर शैक्षणिक हालात को ध्यान में रखते हुए विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि इन में 20 संवासी

बिल्कुल निरक्षर है इसलिए यह स्पष्ट है कि जेल प्राधिकारियों की मौजूदगी में किसी ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा उनके मामलों का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके मामलों में सभी संभव विधिक चैनलों को पूरा किया गया है और यह विनिश्चिय किया जा सके कि और आगे कार्रवाई करना यदि आवश्यक है तो उसे किया जाए।

vi) कारागार के साथ काफी बड़ी संख्या में गैर सरकारी संगठन सहयुक्त हैं जो परामर्श, पुनर्वास, घरेलू दौरे, व्यवसायिक प्रशिक्षण, अंग्रेजी बोलना, बाल शिक्षा कक्षाएं आदि जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। महिला संवासियों को सिलाई और कपड़ें तैयार करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है।

vii) कैदियों को उनके मासिक खर्चे के लिए 1000 से 2000 रूपये के कूपन दिए जाते हैं और 1000 रूपये की शेष रकम को उनके खाते में जमा किया जा रहा है।

viii) जेल में निम्नलिखित सुविधाओं की भी सिफारिश की जाती हैः–

क) महिलाओं के लिए एक वेस्टर्न शौचालय

ख) सफेद रंग की साड़ी के स्थान पर संवासियों को हल्के रंग की साड़ी देने की व्यवस्था करना

ग) सेनेटरी नेपकिनों के निपटान के लिए भट्टी

घ) महिला संवासियों के परामर्श के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और मनोरोग विज्ञानी

17. केंद्रीय जेल कोलवाले, गोवा

i) इस जेल को वर्ष 2015 में स्थापित किया गया है और इसमें 13 बैरक/कमरें महिला संवासियों के लिए चिह्नित किए गए हैं। इस कारागार में 51 कैदियों की प्राधिकृत क्षमता है जबकि इस जेल में इस समय 21 संवासी (8 सिद्धदोष और 13 विचारणाधीन) बंद है। जेल परिसर में कोई भी बच्चा नहीं है। यहां पर अधिक संवासी होने की कोई समस्या नहीं हैं और संवासियों को रहने के लिए समुचित स्थान दिया गया है। तथापि, तथ्य यह है कि कारागार के महिला वार्ड में जो सेवाएं दी जा रही है तथा इसकी संरचना का बेहतरीन उपयोग नहीं किया जा रहा है। सामान्यतः कारागारों में क्षमता से अधिक संवासी होते हैं तथा इस परिपेक्ष में इस तथ्य पर विचार करने की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में बदलाव करने की आवश्यकता है और जिन कारागारों में अधिक संवासी है वहां से संवासियों को यहां पर स्थानांतरित करने की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए।

ii) महिला संवासियों को जो विधिक सहायता प्रदान की जा रही है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है और संवासियों के बीच इस संबंध में नाराजगी है और वे यह महसूस करती है कि न्यायालय में उनके मामलों की बाबत उचित रूप से प्रतिवाद नहीं किया जा रहा है। अधिकतर महिला संवासी बहुत गरीब है और वे राज्य द्वारा दी जा रही विधिक सहायता पर पूर्ण रूप से आश्रित है। महिला संवासी कई वर्षों से जेलों में

बंद है और वे विचारण आरंभ होने या जमानत मंजूर करने की प्रतीक्षा कर रही है। डी.एल.एस.ए. की पैनल में जो वकील है वे सुनवाई के लिए नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते हैं और गंभीरतापूर्वक मामलों पर विचार नहीं करते हैं और न ही संवासियों को उनके मामलों की स्थिति के बारे में बताने के लिए उनसे मुलाकात करते हैं। (निरीक्षण के दौरान जांच दल को यह पता चला कि एक संवासी है जिसे पराक्रम्य लिखत अधिनियम के अधीन एक अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है। उसे एक लाख रूपये की राशि का चेक वापस हो जाने के आधार पर किए गए अपराध के लिए 30 मास का दंडादेश भुगतने के लिए कारावास दिया गया था। चूंकि उसके पति की मृत्यु हो गई है और उसकी अप्राप्तवय पुत्री की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है उसे छूट देने के लिए अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील लंबित है। तथापि, उसे यह शंका है कि उसके वकील द्वारा संवेदनशीलता के साथ और पूर्विकता के आधार पर मामले पर कार्यवाही नहीं की जा रही हैं)। संवासियों को प्रदान की जा रही निःशुल्क विधिक सहायता की क्वालिटी के संबंध में शीघ्रतापूर्वक समीक्षा करने की आवश्यकता है। सूची में सम्मिलित वकीलों द्वारा जो वास्तविक कार्य किया जा रहा है उसकी समय समय पर निगरानी तंत्र द्वारा समीक्षा की पद्धति को विकसित करके निगरानी की जानी चाहिए और डी.एल.एस.ए. को चाहिए कि वह प्रत्येक विचारणाधीन न्यायालय के मामलों की बाबत ब्यौरवार जानकारी के लिए ऑनलाइन डाटाबेस तैयार करे जिसका प्रयोग विधि द्वारा यथाउपबंधित किसी विहित समय सीमा के परे जेल में बंद किसी संवासी के मामलों में ऑनलाइन सर्तक करने के लिए उपयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त विधिक सहायता अधिवक्ताओं का पारिश्रमिक भी बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि वे संवासियों के न्यायालय के मामलों में अधिक रूचि ले सके।

iii) संवासियों द्वारा जिस एक और अन्य समस्या का अक्सर सामना किया जाता है उसका संबंध जमानत पत्रों को प्रस्तुत करने में आर्थिक रूकावट है। जमानत रकम की समीक्षा करने के लिए इन मामलों के संबंध में न्यायालयों से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। जेल प्राधिकारियों को भी जमानत रकम को सुकर बनाने के लिए गैर सरकारी संगठन/परोपकारी मनुष्यों को सम्मिलित करने की संभावना का पता लगाने की आवश्यकता है।

iv) अधिकतर संवासी, विशेष रूप से ऐसे संवासी जो गोवा से बाहर के हैं, उनके परिवार के सदस्य उनसे मिलने नहीं आते हैं जबकि संवासियों द्वारा टेलीफोन और पत्रों के माध्यम से अपने परिवार वालों के साथ संपर्क बनाए रखने के प्रयास किए गए हैं। जेल प्राधिकारियों को महिला संवासियों को उनके परिवार के सदस्यों/संबंधियों के साथ संपर्क में बने रहने के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है क्योंकि यह संवासियों के अच्छी मानसिक हालत में बने रहने और विभिन्न मानसिक समस्याओं जैसे कि अवसाद आदि से ग्रसित न होने के लिए आवश्यक है।

v) जेल में परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी, मात्रा और गुणवत्ता दोनों अच्छी है और इस बाबत संवासियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त संवासियों को खाना दिए जाने से पहले नियमित रूप से उसकी बारीकी से चिकित्सीय जांच की जाती है।

vi) कारागार की छत पर लगे पंखे कम ऊचांई पर हैं जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि संवासियों को नुकसान पहुंच सकता हैं या यहां तक की वे आत्महत्या के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसी किसी अशुभ घटना से बचने के लिए छत पर लगे हुए पंखों की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता है।

vii) केंद्रीय जेल, गोवा एक आदर्श जेल है जिसके अंदर एक दंत अस्पताल भी है। अधीक्षक ने यह बताया कि जेल में एक चिकित्सा अधिकारी और 4 नर्सिंग अधिकारी है। तथापि, विशेषज्ञों जैसे कि स्त्री रोग विशेषज्ञ और मनोरोग विशेषज्ञ की सेवाएं मुआइने के आधार पर प्रदान की जाती है। कारागार में पूर्णकालिक परामर्शी, अर्हित सामाजिक कार्यकर्ता, मनोवैज्ञानिक/मनोरोग चिकित्सक और स्त्री रोग विज्ञानी, चिकित्सीय तथा रोग निदान सुविधाएं जेल परिसरों के भीतर नियमित रूप से संवासियों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

viii) इस जेल में बंद अधिकतर संवासी विचारणाधीन है इसलिए उन्हें स्वेच्छा से विभिन्न मनोरंजन क्रियाकलापों में जैसे कि पेंटिंग, कढ़ाई आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। संवासियों ने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है जो कि उनके लिए कमाई का एक साधन भी है। नीति के रूप में विचारणाधीन संवासियों को कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता है किंतु क्योंकि वे लंबी अवधि तक कारावास में रहती है और कुछ मामलों में तो यह अवधि एक वर्ष से अधिक तक होती है इसलिए उन्हें कारागार में रहने के दौरान और कारागार से रिहा होने के पश्चात् उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।

ix) गैर सरकारी संगठन जैसे कि ''प्रिज़न मिनिस्ट्री'' और ''प्रेम रावत फाउंडेशन'' जेल प्राधिकारियों के साथ मिलकर कार्य कर रहें हैं और वे परामर्शी सेवाएं, अंग्रेजी बोलने का पाठ्यक्रम, योग आदि प्रदान करने में सहायक है। तथापि, यह पाया गया है कि प्रेम रावत फाउंडेशन जिसे मुख्य रूप से योग कक्षाओं का संचालन करने के लिए अनुज्ञा दी गई थी वे धार्मिक प्रवचनों का प्रचार प्रसार कर रहा है। जेल प्राधिकारियों को जेल परिसरों के अंदर कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों पर नजर रखनी चाहिए जिससे कि सामाजिक सेवा की आड़ में जेल में सांप्रदायिक/कट्टरपंथी क्रियाकलाप न कर सकें।

x) जेल प्राधिकारी आई.जी.एन.ओ.यू. (इग्नू) के सहयोग से संवासियों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

xi) कारागार में ऐसा कोई संवासी नहीं हैं जिसके साथ बच्चे रहते हो और जेल परिसरों में बालगृह सुविधा उपलब्ध नहीं है। तथापि, भविष्य में इस जेल का उन्नयन करते समय एक बालगृह स्थापित करने के संबंध में विचार करने की आवश्यकता है।

18. केंद्रीय जेल दीमापुर, नागालैंड

i) दीमापुर केंद्रीय जेल अन्य जेलों के मुकाबले एक छोटी जेल है। कारागार में केवल 3 महिला संवासी है इसलिए केंद्रीय जेल के महिला विंग में संवासियों की संख्या कम है। विचारणाधीन संवासियों की संख्या 2 है और एक सिद्धदोष संवासी पिछले 9 वर्षों से कारागार में है।

ii) महिला संवासियों को अलग अलग वार्डों में रखा गया है और इन वार्डों की पहरेदारी महिला कर्मचारियों द्वारा की जाती है। तथापि, यहां पर अपर्याप्त कर्मचारी है। वास सुविधा साफ सुथरी है और मानक कसौटियों के अनुसार महिला संवासियों के लिए स्वच्छता बनाए रखी जाती है। महिला संवासियों के लिए यहां पर एक शौचालय है।

iii) कारागार सेवा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की आवश्यकता है और महिला अधिकारियों/कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे कि वे अपनी कार्यकुशलता को अद्यतन कर सकें।

iv) विचारणाधीन संवासियों की मुख्य शिकायतों का संबंध न्यायालयों द्वारा सुनवाई की तारीखें नियत करने के विलंब से है। इसमें जमानत आवेदनों की सुनवाई से संबंधित मामले और विचारण के लिए अपेक्षित समय भी शामिल है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है और संवासियों को समुचित तथा क्वालिटी की विधिक सेवा प्रदान नहीं की जा रही है। डी.एल.एस.ए. को यह जानकारी देना आवश्यक है कि वह संवासियों को पर्याप्त विधिक सहायता प्रदान करें। यह सिफारिश की जाती है कि महानिरीक्षक (कारागार) व्यक्तिगत रूप से अधिवक्ताओं और डी.एल.एस.ए. से संबंधित प्राधिकारियों के साथ मासिक बैठक कर के उचित रूप से सभी मामलों की निगरानी करें और प्रत्येक मामलें में विधिक कार्रवाई के उचित अनुक्रम के बारे में पता लगाये।

v) कारागार में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं नहीं है। महिला संवासियों को जेल में उनके प्रवेश के समय पर ही उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई थी और उनकी चिकित्सीय परीक्षा की गई थी। ऐसी महिलाएं जो संक्रमित रोगों से ग्रसित हैं उन्हें अलग देखभाल के लिए तब तक रखना आवश्यक है जब तक कि वे पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाती है।

vi) निरीक्षण के दौरान रजोधर्म स्वास्थ्य और स्वच्छ प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया गया था और महानिदेशक (कारागार) को यह अनुदेश दिया गया था कि सभी महिला संवासियों को सेनेटरी नेपकिन दिए जाएं।

vii) नियमित आधार पर जेल में योग/ध्यान शिविर तथा चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाए।

viii) जेल में संवासियों को उचित स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है।

ix) महिला कैदियों के लिए शुद्ध पीने के पानी की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। महिला संवासियों के लिए शुद्ध पीने के पानी को प्रदान करने के लिए वाटर प्यूरीफायर लगाया जाना चाहिए।

x) महिला संवासियों के लिए जेल में व्यवसायिक प्रशिक्षण/कौशल सुविधाएं नहीं हैं और उन्हें केवल सिलाई, बुनाई, बागवानी आदि के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और इसके लिए महिला संवासियों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

xi) जेल में अपने संबंधियों से मिलने के लिए आने वाले आगुंतकों के लिए सारी सुविधाएं हैं। महिला कैदियों के परिवार के सदस्यों को नियमित अंतराल पर महिला संवासियों से मिलने दिया जाता है।

xii) यह सुझाव दिया गया है कि संवासियों को प्रशिक्षण, शिक्षा और साक्षरता प्रदान करने की व्यवस्था की जाएं क्योंकि अधिकतर संवासी निरक्षर हैं। निरीक्षण के दौरान यह सुझाव दिया गया था कि निरक्षर कैदियों के लिए व्यस्क साक्षरता कार्यक्रम, जेल के अंदर शिक्षित कैदियों का उपयोग करके, प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त महाविद्यालय और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के साथ के साथ मिल कर और आगे शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाएं।

xiii) मनोरंजन सुविधाएं, पुस्तकें और पढ़ने की सामग्री महिला संवासियों को दी जाएं और उन्हें उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएं। सुधारात्मक उपचार के भागरूप पेंटिंग, संगीत आदि को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

xiv) जांच के दौरान यह सुझाव दिया गया कि महिला कैदियों को टोकरी बनाने और सिलाई करने में प्रशिक्षण दिया जा सकता है क्योंकि इससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी और समाज में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में समर्थ होंगी।

19. पुझाल केंद्रीय जेल (महिलाओं के लिए विशेष कारागार), चेन्नई, तमिलनाडू

i) यह कारागार सुव्यवस्थित है और इसे ठीक प्रकार से बनाए रखा गया है और इसे देश में के कारागारों में से एक सर्वोत्तम कारागार माना जाता है।

ii) महिला संवासियों की प्राधिकृत क्षमता 500 हैं जबकि इस कारागार में केवल 157 संवासी है।

iii) इस समय एल.पी.जी. के कई सिलेंडरों से खाना बनाने की व्यवस्था है जिससे गैस सिलेंडरों के नीचे जो एल.पी.जी. गैस बची रहती है वो बेकार चली जाती है। गैस पोंड लगाए जाने पर विचार किया जा सकता है।

iv) रोशनी और खाना पकाने के लिए आनुकल्पिक ऊर्जा के रूप में सोलर ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए सी.एस.आर. निधियों का पता लगाने की आवश्यकता है।

v) महिला संवासियों को नियमित रूप से सेनेटरी नेपकिन दिए जाते हैं। इस्तमाल किए गए इन नेपकिनों का निपटान करने के लिए सोलर भट्टी लगाई जाएं।

vi) महिला संवासियों के लिए 2 जी.डी.एम.ओ. और नर्सों के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हैं। यद्यपि यहां पर स्त्री रोग विज्ञानी की आवश्यकता है। आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के चौथे/पांचवें वर्ष के इंटर्न/रेजीडेंट द्वारा जेल संवासियों के लिए साप्ताहिक चिकित्सीय परीक्षा कराए जाने की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए।

20. तेजपुर केंद्रीय जेल, सोनितपुर, असम

i) इस जेल में महिला संवासियों की प्राधिकृत क्षमता 105 है जबकि यहां पर 115 संवासी हैं। इस प्रकार महिला विंग में अधिक संवासी होने की समस्या बनी रहती है।

ii) 115 संवासियों में से 92 विदेशी नागरिक हैं।

iii) संवासियों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त हैं; तथापि, जेल में कोई भी स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है। यह सुझाव दिया गया कि आसपास के क्षेत्रों के आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के चौथे/पांचवें वर्ष के इंटर्न/रेजीडेंट संवासियों की सेवाएं चिकित्सीय परीक्षा करने के लिए ली जा सकती हैं।

iv) लकड़ी जलाकर खाना बनाया जाता है जो कि न तो पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है और न ही इस कार्य के लिए उपयुक्त है। एल.पी.जी. से खाना बनाना एक बेहतर विकल्प है। इसके अतिरिक्त एल.पी.जी. गैस सिलेंडरों में जो गैस बची रहती है उस नुकसान से बचने के लिए गैस पोंड लगाए जाने पर विचार किया जा सकता है।

v) जेल में साफ सफाई एक चिंता का विषय है। वॉशरूम के क्षेत्र के आसपास काई जमी हुई है। इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है।

vi) महिला संवासियों को नियमित रूप से सेनेटरी नेपकिन दिए जाते हैं, किंतु उनका निपटान करने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। यह सिफारिश की गई कि इस प्रयोजन के लिए सोलर भट्टियों का उपयोग किया जाएं।

vii) तेजपुर में बहुत अधिक कीटपतंगे हैं किंतु मच्छरदानी नहीं दी गई है।

viii) इस समय इस जेल में 4 बच्चे अपनी माताओं के साथ रहते हैं। जेल में कोई बालगृह सुविधा या आंगनवाड़ी नहीं है।

ix) ऐसे कुछ संवासियों ने जो भारतीय मूल के हैं उन्होंने यह शिकायत की कि वे जमानत की रकम के लिए प्रतिभू नहीं ढूंढ सके है। ऐसे मामलों में डी.एल.एस.ए. के अधिवक्ताओं को उनकी सहायता करनी चाहिए।

x) एक एंबुलेंस की आवश्यकता है और कंप्यूटर साक्षरता कक्षाओं के लिए कुछ कंप्यूटरों की आवश्यकता है जिसे जेल प्राधिकारियों द्वारा मंजूर कर लिया गया है।

उपाबंध 2

विभिन्न केंद्रीय/जिला/अन्य कारागारों के प्रोफार्मा की समीक्षा के आधार पर टीका–टिप्पणियां/सिफारिशें

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
असम		
1.	केंद्रीय जेल, गुवाहाटी	• महिला कारागार की क्षमता का उपयोग कम किया जा रहा है क्योंकि 100 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर केवल 67 महिला संवासी है। • स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं को उचित रूप से संगठित नहीं किया गया है। कारागार में विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध नहीं है। पिछले एक वर्ष के दौरान कोई टीकाकरण नहीं किया गया है। • पक्के अपराधी और पहली बार छोटे–मोटे अपराध करने वाले अपराधियों को अलग नहीं रखा जा रहा है। • कारागार में एक बालगृह की सुविधा है।
2.	केंद्रीय जेल, नौगांव	• कारागार में विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य देखरेख सुविधा नहीं दी गई है सिवाय इसके कि आवश्यकता के आधार पर मनोराग विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। • कौशल विकास कार्यक्रम सिलाई और बुनाई की परंपरागत कौशल तक ही सीमित है। • बालगृह और पूर्व विद्यालय की सुविधा नहीं है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
		• सांस्कृतिक कार्यक्रमों/परामर्श/कौशल विकास आदि के लिए गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी केवल एक धार्मिक संगठन तक ही सीमित है।
3.	केंद्रीय जेल, सिल्चर	• महिला संवासियों की प्राधिकृत क्षमता का उपयोग कम किया जा रहा है क्योंकि प्राधिकृत क्षमता 27 के मुकाबले यहां पर केवल 17 संवासी हैं। • स्वास्थ्य सेवाएं उचित रूप से संगठित नहीं है; पिछले एक वर्ष के दौरान टीकाकरण नहीं किया गया है। केवल अनुरोध पर स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध है। • कौशल विकास कार्यक्रम केवल सिलाई और ब्यूटी पार्लर तक ही सीमित है।
4.	केंद्रीय जेल, डिब्रूगढ़	• महिला वार्ड में संवासियों की संख्या प्राधिकृत क्षमता से बहुत अधिक है (प्राधिकृत क्षमता 14 के स्थान पर यहां पर 27 संवासी है) • स्वास्थ्य सेवाएं उचित रूप से संगठित नहीं है। विशेषज्ञों की सेवाएं जैसे कि स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएं अनुरोध पर ही उपलब्ध हैं। • जी.डी.एम.ओ. के दो मंजूर पदों के स्थान पर एक पद रिक्त है। • बालगृह, व्यस्क साक्षरता और खुले विद्यालयों के माध्यम से और आगे शिक्षा देने की कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है।
आंध्र प्रदेश		
5.	केंद्रीय कारागार, विशाखापट्टनम	• क्षमता का कम उपयोग किया जा रहा है क्योंकि महिला संवासियों की प्राधिकृत क्षमता 80 के मुकाबले यहां पर केवल 53 महिला संवासी है। • कारागार में विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान नहीं की जाती है; तथापि, मनोरोग विशेषज्ञ और नर्स की सेवाएं उपलब्ध हैं। • कौशल विकास प्रशिक्षण, व्यस्क साक्षरता कक्षाएं, ओ.डी.एल. मोड आदि के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
		• सांस्कृतिक कार्यक्रमों/परामर्श/कौशल विकास के लिए गैर सरकारी संगठन/ सिविल सोसाइटी की सहभागिता नहीं हैं। • विधिक सहायता सेवाएं समाधानप्रद नहीं है क्योंकि जमानत आदि में विलंब के बारे में संवासियों से शिकायतें मिलती रहती है।
6.	विशेष उप जेल, नरसरायपेट	• महिला वार्ड की क्षमता का कम उपयोग किया जा रहा है क्योंकि 10 प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर केवल 7 महिला संवासी है। • कारागार में स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं/डाक्टर/विशेषज्ञों की व्यवस्था नहीं की गई है और स्थानीय सरकारी अस्पताल से केवल एक चिकित्सा अधिकारी सप्ताह में दो बार आता है। • कौशल विकास और आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। • सांस्कृतिक कार्यक्रमों/परामर्श/कौशल विकास के लिए गैर सरकारी संगठन/ सिविल सोसाइटी सहभागी नहीं हैं। • कारागार में कोई बालगृह नहीं है।
7.	विशेष उप जेल, गुरजाला	• महिला संवासियों की क्षमता का कम उपयोग किया जा रहा है क्योंकि 10 प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर केवल 6 महिला संवासी है। • कारागार में डाक्टरों और विशेषज्ञों को तैनात नहीं किया गया है; और स्थानीय सरकारी अस्पताल से केवल एक चिकित्सा अधिकारी से सप्ताह में दो बार आता है। • कौशल विकास और ओ.डी.एल. मोड के माध्यम से आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। • सांस्कृतिक कार्यक्रमों/परामर्श/कौशल विकास के लिए गैर सरकारी संगठन/ सिविल सोसाइटी सहभागी नहीं हैं।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
चंडीगढ़		
8.	मॉडल जेल, सेक्टर 51	• महिला संवासियों की क्षमता का कम उपयोग किया जा रहा है क्योंकि 120 प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर केवल 55 महिला संवासी है। • कारागार में स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं प्रदान की जाती है किंतु मनोवैज्ञानिक, महिला नर्स की सेवाएं उपलब्ध नहीं है। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता कक्षाएं और खुले दूरस्थ पढ़ने के मोड के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। • कौशल विकास कार्यक्रम खाद्य परिरक्षण, बेकिंग और ब्यूटी पार्लर तक ही सीमित है। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता ब्रह्म कुमारी और इनर व्हील क्लब तक ही सीमित है। • विधिक सहायता सेवाओं को समाधानप्रद नहीं पाया गया है और विधिक जागरूकता शिविर नियमित रूप से आयोजित नहीं किए जाते हैं।
छत्तीसगढ़		
9.	केंद्रीय जेल, रायपुर	• यहां पर महिला वार्ड में संवासियों की संख्या प्राधिकृत क्षमता से बहुत अधिक हैं (80 के मुकाबले 217 हैं) • स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं को उचित रूप से संगठित नहीं किया गया है; सभी संवासियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड नहीं बनाएं गए हैं और समय समय पर उनकी चिकित्सा परीक्षा नहीं की जाती है तथा विहित टीकाकरण की व्यवस्था नहीं है। • कौशल प्रशिक्षण, खाना पकाने और ब्यूटी पार्लर तक ही सीमित है। • विधिक सहायता समाधानप्रद नहीं है क्योंकि प्रदान किए गए काउंसेल की सेवाओं से संवासी संतुष्ट नहीं हैं।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
10.	केंद्रीय जेल, दुर्ग	• कौशल विकास कार्यक्रम सिलाई और कढ़ाई के परंपरागत कौशल तक ही सीमित है। • सांस्कृतिक कार्यक्रमों/परामर्श/कौशल विकास में गैर सरकारी संगठन/ सिविल सोसाइटी संगठन सहभागी नहीं है। • अधिकतर संवासी निरक्षर हैं।
11.	केंद्रीय जेल, बिलासपुर	• इस कारागार में संवासियों की संख्या अधिक हैं क्योंकि 1838 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के मुकाबले में इस कारागार में 3526 संवासियों को रखा गया है। महिला संवासियों की संख्या 227 हैं। • स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं कारागार में विशेषज्ञों की सेवाओं के साथ प्रदान की गई है। • महिला संवासियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड तैयार किए गए हैं। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता कक्षाएं और खुले और दूरस्थ पढ़ने के मोड के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान की जा रही है। • कौशल विकास कार्यक्रम, सिलाई, कपड़ों के डिजाइन तैयार करना, कंप्यूटर हार्डवेयर और खिलौने बनाने के लिए ही उपलब्ध हैं। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता केवल लाइन्स क्लब और धार्मिक संगठनों तक ही सीमित है। • यह पाया गया है कि विधिक सहायता सेवाएं समाधानप्रद नहीं हैं क्योंकि विधिक सहायता क्लिनिकों को पर्याप्त संख्या में आयोजित नहीं किया जाता है (वर्ष 2017 के दौरान केवल 2 आयोजित किए गए हैं)

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
12.	केंद्रीय जेल, जगदलपुर बस्तर	• महिला वार्ड में काफी अधिक संवासी हैं क्योंकि प्राधिकृत क्षमता 90 संवासियों के स्थान पर यहां 165 संवासी हैं। • कारागार में विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं। • चिकित्सा अधिकारियों के दो मंजूर पद रिक्त हैं। • केवल बीमार संवासियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाएं रखें जाते हैं और विहित टीकाकरण प्रदान नहीं किए जाते हैं। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की कोई सहभागिता नहीं हैं। • ऐसी महिला संवासी जो अवसाद में, व्याकुल या असहयोग करती हैं उनकी बाबत कार्यवाही करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं है। • 2017 के दौरान केवल 2 विधिक सहायता क्लिनिक/शिविर आयोजित किए गए थे।
13.	केंद्रीय जेल, अम्बिकापुर	• महिला वार्ड में बहुत अधिक संवासी है क्योंकि 90 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां 221 संवासी हैं। • कारागार में कोई महिला डाक्टर तैनात नहीं है। • कौशल विकास कार्यक्रम, व्यस्क साक्षरता, ओ.डी.एल. मोड आदि के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। • कौशल विकास कार्यक्रम पारंपरिक कौशल तक ही सीमित है। • सांस्कृतिक कार्यक्रमों/परामर्श/कौशल विकास के लिए किसी गैर सरकारी संगठनों/सिविल सोसाइटी संगठनों की सहभागिता नहीं हैं। • विधिक सहायता सेवाओं को संतोषजनक नहीं पाया गया हैं।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
दमन और द्वीप		
14.	उप जेल, दमन	• महिला वार्ड की क्षमता का कम उपयोग किया गया है क्योंकि यहां पर 10 महिला संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर केवल 2 संवासी है। • कारागार में स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं और इसके साथ विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान नहीं की जाती है। स्वास्थ्य कार्डों को बनाएं नहीं रखा गया है और टीकाकरण नहीं किया जाता है। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता और खुले और दूरस्थ पढ़ने के मोड के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है।
दिल्ली		
15.	केंद्रीय जेल, सं. 6 पश्चिमी दक्षिणी जिला, नई दिल्ली	• महिला वार्ड में अधिक संवासी है क्योंकि इसके प्राधिकृत क्षमता 400 संवासियों की है जबकि यहां पर 480 संवासी है। • विशेषज्ञों की स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं उपलब्ध हैं; स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए गए हैं और टीके लगाएं जाते हैं। • मुख्य रूप से संवासियों की शिकायत बैरकों को और केंटीन सुविधाओं को बेहतर न होने से संबंधित हैं।
गुजरात		
16.	केंद्रीय जेल, राजकोट	• महिला वार्ड में अधिक संवासी हैं क्योंकि यहां पर 80 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर 92 संवासी हैं। • चिकित्सा विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान नहीं की गई हैं। • चिकित्सक का मंजूर पद रिक्त है। • कौशल विकास कार्यक्रम केवल सिलाई, ब्यूटी पार्लर और कंप्यूटर प्रशिक्षण तक सीमित है। व्यवसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
		• बालगृह सुविधा उपलब्ध है। • प्रोफार्मा में विधिक सहायता के संबंध में जानकारी देने के बारे में उल्लेख नहीं गया है।
17.	लाजपोरे केंद्रीय कारागार, सूरत	• महिला वार्ड की प्राधिकृत क्षमता का उपयोग कम किया गया है। यहां पर 210 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर केवल 88 संवासी है। • कारागार में विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान नहीं की गई है। केवल बीमार संवासियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाएं रखे जाते हैं। • कौशल विकास केवल सिलाई पाठ्यक्रम, ब्यूटी पार्लर और बुनियादी कंप्यूटर कौशल तक ही सीमित है।
18.	केंद्रीय कारागार, अहमदाबाद	• प्रोफार्मा की संवीक्षा की गई किंतु इस दौरान कारागार का निरीक्षण चल रहा है इसलिए टीका–टिप्पणियों को उपाबंध 1 में सम्मिलित किया गया है।
19.	जिला जेल, पालनपुर	• महिला वार्ड की क्षमता का उपयोग कम किया गया है यहां पर 8 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर केवल 4 महिला संवासी है। • विशेषज्ञों डाक्टरों की सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं। • संवासियों के स्वास्थ्य कार्ड को बनाएं नहीं रखा गया है। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता और खुले और दूरस्थ पढ़ने के मोड के माध्यम से और आगे शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। • सांस्कृतिक कार्यक्रमोंध्परामर्श/कौशल विकास के लिए गैर सरकारी संगठन/ सिविल सोसाइटी सहभागी नहीं हैं। • विधिक सहायता सेवाएं समाधानप्रद नहीं पाई गई है क्योंकि संवासी सेवाओं से संतुष्ट नहीं है।
20.	केंद्रीय जेल, वडोदरा, गुजरात	• प्रोफार्मा की संवीक्षा की गई किंतु इस दौरान कारागार का निरीक्षण चल रहा है इसलिए टीका–टिप्पणियों को उपाबंध 1 में सम्मिलित किया गया है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
हरियाणा		
21.	केंद्रीय जेल–2 हिसार	• महिला वार्डों की क्षमता का उपयोग कम किया गया है क्योंकि 81 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर केवल 45 संवासी हैं। • कारागार में विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान नहीं की गई हैं। डाक्टर का केवल एक मंजूर पद है जो कि खाली है और इस बाबत अस्थायी व्यवस्था की गई हैं। • केवल बीमार संवासियों के स्वास्थ्य कार्ड बनाएं रखे जाते हैं। • सिलाई, ड्रेस डिजाइनिंग और ब्यूटीशियन पाठ्यक्रम केवल कौशल विकास तक ही सीमित है। • सांस्कृतिक कार्यक्रमों/परामर्श/कौशल विकास में गैर सरकारी संगठन/ सिविल सोसाइटी संगठन सहभागी नहीं है।
22.	जिला जेल, कैथल	• महिला वार्ड की क्षमता का उपयोग कम किया गया है क्योंकि 35 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर केवल 11 संवासी हैं। • विशेषज्ञों डाक्टरों की सेवाएं प्रदान नहीं की गई हैं। • कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। • मास में 10 दिन के लिए डी.एल.एस.ए. के माध्यम से केवल एक गैर सरकारी संगठन की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। • पक्के अपराधियों और छोटे–मोटे अपराधों के लिए पहली बार के अपराधियों को अलग नहीं रखा जाता है।
23.	जिला जेल, कुरूक्षेत्र	• महिला वार्डों की क्षमता का उपयोग कम किया गया है क्योंकि 44 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर केवल 25 संवासी हैं। • कारागार में विशेषज्ञों की सेवाओं को प्रदान नहीं किया जाता है। • कौशल विकास के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
		• ब्रह्म कुमारियों के सिवाय किसी गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता नहीं हैं। • विधिक सहायता सेवाएं समाधानप्रद प्रतीत नहीं होती है।
24.	जिला जेल, झझर	• महिला वार्डों की क्षमता का उपयोग कम किया गया है क्योंकि 104 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर केवल 32 संवासी हैं। • कारागार में डाक्टरों और विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान नहीं की जाती है। चिकित्सा अधिकारियों के मंजूर दो पद रिक्त हैं। • बुनियादी प्रसाधन सामग्री जैसे शैंपू, टूथब्रश/पेस्ट, कंघा/शीशा नहीं दिया जाता है। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता, और ओ.डी.एल. मोड आदि के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं हैं। • कौशल विकास कार्यक्रम ब्यूटी पार्लर पाठ्यक्रम तक ही सीमित है। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता नहीं है।
25.	जिला जेल, फरीदाबाद	• महिला वार्डों की क्षमता का उपयोग कम किया गया है क्योंकि 250 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर केवल 74 संवासी हैं। • महिला हेडवार्डन के मंजूर तीनों पद रिक्त हैं। • कारागार में उचित स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं नहीं हैं। • इस समय चिकित्सा अधिकारियों के 4 मंजूर पदों में से 3 पद रिक्त है। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता, ओ.डी.एल. मोड आदि के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। • कौशल विकास कार्यक्रम, सिलाई, बुनाई और ब्यूटी पार्लर में पारंपरिक प्रशिक्षण तक ही सीमित है। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता इंडिया विजिन फाउंडेशन और रोटरी क्लब फरीदाबाद तक ही सीमित है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
26.	जिला जेल, भिवानी	• महिला वार्डों की क्षमता का उपयोग कम किया गया है क्योंकि 40 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर केवल 3 संवासी हैं। • विशेषज्ञ डाक्टरों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ सप्ताह में एक बार आती है जबकि मनोचिकित्सक विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान नहीं की जाती है। • कौशल विकास कार्यक्रम, संचालित नहीं किया जा रहा है। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता 3 अर्थात् जनसेवा न्यास, भारत विकास परिषद और लॉयन्स क्लब तक ही सीमित है। • विधिक सहायता सेवाएं असमाधानप्रद हैं।
27.	जिला जेल, भोंडासी, गुरूग्राम	• महिला वार्डों की क्षमता का उपयोग कम किया गया है क्योंकि 192 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर केवल 48 संवासी हैं। • विशेषज्ञ डाक्टरों की सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं सिवाय मनोचिकित्सक जो सप्ताह में एक बार आता हैं। • बुनियादी प्रसाधन सामग्री जैसे शैंपू, टूथब्रश/पेस्ट, कंघा/शीशा नहीं दिया जाता है। • सिलाई, पेंटिंग, ब्यूटीशियन में कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है। कारागार में सेनेटरी पेडों का विनिर्माण करने के लिए एक इकाई स्थापित की गई है। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता आर्ट आफ लिविंग/ध्यान तक ही सीमित है। • विधिक सहायता सेवाएं समाधानप्रद नहीं पाई गई है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
28.	जिला जेल, सिरसा	• महिला वार्ड में अधिक संवासी है क्योंकि संवासियों की संख्या प्राधिकृत क्षमता से अधिक है। 35 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर 44 संवासी है। • विशेषज्ञ डाक्टरों की सेवाएं प्रदान नहीं की जाती है। • केवल बीमार संवासियों के लिए स्वास्थ्य कार्डों को बनाए रखा जाता है। • कौशल विकास प्रशिक्षण केवल तोहफा लपेटना और साज सज्जा की कला तक ही सीमित है। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता ब्रह्म कुमारी और लॉयन्स क्लब तक ही सीमित है। • ऐसे नौजवान संवासी जिनका अपराध का कोई विगत इतिहास नहीं हैं उन्हें पक्के अपराधियों से अलग नहीं रखा जाता है। • कारागार से बाहर बच्चों को ले जाने या आसपास के सामाजिक वातावरण के साथ परिचित कराने की कोई व्यवस्था नहीं है।
29.	जिला कारागार नारनौल	• महिला वार्ड में बहुत अधिक संवासी हैं क्योंकि संवासियों की संख्या प्राधिकृत क्षमता से बहुत अधिक है। इस समय 21 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर 57 संवासी हैं। • विशेषज्ञ डाक्टरों की सेवाएं प्रदान नहीं की गई है। कोई नर्सिंग कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। • सभी संवासियों के लिए स्वास्थ्य कार्डों को बनाए रखा नहीं गया है। • कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। 20 संवासियों को केवल एक बार सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया था। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता रोटरी क्लब, नारनौल तक ही सीमित है। • विधिक सहायता सेवाएं समाधानप्रद नहीं है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
30.	जिला जेल, जींद	• महिला वार्डों की प्राधिकृत क्षमता का कम उपयोग किया गया है क्योंकि यहां पर 40 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर केवल 22 महिला संवासी है। • स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं/डाक्टरों/विशेषज्ञों की व्यवस्था नहीं की गई है। • सभी संवासियों के लिए स्वास्थ्य कार्डों को बनाए रखा नहीं जाता है। • कौशल विकास कार्यक्रम, पेंटिंग और योग के पाठ्यक्रमों तक ही सीमित है। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता आर्ट ऑफ लिविंग और अग्गर फाउंडेशन तक ही सीमित है।
31.	जिला जेल, करनाल	• महिला वार्डों की क्षमता का कम उपयोग किया गया है। यहां पर 192 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर केवल 90 महिला संवासी है। • स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं समाधानप्रद हैं और विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान की जाती है। • सभी संवासियों के लिए स्वास्थ्य कार्डों को बनाए रखा जाता है। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता कक्षाएं, ओ.डी.एल. मोड आदि के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। • पोशाक बनाने, कटाई और सिलाई से संबंधित क्षेत्रों में ही कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी संगठनों की पर्याप्त संख्या में सहभागिता है। इसमें ब्रह्म कुमारी, राज विद्या केंद्र, भारत विकास परिषद, दिव्य ज्योति, जागरण संस्थान और इंडिया विजिन फाउंडेशन शामिल हैं।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
32.	जिला जेल, यमुनानगर	• महिला वार्डों की क्षमता का कम उपयोग किया गया है। यहां पर 160 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर केवल 36 महिला संवासी है। • कारागार में डाक्टरों, विशेषज्ञों की सेवाओं की व्यवस्था नहीं की गई है। चिकित्सा अधिकारी का कोई मंजूर पद नहीं है। • सिलाई, केश सज्जा, ब्यूटीशियन, बुनाई, फैशन डिजाइन, कंप्यूटर प्रशिक्षण और डाटा एंट्री के क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी संगठन जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग, लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, शरबत दा भला इकाई और जमुना आटो इंडस्ट्री सहभागी हैं।
33.	जिला जेल, रोहतक	• महिला वार्डों की क्षमता का कम उपयोग किया गया है। यहां पर 114 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर केवल 56 महिला संवासी है। • नियमित डाक्टरों को तैनात करके स्वास्थ्य देख–रेख सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। इस समय पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर दो डाक्टर कार्य कर रहे हैं। • कौशल विकास प्रशिक्षण सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटीशियन, अचार बनाने में दिया जाता है। • यहां पर गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी संगठन की सहभागिता है। इसमें ओम शांति, रोहतक, राज विद्या केंद्र, रोहतक, पंताजलि योगपीठ, आदित सिस्टम, रामपुर (यूपी), इंडिया विज़न फांउडेशन, दिल्ली शामिल हैं।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
34.	जिला जेल, सोनीपत	• महिला वार्डों की क्षमता का कम उपयोग किया गया है। यहां पर 100 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर केवल 61 महिला संवासी है। • विशेषज्ञ डाक्टरों और महिला डाक्टरों की सेवाएं उपलब्ध नहीं है। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता कक्षाएं, ओ.डी.एल. मोड आदि के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। • कौशल विकास कार्यक्रम, पारंपरिक कौशल जैसे कि कटाई और सिलाई तक ही सीमित है। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता ब्रह्म कुमारी और सोनीपत सहज योग सोसाइटी, नई दिल्ली तक ही सीमित है। • विधिक सहायता सेवाओं को समाधानप्रद नहीं पाया गया। पिछले 3 वर्षों में केवल 5 विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं।
जम्मू कश्मीर		
35.	केंद्रीय जेल, जम्मू, कोटभालवाल	• कारागार में लगभग 10 वर्षों से विचारणाधीन संवासी हैं। • डाक्टरों और विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता कक्षाएं, ओ.डी.एल. मोड आदि के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। • कौशल विकास कार्यक्रम, पारंपरिक कौशल तक ही सीमित है। • सांस्कृतिक कार्यक्रमों/परामर्श प्रदान करने/कौशल विकास आदि के लिए गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी संगठनों की सहभागिता नहीं हैं। • संवासियों द्वारा विधिक सहायता सेवाओं को समाधानप्रद नहीं पाया गया है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
36.	जिला जेल, कथुआ	• महिला कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त हैं। • महिला बैरक में पानी भरा हुआ है। • भवन की मरम्मत/उचित अनुरक्षण की आवश्यकता है। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता कक्षाएं, ओ.डी.एल. मोड आदि के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी संगठनों की सहभागिता नहीं है।
केरल		
37.	महिला कारागार और सुधार गृह, अट्टाकुलअंगारा, तिरूवंतपुरम	• अधिकारियों के ग्रेड में इस समय कोई रिक्त पद नहीं है। • अधीनस्थ कर्मचारियों की दशा में मंजूर किए गए 25 पदों में से 11 पद रिक्त है। • महिला वार्डों की क्षमता का कम उपयोग किया गया है। यहां पर 107 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर केवल 57 महिला संवासी है। • कारागार में 23 एकल पलंग हैं जबकि शेष 34 संवासी फर्श पर सोती हैं। • कारागार ने प्रोफार्मा में यथाअपेक्षित 57 संवासियों के लिए उपलब्ध शौचालयों/स्नानघरों के ब्यौरों को प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। • 57 संवासियों में से 17 निरक्षर हैं। यहां पर व्यस्क साक्षरता कक्षाओं और खुले विद्यालय के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता है। यह व्यवस्था जेल प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी। • पिछले एक वर्ष के दौरान 7 संवासियों को ड्राइवरों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। • विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक कौशल विकास/व्यवसायिक कार्यक्रमों विशेष रूप से ऐसे व्यवसाय/कौशल के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है जो स्थानीय बाजार/उद्योग के लिए सुसंगत हो।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
		• स्थानीय उद्योग, बाजार, कृषि उत्पाद, वन उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया में संवासियों को सम्मिलित करना आवश्यक है जिससे कि संवासियों को उत्पादन क्रियाकलापों में लगाने के लिए पता लगाया जा सके। • जेल ने उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और डाक्टरों की संख्याओं के बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया है। • यदि ओ.पी.डी. सुविधा और साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी और विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं तब एक भेषज विज्ञानी और नर्सिंग सहायक की उपलब्धतता का कोई उपयोग नहीं हैं।
38.	महिलाओं के लिए खुला कारागार और सुधार गृह, पूजापुरा	• विशेषज्ञ डाक्टरों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। संवासियों के स्वास्थ्य कार्ड को बनाए रखा नहीं जाता है। • कौशल विकास कार्यक्रम, सिलाई, मशरूम उगाना, कुक्कुट पालन और कृषि बीज/नर्सरी तक ही सीमित है। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता धार्मिक संगठनों जैसे जीजस फ्रेटरनिटी, क्राइस्ट अगापे मिशन तक ही सीमित है।
39.	महिला कारागार और सुधार गृह, वियूर, थिरसुर	• अधिकारी ग्रेड में 24 पदों में से 8 पद रिक्त है। • महिला वार्डों की क्षमता का कम उपयोग किया गया है। यहां पर 75 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर केवल 45 महिला संवासी है। • प्रोफार्मा में कर्मचारियों के रिक्त पदों के बारे में जानकारी उपदर्शित नहीं की गई हैं। • कई संवासी 11.2 वर्ग फुट के 2 शौचालयों का उपयोग करते हैं जिनका क्रमशः क्षेत्रफल 18 और 21 वर्ग फुट है। 1:5 के अनुपात में और अधिक शौचालयों का निर्माण करने की आवश्यकता है। इन शौचालयों में फ्लश करने के लिए हर समय पानी नहीं रहता है क्योंकि इनके ऊपर टैंक नहीं लगा हुआ है। • कोई वासवेसिन/शावर नहीं है जिससे यह उपदर्शित होता है कि संवासी स्नान करने के प्रयोजन के लिए भी 11.2 वर्ग फुट के छोटे शौचालय का उपयोग करती हैं।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
		• अधिक स्नानाघर और वाश वेसिन प्रदान करने की आवश्यकता है। • ऐसा प्रतीत होता है कि संवासियों द्वारा पूर्ण रूप से रसोईघर चलाया जाता है। संवासियों द्वारा दी जा रही सेवाओं के लिए पर्याप्त मजदूरी देने की आवश्यकता है और इसके लिए एक योजना तैयार की जानी चाहिए। • किचन गार्डन के लिए चिह्नित क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है और मजदूरी के आधार या उत्पादन से जोड़कर संवासियों की सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। • पैंतालीस संवासियों में से 14 निरक्षर हैं। व्यस्क साक्षरता कक्षाएं/कार्यक्रम आरंभ करने की आवश्यकता है और इसके लिए स्नातक संवासियों की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है और अध्यापक तथा पढ़ने वालों को पैरोल देकर प्रोत्साहित किया जा सकता है। • 17 संवासियों से 9 संवासियों को हत्या के लिए दोषसिद्ध किया गया है। इसके संबंध में यदि संवासियों की खराब शैक्षणिक स्थिति के संदर्भ में देखा जाएं तो संभवतः उनकी दोषसिद्धि उचित विधिक सहायता उपलब्ध न होने के कारण हो सकती है। ऐसे मामलों का पुनर्विलोकन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से आवश्यक है कि सभी संभव विधिक चैनलों का उपयोग किया जा सका है। • कारागार में प्रार्थना/ध्यान, अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय के लिए उचित स्थान नहीं है, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। • सामयिक आधार पर जेल प्राधिकारियों द्वारा पर्याप्त मनोरजंन/सांस्कृतिक क्रियाकलापों को आयोजित करना चाहिए। • प्रोफार्मा में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तथापि, बुलाने के आधार पर विशेषज्ञ/स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
40.	महिला कारागार और सुधारगृह, कन्नायूर	• जेल प्रोफार्मा में दी गई जानकारी पर हस्ताक्षर नहीं है। • प्रशिक्षण अनुदेशक को छोड़कर कोई पद रिक्त नहीं है। जब सभी कर्मचारियों के पद पूरे भरे हुए हो तब कारागार को श्रेष्ठतम आधार पर कार्य करने की आवश्यकता है। • महिला वार्डों की क्षमता का कम उपयोग किया गया है। यहां पर 24 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर केवल 15 महिला संवासी है। • 24 संवासियों की संख्या के स्थान पर कारागार में केवल 12 पलंग उपलब्ध है। शेष संवासी फर्श पर सोती हैं। • सिलाई, डेरी सेवाओं, छतरी बनाना आदि में संवासियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। • कारागार में संवासियों के चिकित्सीय परीक्षण के लिए उपलब्ध डाक्टरों और उपलब्ध औषधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई हैं। विशेषज्ञ डाक्टर की सेवाओं के लिए संवासियों को निकट के सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है।
41.	जिला जेल, कोट्टयम	• महिला वार्डों की क्षमता का अत्यधिक कम उपयोग किया गया है। यहां पर 93 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर केवल 7 महिला संवासी है। • संवासियों को कारागार में पलंग उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और वे फर्श पर सोती हैं।
42.	जिला जेल, होशदुर्ग	• महिला वार्डों की क्षमता का कम उपयोग किया गया है। यहां पर 4 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर केवल 1 महिला संवासी है। • शौचालयों में ऊपर लगे हुए टैंक के साथ फ्लश करने की कोई व्यवस्था नहीं है। • पानी डालने की फ्लश व्यवस्था संतोषजनक नहीं है और इसके स्थान पर शौचालयों के लिए चल रहे फ्लश की व्यवस्था करने की आवश्यकता है और स्नानगृह में हर समय पानी की आवश्यकता है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
43.	जिला जेल, कोजीकोड	• महिला संवासियों की प्राधिकृत क्षमता का कम उपयोग किया गया है। इस कारागार में 30 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर केवल 10 महिला संवासी है। • सभी महिला संवासी फर्श पर सोती हैं और कारागार में संवासियों के लिए कोई पलंग नहीं है। • कारागार में एक चिकित्सा अधिकारी के साथ तीन अन्य पराचिकित्सीय/नर्सिंग कर्मचारी है। सप्ताह में केवल 2 बार जी.डी.एम.ओ. की सेवाएं उपलब्ध हैं। • छतरी और झाड़ू बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण/व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है किंतु ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां पर संवासियों को उत्पादक प्रक्रिया में लगाया जा सकता हो जिससे कि वे कारावास के दौरान और उसके पश्चात् कुछ आय अर्जित कर सके। • गैर सरकारी संगठनों/सिविल सोसाइटी की सहभागिता बिल्कुल नगण्य है। सांस्कृतिक/मनोरंजन/धार्मिक क्रियाकलापों और नए क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग आवश्यक है। • संवासियों को उनके मामलों की सुनवाई की तारीख पर न्यायालयों में ले जाने और वापस लाने की परिवहन व्यवस्था सुनवाई की प्रत्येक तारीख के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक होता है।
44.	विशेष उप जेल मंजरी, मल्लपपुरम	• महिला वार्डों की प्राधिकृत क्षमता का कम उपयोग किया गया है। यहां पर 12 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर केवल 2 महिला संवासी है। 39 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर संवासियों की संख्या 89 हैं। • संवासियों का चिकित्सीय उपचार करने के लिए सिविल अस्पताल में व्यवस्था की गई है। कारागार के भीतर 1 चिकित्सा अधिकारी की सेवाओं की व्यवस्था करना आवश्यक है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
45.	विशेष उप जेल, कोटारक्कारा, कोल्लम	• 100 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर इस कारागार में 142 संवासी है। यहां पर 11 महिला संवासी है और यह सभी विचारणाधीन है और इन्हें एक कमरे/बैरक में रखा गया है। • यहां पर केवल दो शौचालय हैं जिनका उपयोग 11 संवासियों द्वारा किया जाता है। • कारागार के भवन की मरम्मत/पुताई/रोगन कराने की आवश्यकता है। • संवासियों को जो प्रसाधन सामग्री दी जाती है वह केवल साबुन देने तक सीमित है। प्रदान किए जाने वाले साबुन की मात्रा (प्रति सप्ताह 35 ग्राम) है जो कि अन्य कारागारों में दी जा रही मात्रा से बहुत कम है, अन्य कारागारों में प्रति सप्ताह 125 ग्राम साबुन दिया जाता है। महिला संवासियों को अन्य मदें जैसे टूथब्रश/पेस्ट, शैंपू, सेनेटरी पेड प्रदान करने की आवश्यकता है। • गैर सरकारी संगठनों/सिविल सोसाइटी की सहभागिता आवश्यक है जो कि इस समय केवल रविवार को एक घंटे की प्रार्थना तक सीमित है। सांस्कृतिक/मनोरंजन/धार्मिक क्रियाकलापों के लिए उनकी सहभागिता बढ़ाना आवश्यक है।
46.	विशेष उप जेल, पलक्कड	• यहां पर 11 महिला संवासी है जो कि सभी विचारणाधीन है और उन्हें एक कमरे/बैरक में रखा गया है। • कारागार के भवन की मरम्मत/पुताई/रोगन कराने की आवश्यकता है। • संवासियों को जो प्रसाधन सामग्री दी जाती है वह केवल साबुन देने तक सीमित है। प्रदान किए जाने वाले साबुन की मात्रा (प्रति सप्ताह 35 ग्राम) है जो कि अन्य कारागारों में दी जा रही मात्रा से बहुत कम है, अन्य कारागारों में प्रति सप्ताह 125 ग्राम साबुन दिया जाता है। महिला संवासियों को अन्य मदें जैसे टूथब्रश/पेस्ट, शैंपू, सेनेटरी पेड प्रदान करने की आवश्यकता है। • गैर सरकारी संगठनों/सिविल सोसाइटी की अधिक सहभागिता आवश्यक है जो कि इस समय केवल रविवार को एक घंटे की प्रार्थना तक सीमित है। सांस्कृतिक/मनोरंजन/धार्मिक क्रियाकलापों के लिए उनकी सहभागिता बढ़ाना आवश्यक है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
47.	बारस्टल स्कूल, थ्रिक्कारा, तिरूवंतपुरम	• जेल में महिला वार्डों की क्षमता 17 हैं। इस समय यहां पर 12 संवासी है और यह सभी विचारणाधीन हैं। • संवासियों के लिए पलंग की कोई व्यवस्था नहीं है और वह सभी फर्श पर रहती हैं। • यहां पर केवल दो छोटे शौचालय हैं और प्रत्येक शौचालय का क्षेत्रफल 1.25 वर्ग मीटर है। • संवासियों को जो प्रसाधन सामग्री दी जाती है वह केवल साबुन देने तक सीमित है। प्रदान किए जाने वाले साबुन की मात्रा (प्रति सप्ताह 75 ग्राम) है जो कि अन्य कारागारों में दी जा रही मात्रा से कम है, अन्य कारागारों में प्रति सप्ताह 125 ग्राम साबुन दिया जाता है। महिला संवासियों को अन्य मदें जैसे शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, कंघा, शीशा आदि प्रदान नहीं किए गए हैं और इन मदों को संवासियों द्वारा खरीदा जाता है। • कारागार में प्रार्थना, ध्यान, अध्ययन कक्ष/पुस्तकालय के लिए उचित स्थान नहीं है। • कारागार के साथ गैर सरकारी संगठनों/सिविल सोसाइटी की सहभागिता नहीं दिखी। • सामायिक आधार पर जेल प्राधिकारियों द्वारा गैर सरकारी संगठनों/सिविल सोसाइटी के सहयोग से पर्याप्त मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक क्रियाकलाप आयोजित करने चाहिए। • व्यवसायिक/कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था पर्याप्त नहीं हैं और केवल लिफाफा बनाने, सिलाई और साबुन बनाने के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। • प्रोफार्मा में उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं के बारे में जानकारी नहीं दी गई हैं। यह स्पष्ट है कि मुआयने के आधार पर भी साधारण चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ/स्त्री रोग विज्ञानी की सेवाएं उपलब्ध नहीं है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
मध्य प्रदेश		
48.	केंद्रीय कारागार, हौशांगाबाद	• महिला वार्ड में अधिक संवासी हैं क्योंकि प्राधिकृत क्षमता से बहुत अधिक संवासी यहां पर हैं। इस समय 16 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर 40 संवासी हैं। • स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं को उचित रूप से संगठित करने की आवश्यकता है। इस समय 3 मंजूर पदों पर किसी भी चिकित्सा अधिकारी को तैनात नहीं किया गया है। • विशेषज्ञ डाक्टरों और महिला नर्सों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। • पिछले 1 वर्ष के दौरान संवासियों और उनके बच्चों का टीकाकरण नहीं किया गया है। • व्यस्क साक्षरता और ओ.डी.एल. मोड के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है। • कौशल विकास कार्यक्रम सिलाई तक ही सीमित है। • सोसाइटी ऑफ सेंट जॉर्ज अस्पताल नामक संस्था के सिवाय कोई भी गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी सहभागी नहीं है।
49.	केंद्रीय कारागार, सागर	• महिला वार्ड में संवासियों की संख्या प्राधिकृत क्षमता से बहुत अधिक है (48 प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर 82 महिला संवासी)। • एक विचारणाधीन संवासी दो वर्ष से अधिक की अवधि से कारागार में है। • एक महिला डाक्टर और विशेषज्ञों, विशेष रूप से एक स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध करा कर स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। • महिला नर्स और मनोचिकित्सक की सेवाएं भी प्रदान की जानी चाहिए। • व्यस्क साक्षरता कक्षाओं और ओ.डी.एल. मोड के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है। • कौशल विकास कार्यक्रम केवल ब्यूटी पार्लर पाठ्यक्रम में 20 संवासी तक ही सीमित है। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता केवल एक संगठन अर्थात् मानव विकास तक ही सीमित है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
50.	जिला कारागार, इंदौर	• महिला वार्ड में संवासियों की संख्या प्राधिकृत क्षमता से बहुत अधिक है (76 प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर 130 महिला संवासी) । • 9 विचारणाधीन संवासी 2 वर्ष से अधिक की अवधि से जेल में हैं। • स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि एक मास में केवल 10 दिन के लिए एक डाक्टर उपलब्ध कराया जा रहा है। तथापि, महिला नर्स/मनोवैज्ञानिक की सेवाएं उपलब्ध हैं। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता कक्षाओं और ओ.डी.एल. मोड आदि के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। • कौशल विकास कार्यक्रम राखी बनाना और लिफाफे और थेलें बनाने के प्रशिक्षण तक ही सीमित है। • विधिक शिविर आयोजित किए जाने के बावजूद संवासियों द्वारा विधिक सहायता सेवाओं को समाधानप्रद नहीं पाया गया।
51.	केंद्रीय जेल, उज्जेन	• महिला वार्ड में संवासियों की संख्या प्राधिकृत क्षमता से बहुत अधिक है (60 प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर 108 महिला संवासी)। • वार्डन के 150 पदों में से 34 पद रिक्त हैं। • महिला नर्स, मनोवैज्ञानिक/सामाजिक कार्यकर्ताओं की सेवाओं को प्रदान करके स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता और ओ.डी.एल. मोड आदि के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। • कौशल विकास कार्यक्रम केवल पारंपरिक कौशल तक ही सीमित है। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी संगठनों की सहभागिता नहीं है। • डी.एल.एस.ए. द्वारा प्रदान किए गए काउंसलों द्वारा जो विधिक सहायता सेवाएं दी जा रही है उनमें सुधार करने की आवश्यकता है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
महाराष्ट्र		
52.	अमरावती केंदीय कारागार, अमरावत 1	• कुल 47 पदों में से केवल 32 पदों को भरा गया है और 15 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को तुरंत भरने की आवश्यकता है। • 34 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर 39 महिला संवासी है और इन सब को 1152 वर्ग फुट के क्षेत्रफल के एक बैरक में रखा गया है। इससे बैरक में बहुत अधिक भीड़ भाड़ हो गई है। फर्श पर बिस्तरा लगाया गया है और एक महिला संवासी के लिए केवल 6×2.5 वर्ग फुट की जगह उपलब्ध है। इन बिस्तरों के बीच संवासियों के लिए बैरक में आने जाने के लिए कोई स्थान नहीं हैं। • तुरंत महिला बैरक में संवासियों की संख्या कम करने की आवश्यकता है और प्रत्येक संवासी के लिए एक अलग पलंग और पलंगों के बीच आने जाने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। • केवल एक जी.डी.एम.ओ. और 4 परा–चिकित्सों के साथ न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध है। • विशेषज्ञों, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ भी शामिल है की सेवाएं केवल बुलाने के आधार पर उपलब्ध है। • स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की आवश्यकता है और साप्ताहिक बुलाने के आधार पर विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। • विशेषज्ञों द्वारा विहित रोग निदान अन्वेषण/परीक्षणों के लिए संवासियों को कारागार के बाहर ले जाया जाता है। • महिला संवासियों की शिक्षा का स्तर बहुत खराब है केवल दो संवासी स्नातक है और अधिकतर निरक्षर है। जेल के भीतर व्यस्क साक्षरता कक्षाएं और महिला संवासियों को और आगे शिक्षा प्रदान करने के लिए खुले विद्यालय की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
		• अधिकतर महिला संवासियों को घरेलू हिंसा और हत्या के लिए दोषसिद्ध किया गया है और वे 2 से 15 वर्ष की अवधि से जेल में है। विचारणाधीन संवासियों के मामलों में निरोध की अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं है। महिला संवासियों की खराब शैक्षणिक स्थिति और वे जिस सामाजिक, आर्थिक हैसियत से सहयुक्त हैं उसको ध्यान में रखते हुए हत्या के लिए दोषसिद्ध या आरोपित महिला संवासियों के मामलों का पुर्नविलोकन करने की आवश्यकता है और उन्हें बेहतर विधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि पुर्नविलोकन और अपील के सभी विधिक चैनलों को पूरा किया गया है। • यहां पर ऐसी दो महिला संवासी है जिनके साथ एक–एक बच्चा है किंतु यहां पर कोई बालगृह या पूर्व विद्यालय सुविधा उपलब्ध नहीं है। • जेल के साथ गैर सरकारी संगठन सहयुक्त है और उनकी सहायता बुलाने के आधार पर उपलब्ध हैं। तथापि, गैर सरकारी संगठनों के पास शिक्षा/कौशल प्रशिक्षण/परामर्श आदि के लिए कोई विनिर्दिष्ट कार्यक्रम नहीं है जिसे जेल प्राधिकारियों द्वारा सुनियोजित करने की आवश्यकता है।
53.	केंद्रीय कारागार, कोल्हापुर	• इस कारागार में अधिकारियों की श्रेणी में काफी अधिक पद रिक्त है। 27 अधिकारियों में से 7 पद रिक्त हैं। • इस जेल में संवासी अधिक हैं, क्योंकि संवासियों की वास्तविक संख्या में 1891 हैं जबकि इसकी प्राधिकृत क्षमता 1789 संवासियों की हैं। महिला वार्ड में भी संवासी अधिक है यहां पर 34 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर 5 बच्चों के साथ 65 महिला संवासी हैं। • यहां पर पलंग नहीं हैं और बिस्तरें फर्श पर हैं और उनके बीच आने जाने का पर्याप्त स्थान भी नहीं है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
		• महिला बैरक में संवासियों की संख्या तुरंत कम करने की आवश्यकता है। • 33 संवासियों के लिए केवल एक शौचालय और एक स्नानघर है। स्नानघर की ऊंचाई (8 फुट) भी अनुकूल नहीं है। इस स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है। • उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं अधिक विकसित नहीं हैं और पूरे कारागार में केवल एक जी.डी.एम.ओ. है जबकि इनके दो मंजूर पद हैं। विशेषज्ञों की सेवाएं सरकारी अस्पताल से बुलाने के आधार पर मास में केवल दो बार उपलब्ध कराई जाती है। • संवासियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कारागार में पूर्णकालिक मनोचिकित्सक और स्त्री रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता है। • इस समय जेल प्राधिकारियों द्वारा कोई कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है। • वर्ष 2017 में दो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और वर्ष 2018 में केवल एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। • गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता केवल कुछ वस्तुओं जैसे कि सेनटरी नेपकिन, कंबलों आदि के वितरण तक ही सीमित है। अधिक अर्थपूर्ण रीति में जैसे कि परामर्श, कौशल विकास के कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा गैर सरकारी संगठनों की सेवाओं का उपयोग करने की आवश्यकता है। • संवासियों के जेल में परिरूद रहने के दौरान और उसके पश्चात् उन्हें लाभकर बनाने के लिए स्थानीय उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। • रसोईघर के कर्मचारी पर्याप्त नहीं है। यहां पर केवल 5 नियमित पद है और इनके साथ 60 संवासी मिलकर रसोईघर का काम करते हैं।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
		• यह स्पष्ट नहीं है कि संवासी द्वारा रसोईघर में जो सेवाएं प्रदान की जाती है उसके लिए उन्हें मजदूरी का भुगतान किया जाता है या नहीं। • बड़ी संख्या में महिला सिद्धदोष संवासियों (कुल 449 सिद्धदोष में से 24) को हत्या के लिए आरोपित किया गया है। महिला संवासियों की खराब शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए डी.एल.एस.ए. और एस.एल.एस.ए. के लिए यह उचित है कि वे इनके मामलों का पुर्नविलोकन करने की व्यवस्था करे जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि पुर्नविलोकन/अपील के सभी उपलब्ध विधिक पहलुओं को पूरा किया गया है।
54.	केंद्रीय कारागार, नासिक	• इस जेल में संवासी अधिक हैं विशेषरूप से महिला बैरक में जहां पर 54 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर 106 महिला संवासी है, जिनके लिए 2140 वर्ग फुट जगह उपलब्ध है। • संवासी फर्श पर सोती है और उनके सोने के स्थान के बीच आने जाने के लिए जगह बहुत कम है। • जेल के महिला बैरक/वार्ड में संवासी कम करने की तुरंत आवश्यकता है और प्रत्येक संवासी को अलग अलग पलंग दिया जाए और उनके बीच पर्याप्त आने जाने का स्थान हो। • महिला वार्ड में शौचालयों की संख्या पर्याप्त नहीं हैं। महिला बैरक में शौचालयों सीटों की बहुत कमी है और औसतन 15 से 20 संवासी एक शौचालय सीट का उपयोग करती हैं। बिना किसी विलंब के इस स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। • कुछ विचारणाधीन संवासियों के निरोध की अवधि 2 वर्ष से अधिक की हैं। • काफी बड़ी संख्या में महिला संवासियों को हत्या/घरेलू हिंसा के लिए सिद्धदोष किया गया है। उनकी खराब शैक्षणिक पृष्ठभूमि और सामाजिक आर्थिक दशा को ध्यान में रखते हुए यह जांच करने की आवश्यकता है कि ऐसे मामलों में पुर्नविलोकन/अपील के सभी चैनलों को पूरा किया गया है अथवा नहीं।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
55.	नागपुर केंद्रीय जेल	• इस कारागार में अधीक्षक, सहायक अधीक्षक और अन्य प्रशासनिक कई पद रिक्त है जिससे कारागार का कार्य प्रभावित हो रहा है। इन रिक्त पदों को तुरंत भरे जाने की आवश्यकता है। • महिला वार्ड में अधिक संवासी नहीं हैं क्योंकि यहां पर 142 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर 69 महिला संवासी (3 पैरोल पर) है। • प्रत्येक महिला संवासी के लिए अलग से पलंग की व्यवस्था करने की आवश्यकता है क्योंकि सभी संवासी फर्श पर सोती हैं। • महिला संवासियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि बहुत खराब हैं। अधिकतर संवासी केवल आठवीं कक्षा तक शिक्षित है। इसलिए व्यस्क साक्षरता कक्षाएं और खुले विद्यालय की प्रणाली के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। • 30 विचारणाधीन संवासियों में से 12 संवासियों को हत्या/घरेलू हिंसा के लिए आरोपित किया गया है। इसी प्रकार 19 सिद्धदोष महिला संवासियों में से 10 संवासियों को हत्या के लिए आरोपित किया गया है। इस स्थिति पर महिला संवासियों की खराब शैक्षणिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है। उनके मामलों की समीक्षा यह अभिनिश्चिय करने के लिए आवश्यक है कि क्या पुर्नविलोकन/अपील के सभी चैनलों को पूरा किया गया है या नहीं। • गैर सरकारी संगठन के सहयोग से कारागार में ब्यूटी पार्लर, लिफाफे बनाना और गर्म मफलर बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
56.	जिला जेल, धूले	• महिला वार्ड में संवासी अधिक हैं क्योंकि यहां पर 9 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर 31 महिला संवासियों को रखा गया है। • इस भवन की संरचनात्मक दशा औसत है और इस बाबत तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
		• कारागार में कोई महिला चिकित्सा अधिकारी नहीं है। • यहां पर कोई कौशल विकास कार्यक्रम नहीं है। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता प्रजापिता ब्रह्म कुमारी और सीड्स ऑफ हॉप तक ही सीमित है।
57.	जिला जेल, लातूर	• स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं को संगठित करने की आवश्यकता है और विशेषज्ञों, स्वास्थ्य कार्ड को बनाएं रखने और बच्चों के टीकाकरण की सेवाओं के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता, खुली एवं मुक्त शिक्षा मोड के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी संगठनों की सहभागिता नहीं हैं। • यह पाया गया है कि विधिक सहायता सेवाएं समाधानप्रद नहीं है। • जेल प्राधिकारियों को परामर्श प्रदान करने की सेवाओं में सहायता करनी चाहिए।
58.	जिला कारागार, अकोला	• महिला वार्डों की क्षमता का कम उपयोग किया गया है क्योंकि यहां पर 22 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर केवल 14 संवासी हैं। • कारागार में कोई महिला चिकित्सा अधिकारी नहीं है। • सभी संवासियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड को बनाए रखा नहीं जाता है। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता, ओ.डी.एल. मोड के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता सामाजिक सहारा अमरावती तक ही सीमित है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
59.	जिला जेल, कल्याण	• महिला वार्ड में संवासी अधिक हैं क्योंकि यहां पर 35 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर 108 महिला संवासी हैं। • कारागार में कोई महिला चिकित्सा अधिकारी नहीं है और विशेषज्ञों जैसे कि स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध नहीं है। कारागार मे कोई नर्स नहीं है। • पेंटिंग, लिफाफे बनाने, ब्यूटी पार्लर पाठ्यक्रम और कंप्यूटर पाठ्यक्रम के क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम हैं। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है अर्थात् सेवा धाम, लैशा फांउडेशन, सहारा पूर्त न्यास और लॉयन्स क्लब सहभागी है।
60.	जिला जेल, जलगांव वर्ग II	• महिला वार्ड में संवासी अधिक हैं क्योंकि यहां पर 14 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर 32 महिला संवासी हैं। • कारागार के भीतर विशेषज्ञ डाक्टरों की सेवाओं को उपलब्ध करा कर स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं को संगठित करने की आवश्यकता है। • प्रत्येक संवासी की सामायिक चिकित्सा परीक्षा के ब्यौरों के साथ उनके स्वास्थ्य कार्ड को बनाए रखने की आवश्यकता है। • कौशल विकास कार्यक्रम सिलाई, कढ़ाई और बेकिंग के परंपरागत क्षेत्रों तक ही सीमित है। • सिविल सोसाइटी/गैर सरकारी संगठन की सहभागिता केवल 2 संगठनों अर्थात् ब्रह्म कुमारी आश्रम और सावित्री बाई फुले शिक्षण संस्थान तक ही सीमित है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
61.	जिला कारागार, अलीबाग वर्ग II	• महिला वार्ड में संवासी अधिक हैं क्योंकि यहां पर 2 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर 17 संवासी हैं। • विशेषज्ञों, स्वास्थ्य कार्ड को बनाएं रखने और प्रत्येक संवासी की सामायिक चिकित्सा परीक्षा के साथ स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं को बेहतर रूप से संगठित करने की आवश्यकता है। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता, ओ.डी.एल. मोड के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। • कौशल विकास कार्यक्रम फेब्रिक पेंटिंग तक ही सीमित है। स्थानीय बाजार/उद्योग से संबंधित कौशल को आरंभ करने के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रमों को आयोजित करने की आवश्यकता है। • सांस्कृतिक कार्यक्रमों/परामर्श प्रदान करने/कौशल विकास के लिए गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता पर्याप्त नहीं है क्योंकि कारागार के साथ केवल अलीबाग सिविल अस्पताल सहयुक्त है। • विधिक सहायता सेवाएं समाधानप्रद नहीं पाई गई है और जेल प्राधिकारी संवासियों को विधिक सहायता प्रदान कराने में सहायता नहीं करते हैं।
62.	मुंबई जिला, महिला कारागार वर्ग II	• महिला वार्ड में संवासी अधिक हैं क्योंकि यहां पर 262 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर 304 संवासी (जिसमें 19 बच्चे भी शामिल है) हैं। • विशेषज्ञ डाक्टरों, सभी संवासियों के स्वास्थ्य कार्ड को बनाएं रखने और उनकी सामायिक चिकित्सा जांच की सेवाओं को प्रदान किया जाना चाहिए। • कौशल विकास कार्यक्रम केवल कढ़ाई, पेंटिंग और कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता केवल दो संगठनों अर्थात् प्रयास और फ्रीडम फाउंडेशन तक सीमित है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
63.	जिला कारागार, ओसमानाबाद	• महिला वार्डों की क्षमता का कम उपयोग किया गया है क्योंकि यहां पर 27 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर केवल 14 संवासी हैं। • कारागार में स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और चिकित्सा अधिकारी का मंजूर पद नहीं है। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता, ओ.डी.एल. मोड के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय ओसमानाबाद के धार्मिक संगठन तक ही सीमित है। • विधिक सहायता शिविर आयोजित किए जाते हैं। संवासियों के निर्धारण के अनुसार विधिक सहायता सेवाएं समाधानप्रद नहीं पाई गई है। इन सेवाओं को प्रदान करने में जेल प्राधिकारी सहायता नहीं करते हैं।
64.	जिला जेल, सांगली	• महिला वार्डों की क्षमता का कम उपयोग किया गया है क्योंकि यहां पर 30 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर केवल 20 महिला संवासी हैं। सभी महिला संवासी विचारणाधीन हैं और कोई भी सिद्धदोष नहीं है। • 20 संवासियों में से 9 संवासियों को हत्या/घरेलू हिंसा के लिए सिद्धदोष किया गया है। उनकी खराब शैक्षणिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उनके मामलों का पुर्नविलोकन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें पर्याप्त बेहतर विधिक सहायता प्रदान की जाए और उनके मामलों पर शीघ्रतापूर्वक सुनवाई की जाए।
65.	चंद्रपुर जिला कारागार, चंद्रपुर	• 11 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर इस कारागार में 23 महिला संवासी है। • सभी संवासी विचारणाधीन है और कोई भी सिद्धदोष नहीं हैं। • महिला संवासियों को पलंग नहीं दिए गए हैं और वे फर्श पर सोती हैं। जेल प्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक महिला संवासी को पलंग देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
		• महिला संवासियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि बहुत खराब है क्योंकि 23 संवासियों में से 13 निरक्षर हैं या 5वीं कक्षा तक शिक्षित हैं। • 23 संवासियों में से 11 को हत्या/घरेलू हिंसा के लिए सिद्धदोष किया गया है। उनकी खराब शैक्षणिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उनके मामलों का पुर्नविलोकन करने की आवश्यकता है और शीघ्रतापूर्वक विचारण करने के लिए उन्हें बेहतर विधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। • कारागार में कौशल विकास कार्यक्रम दर्जीगीरी, सिलाई, पेंटिंग और ड्रेस डिजाइन के लिए उपलब्ध है। • कारागार में नए और सुसंगत कौशल के अर्थपूर्ण कौशल विकास कार्यक्रमों को आयोजित करने की आवश्यकता है। चंद्रपुर एक वन क्षेत्र है, कारागार प्राधिकारियों को छोटे वन उत्पाद, जिसमें औषधीय पौधे भी हैं से संबंधित कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में विचार करना चाहिए। • गैर सरकारी संगठनों का संयोजन सांस्कृतिक, योग और जागरूकता कार्यक्रमों तक ही सीमित है। • कारागार में केवल एक जी.डी.एम.ओ. है इसलिए चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम हैं। विशेषज्ञ डाक्टरों की सेवाएं बुलाने के आधार पर भी उपलब्ध नहीं हैं।
66.	जिला जेल, नादेड़	• महिला वार्डों की क्षमता का कम उपयोग किया गया है क्योंकि यहां पर 30 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर 15 संवासी हैं। • कारागार के परिसर में जल निकासी की समस्या है और पानी बहते हुए देखा गया। • इस कारागार में 8 विचारणाधीन संवासी है और 2 संवासी को हत्या/घरेलू हिंसा के लिए आरोपित किया गया है। उनकी खराब शैक्षणिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उनके मामलों का पुर्नविलोकन करने के लिए ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा विधिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है जिससे यह विनिश्चय किया जा सके कि पुर्नविलोकन/अपील के उपलब्ध सभी चैनलों को पूरा कर लिया गया है और आगे विधिक कार्रवाई करने, यदि कोई है, का विनिश्चय किया जा सकें।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
		• कारागार के साथ गैर सरकारी संगठनों की संयोजन केवल योग/आर्ट ऑफ लिविंग के प्रयोजन तक ही सीमित है। यहां पर संवासियों के लिए मनोरंजन क्रियाकलापों, व्यापक व्यवसायिक/कौशल प्रशिक्षण जिसमें व्यस्क साक्षरता कक्षाएं और खुले विद्यालय प्रणाली के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करना भी है, की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
67.	जिला जेल, कोल्हापुर	• इस जेल में कुल 16 महिला संवासी है और सभी विचारणाधीन है तथा इनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि बहुत खराब है या तो ये निरक्षर है या उन्होंने केवल आठवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है। इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे संवासियों के मामलों को विशेष रूप से ऐसे संवासियों, जिन्हें हत्या/घरेलू हिंसा के लिए आरोपित किया गया है, के मामलों की समीक्षा विधिक सहायता योजना के अधीन किसी ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा करने की आवश्यकता है और इस प्रयोजन के लिए डी.एल.एस.ए./एस.ए.एल.एस.ए. से अनुरोध किया जा सकता है। • केवल बुलाने के आधार पर विशेषज्ञों की चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध हैं। यहां पर कोई महिला नर्स नहीं है। • कारागार में कोई व्यवसायिक/कौशल विकास कार्यक्रम नहीं है। • गैर सरकारी संगठन का संयोजन केवल योग/ध्यान के लिए है।
68.	भांडरा जिला जेल वर्ग I, भांडरा	• यहां पर कुल 12 महिला संवासी है जिनमें से 2 सिद्धदोष है। संवासियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि बहुत खराब है। अधिकतर संवासी 12वीं कक्षा या उससे नीचे की कक्षा तक शिक्षित हैं। • कारागार में संवासी अधिक हैं क्योंकि 5 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर 12 संवासी है। यहां पर संवासियों की संख्या कम करने की आवश्यकता है और प्रत्येक संवासी को अलग पलंग देने की व्यवस्था करनी चाहिए। • कारागार में कोई उचित कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता है सिवाय इसके कि अगरबत्ती बनाने का 7 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। • गैर सरकारी संगठनों/सिविल सोसाइटी की सहभागिता 4 संगठनों अर्थात् मनशक्ति, लॉयन्स क्लब, पतंजलि और ब्रह्म कुमारी के माध्यम से हैं।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
69.	बुलधाना जिला जेल, वर्ग II बुलधाना	• कारागार में संवासी अधिक है क्योंकि 4 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर 18 महिला संवासी है। जेल के अंदर महिला संवासियों के साथ तीन बच्चे भी हैं। • महिला संवासियों को एक छोटे बैरक में रखा गया है और फर्श पर उनका बिस्तर लगाया गया है जिसके बीच आने जाने की जगह बहुत कम है।
70.	सतारा जिला कारागार वर्ग II, सतारा	• इस कारागार में बहुत अधिक संवासी है क्योंकि 9 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर 18 महिला संवासी है। संवासियों को पलंग नहीं दिए गए हैं और वह सभी फर्श पर सोती हैं। कारागार प्राधिकारियों को प्रत्येक संवासी को अलग अलग पलंग देने की व्यवस्था करनी चाहिए। • 18 संवासियों में से 8 संवासियों को हत्या के लिए आरोपित किया गया है इसलिए किसी ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा बेहतर विधिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। • यहां पर कोई कौशल विकास कार्यक्रम नहीं है। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी संगठन की सहभागिता केवल एक संगठन अर्थात् आधार बहुउद्देशीय संस्था तक ही सीमित है।
71.	जिला जेल, परभयहरिनी	• यहां पर 12 संवासियों की अनुमोदित क्षमता के स्थान पर कुल 14 संवासी है और ये सभी विचारणाधीन है। • 14 संवासियों में से 8 संवासियों को हत्या/घरेलू हिंसा के लिए आरोपित किया गया है। उनकी खराब शैक्षणिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उनके मामलों का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें बेहतर विधिक सहायता दी जा सके और उनके मामलों का निपटारा शीघ्रतापूर्वक किया जा सकें। • कारागार में उचित चिकित्सीय और स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं नहीं हैं। कारागार के भीतर चिकित्सा अधिकारी की सेवाएं प्रदान करना आवश्यक है। • कारागार में कोई बालगृह और पूर्व विद्यालय नहीं है। • कौशल डिजाइनिंग का कोई कार्यक्रम नहीं है। • कारागार में गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी संगठन की सहभागिता नहीं है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
72.	वासिम जिला जेल, वासिम	• महिला वार्ड की क्षमता का कम उपयोग किया गया है क्योंकि 28 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर केवल 1 महिला संवासी है। • पेंटिंग, दर्जीगीरी, कढ़ाई, कागज के थेले बनाना और कंप्यूटर पाठ्यक्रम के क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध हैं।
73.	कल्याण जिला कारागार वर्ग I, कल्याण	• इस जेल में संवासी अधिक हैं क्योंकि 35 संवासी की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर 108 महिला संवासी हैं। महिला संवासियों के लिए उपलब्ध स्थान पर्याप्त नहीं हैं। जेल में तुरंत संवासियों की संख्या कम करने की आवश्यकता है। • सभी 108 महिला संवासी विचारणाधीन है और अधिकतर संवासियों की आयु कम हैं और वे 18 से 34 वर्ष के आयु समूह की हैं (108 संवासियों में से 73 इस आयु समूह की है) • महिला संवासियों की शैक्षणिक स्थिति बहुत खराब है क्योंकि अधिकतर (108 में से 66) निरक्षर हैं। • यह पाया गया है कि विचारणाधीन अधिकतर संवासियों को हत्या के लिए आरोपित किया गया है। संवासियों की खराब शैक्षणिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उन्हें बेहतर विधिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।
मिजोरम		
74.	केंद्रीय जेल, ऐजवाल	• महिला वार्ड की क्षमता का कम उपयोग किया गया है क्योंकि 60 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर 46 संवासी हैं। • स्त्री रोग विज्ञान, मनोरोग विज्ञान और मानसिक विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञों की सेवाओं को प्रदान करके स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। • व्यस्क साक्षर कक्षाओं और ओ.डी.एल. मोड आदि के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। • कौशल विकास प्रशिक्षण दर्जीगीरी तक ही सीमित है। • संवासियों द्वारा विधिक सहायता सेवा को समाधानप्रद नहीं पाया गया है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
नागालैंड		
75.	जिला जेल, दीमापुर	• प्रोफार्मा की संवीक्षा की गई थी किंतु इस दौरान क्योंकि कारागार का निरीक्षण भी किया गया है इसलिए, टीका टिप्पणियों को उपाबंध I में सम्मिलित किया गया है।
ओडिसा		
76.	विशेष जेल, रूढ़केला	• जेल अधीक्षक, 2 वार्डन और 2 उप सहायक जेलरों के पद रिक्त हैं। 1 पद विद्यालय के अध्यापक का भी रिक्त है। • यहां पर एक महिला संवासी है जो कि मानसिक रूप से बीमार है किंतु मनोवैज्ञानिक की सेवाएं उपलब्ध नहीं है। • कारागार में दर्जीगीरी इकाई के सिवाय कोई कौशल विकास कार्यक्रम नहीं हैं। • कई कैदियों के निरक्षर होने के बावजूद भी व्यस्क साक्षरता सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। • सांस्कृतिक कार्यक्रमों/परामर्श प्रदान करने/कौशल विकास आदि के लिए गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता नहीं हैं। • बालगृह सुविधा उपलब्ध नहीं है। • महिला संवासियों के लिए अलग से रसोईघर नहीं है।
77.	सर्किल जेल, कोरापुट	• अधिकारियों और कर्मचारियों के बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। इस मुद्दे का हल निकालने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। • व्यस्क साक्षरता और ओ.डी.एल. मोड आदि के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने कोई व्यवस्था नहीं की गई हैं। • कौशल विकास कार्यक्रम पारंपरिक व्यवसाय दर्जीगीरी तक ही सीमित है। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी संगठन की सहभागिता नहीं हैं।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
78.	सर्किल जेल, कटक, चौधवर	• महिला वार्ड में संवासी अधिक है क्योंकि 16 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर 29 महिला संवासी हैं। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता, ओ.डी.एल. मोड आदि के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई हैं। • सांस्कृतिक कार्यक्रमों/परामर्श प्रदान करने/कौशल विकास आदि के लिए गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता नहीं हैं।
79.	विशेष जेल, भुवनेश्वर, झारपाड़ा	• यहां पर 13 निरक्षार महिला संवासी हैं किंतु उनकी शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई हैं। • महिला संवासियों के बच्चों के लिए बालगृह और पूर्व विद्यालय के लिए कोई सुविधा नहीं है। • जेल डाक्टर द्वारा स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं किंतु कारागार में विशेषज्ञ डाक्टरों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। जेल डाक्टर की सलाह पर रोगियों को जिला अस्पताल भेजा जाता हैं। • कौशल विकास कार्यक्रम दर्जीगीरी और सिलाई के परंपरागत कौशल तक सीमित है और इसे एक गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। • सांस्कृतिक कार्यक्रमों/परामर्श प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता नहीं है सिवाय इसके की प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा सप्ताह में एक बार एक घंटे के लिए धार्मिक प्रवचन किए जाते हैं।
80.	जिला जेल, भवानीपटना, कालाहांडी	• डाक्टर और उप सहायक जेलर के पद रिक्त हैं। • स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि आपातकाल में ही स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं और विशेषज्ञों, विशेष रूप से स्त्री रोग विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। • पक्के अपराधियों को छोटे मोटे पहले बार अपराध करने वाले अपराधियों से अलग नहीं रखा गया हैं। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता, ओ.डी.एल. मोड आदि के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई हैं। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी संगठन सहभागी नहीं हैं।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
81.	उप जेल जगतसिंहपुर	• एक महिला संवासी मानसिक रूप से बीमार है किंतु मनोवैज्ञानिक की सेवाएं उसे प्रदान नहीं की गई हैं। • सहायक जेलर और उप सहायक जेलर के पद रिक्त हैं। • स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता हैं क्योंकि केवल एक संविदात्मक चिकित्सा अधिकारी यहां पर उपलब्ध हैं। • बालगृह, नशा मुक्ति केंद्र, व्यस्क साक्षरता कक्षाएं और खेल सुविधाएं यहां नहीं हैं। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी संगठन इससे जुड़े हुए नहीं हैं।
82.	उप जेल, खोरधा	• जेल भवन और परिसरों की मरम्मत और नवीकरण करना आवश्यक है। जल निकास प्रणाली काम नहीं कर रही हैं। • स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि एक संविदात्मक चिकित्सा अधिकारी यहां कार्यरत है। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता, ओ.डी.एल. मोड आदि के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई हैं। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी संगठन सहभागी नहीं हैं। एक सिविल सोसाइटी 'ओम शांति' सप्ताह में 15 से 30 मिनट के लगभग परामर्श सेवाएं प्रदान करती है जो कि पर्याप्त नहीं हैं। • यहां पर अंदर खेले जाने वाले खेलों की कोई सुविधा नहीं हैं।
83.	नारी बंदी निकेतन, संबलपुर	• मानसिक रूप से बीमार संवासियों के लिए मनोवैज्ञानिक की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। • कारागार में कोई बालगृह/पूर्व विद्यालय सुविधा नहीं है। • खेलों और बाहर के संसार से बालकों को परिचित कराने के लिए उन्हें बाहर ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं हैं। • स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं को बढ़ाने की आवश्यकता हैं क्योंकि विद्यमान व्यवस्था पर्याप्त नहीं हैं।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
		• कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता, ओ.डी.एल. मोड आदि के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं हैं सिवाय इसके कि दर्जीगीरी और शिल्पकला का प्रशिक्षण देने की कुछ व्यवस्था की गई हैं। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी संगठन की सहभागिता नहीं हैं।
84.	सर्किल जेल, संबलपुर	• जेल चिकित्सा अधिकारी, लेखाकार और महिला कारागार कल्याण अधिकारी के पद रिक्त हैं। • एक चिकित्सा अधिकारी को तुरंत तैनात करना चाहिए। • बालगृह सुविधाएं नहीं हैं। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता, ओ.डी.एल. मोड आदि के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई हैं। • सांस्कृतिक कार्यक्रमों/परामर्श प्रदान करने/कौशल विकास के लिए गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता नहीं है।
पश्चिमी बंगाल		
85.	केंद्रीय सुधारगृह, बेरहामपुर	• महिला वार्ड में संवासी अधिक हैं क्योंकि 122 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर 149 महिला संवासी हैं। • स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं छिन्न–भिन्न हैं क्योंकि चिकित्सा अधिकारियों के दोनों पद रिक्त हैं। • सामान्य क्षेत्र, आगुंतकों के लिए सुविधाएं सिविल सोसाइटी की सहभागिता, रसोईघर और संवासियों की शिकायत करने की व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई हैं। • कौशल विकास कार्यक्रम परंपरागत व्यवसाय दर्जीगीरी तक सीमित हैं। • संवासियों द्वारा विधिक सहायता सेवाओं को समाधानप्रद नहीं पाया गया है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
86.	केंद्रीय सुधारगृह, जलपाईगुड़ी	• महिला वार्ड में संवासी अधिक हैं क्योंकि 45 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर 64 महिला संवासी हैं। • विचारणाधीन संवासी दो से पांच वर्ष की अवधि से जेल में हैं। • खाद्य सामग्री के भंडारण क लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। • स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं बेतरतीब हैं क्योंकि चिकित्सा अधिकारी के पद रिक्त हैं। विशेषज्ञ डाक्टरों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। • पिछले एक वर्ष के दौरान बच्चों का टीकाकरण नहीं किया गया है। • बालगृह और पूर्व विद्यालय सुविधा उपलब्ध नहीं हैं।
तेलंगाना		
87.	महिलाओं के लिए विशेष कारागार, हैदराबाद	• 250 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर 230 महिला संवासी हैं। • वार्डन के 14 मंजूर पदों में से 10 पद रिक्त हैं। • महिलाओं की विनिर्दिष्ट समस्याओं के लिए स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं नहीं हैं। • महिला संवासियों के बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। इस समस्या पर विचार करने की आवश्यकता हैं। • महिला संवासियों के पुनर्वास/रोजगार के लिए जेल प्राधिकारियों द्वारा अतिरिक्त प्रयास करने की और उनके रिहा होने के पश्चात् उनके परिवार के साथ पुनः एकीकरण कराने की आवश्यकता है।
उत्तर प्रदेश		
88.	जिला जेल मुजफ्फरनगर	• महिला वार्ड में संवासी अधिक हैं क्योंकि 30 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर 80 महिला संवासी हैं। • पांच विचारणाधीन संवासी पांच वर्ष से अधिक अवधि से जेल में हैं। • अधिकतर महिला विचारणाधीन संवासियों को हत्या के अपराध के लिए आरोपित किया गया है। संवासियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए बेहतर विधिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता हैं।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
		• स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं को सभी संवासियों के स्वास्थ्य कार्ड को बनाएं रख कर और उनकी समय समय पर चिकित्सीय जांच करा कर बेहतर बनाने की आवश्यकता है। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता और ओ.डी.एल. मोड के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं हैं। • सांस्कृतिक कार्यक्रमों/परामर्श प्रदान करने/कौशल विकास के लिए गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता केवल एक संगठन तक ही सीमित है। • संवासियों द्वारा विधिक सहायता सेवाओं को समाधानप्रद नहीं पाया गया है। • सामान्य क्षेत्र जैसे पुस्तकालय, अंदर खेले जाने वाले खेल, कक्षा, विद्यालय उपलब्ध नहीं है। • रसोईघर में फ्रिजर और शीतित भंडारण की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
89.	जिला जेल, महराजगंज	• महिला वार्ड में संवासी अधिक हैं क्योंकि 30 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर 93 महिला संवासी हैं। • दो विचारणाधीन संवासी पांच वर्ष से अधिक अवधि से जेल में हैं। • अधिकतर महिला विचारणाधीन संवासियों को हत्या के अपराध के लिए आरोपित किया गया है। संवासियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उन्हें बेहतर विधिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता हैं। • स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता हैं। डाक्टर का केवल एक मंजूर पद है और वह रिक्त है। विशेषज्ञों की सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। • सभी संवासियों के स्वास्थ्य कार्ड को उनकी समय समय पर चिकित्सा जांच करा कर बनाएं रखा जाना चाहिए। • कौशल प्रशिक्षण केवल थैला बनाने के लिए दिया जाता है और इसके लिए प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। • सामान्य क्षेत्र जैसे पुस्तकालय, अंदर खेले जाने वाले खेल, कक्षा, विद्यालय आदि की व्यवस्था नहीं है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
90.	जिला जेल, बरेली	• महिला वार्ड की क्षमता का कम उपयोग किया गया है क्योंकि 120 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर 101 संवासी हैं। • पिछले पांच वर्षों से एक विचारणाधीन संवासी जेल में है। इस मामले पर शीघ्रतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और बेहतर विधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। • स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। महिला नर्स का एक मंजूर पद रिक्त है। महिला नर्स, मनोरोग विज्ञान और मनोविज्ञानी की सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। • सभी संवासियों के स्वास्थ्य कार्ड को बनाएं रखना आवश्यक है और उनकी समय समय पर उनकी चिकित्सीय जांच की जानी चाहिए। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता और ओ.डी.एल. मोड के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं हैं। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी सहभागी नहीं है। • रसोईघर के लिए अनन्य कर्मचारी नहीं है और 7 संवासियों को रसोईघर में लगाया गया हैं।
91.	जिला जेल, शाहजहांपुर	• महिला वार्ड में संवासी अधिक हैं क्योंकि 60 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर 66 महिला संवासी हैं। • अधिकतर संवासी निरक्षर हैं। • स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञ का मंजूर एक पद रिक्त है। • स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं को सभी संवासियों के स्वास्थ्य कार्ड को बनाएं रख कर और उनकी समय समय पर चिकित्सीय जांच करा कर, बेहतर बनाने की आवश्यकता है। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता और ओ.डी.एल. मोड के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं हैं। • गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता केवल एक संगठन अर्थात् जन शिक्षण संस्थान, शाहजहांपुर तक सीमित है। • संवासियों द्वारा विधिक सहायता सेवाओं को समाधानप्रद नहीं पाया गया है। कोई विधिक जागरूकता शिविर आयोजित नहीं किया गया है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
92.	जिला जेल, बदायूं	• महिला वार्ड में संवासी अधिक हैं क्योंकि 30 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर 74 महिला संवासी हैं। • कारागार के लिए एक महिला हेड जेल वार्डन के पद के सिवाय महिला कर्मचारियों का कोई मंजूर पद नहीं है। महिला जेल वार्डनों के मंजूर पद 8 हैं। सभी पद रिक्त हैं। • स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता है और विशेषज्ञों जैसे कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक और मनोविज्ञानी की सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता हैं। • दर्जीगीरी और बुनाई के परंपरागत कौशल में पी.एन.बी. कल्याण सोसाइटी के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। • विधिक सहायता की व्यवस्था करने की आवश्यकता है क्योंकि इस बाबत प्रोफार्मा में कोई जानकारी नहीं दी गई हैं। • रसोईघर में फ्रिजर और शीतित भंडारण की सुविधा नहीं है।
93.	जिला जेल, पीलीभीत	• महिला वार्ड की क्षमता का कम उपयोग किया गया है क्योंकि 40 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर 33 संवासी हैं। • कारागार के लिए एक महिला हेड जेल वार्डन के पद के सिवाय महिला कर्मचारियों का कोई मंजूर पद नहीं है। महिला जेल वार्डनों के मंजूर पद 8 हैं। सभी पद रिक्त हैं। • स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता है और विशेषज्ञों जैसे कि स्त्री रोग विज्ञानी, मनोचिकित्सक और मनोविज्ञानी की सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता हैं।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
		• कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता और ओ.डी.एल. मोड के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं हैं। • बालगृह की सुविधा नहीं है। • रसोईघर में फ्रिजर और शीतित भंडारण की सुविधा नहीं है।
94.	जिला जेल, मुरादाबाद	• महिला वार्ड में अधिक संवासी हैं क्योंकि 52 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर 88 महिला संवासी हैं। • विशेषज्ञों जैसे कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक और मनोविज्ञानी आदि और एक महिला नर्स की सेवाओं के साथ स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। संवासियों की समय समय पर चिकित्सा परीक्षा करके स्वास्थ्य कार्ड बनाए रखने की आवश्यकता है।
95.	जिला जेल, रामपुर	• महिला वार्ड में संवासी अधिक हैं क्योंकि 20 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर 27 महिला संवासी हैं। • महिला हेड वार्डन के दो मंजूर पद हैं; दोनों ही पद रिक्त हैं। • विशेषज्ञों जैसे कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक और मनोविज्ञानी आदि और एक महिला नर्स की सेवाओं के साथ स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। • संवासियों की समय समय पर चिकित्सा परीक्षा करके स्वास्थ्य कार्ड बनाए रखने की आवश्यकता है। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता और ओ.डी.एल. मोड आदि के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं हैं। • बच्चों के लिए कोई पूर्व विद्यालय सुविधा नहीं है। • केवल एक गैर सरकारी संगठन अर्थात् आर्ट ऑफ लिविंग सहभागी है।

क्र. सं.	कारागार का नाम (जहां महिला संवासी है)	प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर टीका–टिप्पणियां
96.	जिला जेल, बिजनौर	• महिला वार्ड की क्षमता का कम उपयोग किया गया है क्योंकि 60 संवासियों की प्राधिकृत क्षमता के स्थान पर यहां पर 26 संवासी हैं। • एक विचारणाधीन संवासी पांच वर्ष से अधिक अवधि से जेल में हैं। उसके मामले का पुर्नविलोकन और तुरंत विचारण आरंभ करने की आवश्यकता है। • विशेषज्ञों जैसे कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक और मनोविज्ञानी आदि और एक महिला नर्स की सेवाओं के साथ स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। • संवासियों की समय समय पर चिकित्सा परीक्षा के ब्यौरों के साथ उनके स्वास्थ्य कार्डों को बनाए रखने की आवश्यकता है। • कौशल विकास, व्यस्क साक्षरता और ओ.डी.एल. मोड आदि के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं हैं। • विभिन्न क्रियाकलापों में गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी की सहभागिता सीमित हैं।

टिप्पणः इसके पश्चात् कई प्रोफार्मा प्राप्त हुए हैं और उनकी समीक्षा की जा रही हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग

प्लॉट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110 025

वेबसाईट : **http://new.nic.in**